

मास्टर परिपत्र - बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

विषय-सूची

1	प्रस्तावना	4
	1.1 निवेश नीति	4
	1.1.1 स्ट्रिप्स	7
	1.1.2 सरकारी प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा संविदा	7
	1.1.3 एसजीएल खाते के माध्यम से लेनदेन	10
	1.1.4 बैंक रसीदों का उपयोग (बी आर)	11
	1.1.5 सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री	13
	1.1.6 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	13
	1.1.7 दलालों की नियुक्ति	16
	1.1.8 निवेश लेनदेनों की लेखा-परीक्षा, समीक्षा और रिपोर्ट देना	18
	1.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेश	19
	1.3 सामान्य	26
	1.3.1 सरकारी प्रतिभूतियों आदि के धारण का समाधान	26
	1.3.2 प्रतिभूतियों के लेनदेन - अभिरक्षक के कार्य	27
	1.3.3 ग्राहकों की ओर से निवेश संविभाग प्रबंधन	27
	1.3.4 बैंकों का निवेश संविभाग - सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन	28
2.	वर्गीकरण	29
	2.1 परिपक्वता तक धारित	29
	2.2 बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित	32
	2.3 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित करना	32
3.	मूल्यांकन	33
	3.1 परिपक्वता तक धारित	33
	3.2 बिक्री के लिए उपलब्ध	34
	3.3 ट्रेडिंग के लिए धारित	34
	3.4 निवेश संबंधी उतार-चढ़ाव हेतु प्रारक्षित निधि (आइ एफ आर)	35
	3.5 बाज़ार मूल्य	37
	3.6 कोट न की गयी सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियां	37
	3.6.1 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	37
	3.6.2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	38
	3.6.3 अन्य 'अनुमोदित' प्रतिभूतियां	38
	3.7 सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियां, जिनकी दरें नहीं दी जातीं	38

3.7.1	डिबेंचर/बांड	38
3.7.2	जीरो कूपन बांड	39
3.7.3	अधिमान शेयर	39
3.7.4	ईक्विटी शेयर	40
3.7.5	म्युच्युअल फंड यूनिट	40
3.7.6	वाणिज्यिक पत्र	41
3.7.7	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश	41
3.8	प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में निवेश	41
3.9	वीसीएफ में बैंकों के निवेश का मूल्यन तथा वर्गीकरण	42
3.10	अनर्जक निवेश	43
4.	रिपो /रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए एकसमान लेखा पद्धति	45
5.	सामान्य	47
5.1	आय-निर्धारण	47
5.2	खंडित अवधि ब्याज	48
5.3	डिमेटरियलाइज्ड धारिताएं	48
	अनुबंध	49
	परिशिष्ट	91

मास्टर परिपत्र - बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

1. प्रस्तावना

पूंजी पर्याप्तता, आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण तथा प्रावधान करने से संबंधित अपेक्षाओं के बारे में विवेकपूर्ण मानदण्ड लागू किये जाने से पिछले कुछ वर्षों में भारत में बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। इसके साथ-साथ, प्रतिभूति बाजार में ट्रेडिंग में पण्यावर्त तथा जिन अवधिपूर्णताओं पर कार्य किया गया उनकी व्याप्ति की दृष्टि से सुधार हुआ है। इन गतिविधियों को तथा विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के संबंध में समय-समय पर निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

1.1 निवेश नीति

i) बैंक आंतरिक निवेश नीति के दिशानिर्देश तैयार करें और अपने निदेशक बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करें। प्राथमिक व्यापारी गतिविधियों को भी शामिल करने के लिए निवेश नीति में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए। निवेश नीति के समग्र ढांचे के भीतर बैंक द्वारा किया जानेवाला प्राथमिक व्यापारी कारोबार सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार करने, हामीदारी और उसमें बाजार निर्माण करने तक सीमित रहेगा। कंपनी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थाओं के बांडों, वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाण पत्रों, ऋण म्युचुअल फंडों तथा अन्य नियत आय प्रतिभूतियों में निवेश को प्राथमिक व्यापारी कारोबार का अंग नहीं माना जाएगा। निवेश नीति बनाते समय बैंकों को निम्नलिखित दिशानिर्देश ध्यान में रखने चाहिए:

(क) बैंक ऐसी किसी भी सरकारी प्रतिभूति को बेच सकते हैं जो पहले ही खरीद के लिए संविदागत है, बशर्ते:

i. बिक्री के पहले खरीद संविदा की पुष्टि हुई हो,

ii. खरीद संविदा सीसीआइएल द्वारा गारंटीकृत हो अथवा प्रतिभूति भारतीय रिज़र्व बैंक से खरीद के लिए संविदागत हो और,

iii. संबंधित बिक्री लेनदेन या तो उसी निपटान चक्र में निपटाया जायेगा जैसा कि पूर्ववर्ती खरीद संविदा में निपटाया गया था, या बादवाले निपटान चक्र में निपटाया जाएगा ताकि खरीद संविदा के अधीन प्राप्त प्रतिभूतियों द्वारा बिक्री संविदा के अधीन सुपर्दगी दायित्व को पूरा किया जा सके (अर्थात् जब कोई प्रतिभूति T+0 आधार पर खरीदी जाती है तो वह खरीद के दिन को या

तो T + 0 अथवा T + 1 आधार पर बेची जा सकती है; तथापि यदि वह T+1 आधार पर खरीदी जाती है तो वह खरीद के दिन को T + 1 आधार पर बेची जा सकती है या अगले दिन T + 0 अथवा T + 1 आधार पर बेची जा सकती है)।

रिज़र्व बैंक से खुले बाजार के परिचालनों के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद के लिए, रिज़र्व बैंक से लेनदेन की पुष्टि / आबंटन की सूचना प्राप्त होने के पहले बिक्री लेनदेनों की संविदा नहीं की जानी चाहिए।

- उपर्युक्त के अलावा, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों से इतर) और प्राथमिक व्यापारियों को **अनुबंध 1-क** में दी गयी अपेक्षाओं के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की शॉर्ट बिक्री की अनुमति दी गयी है।
- साथ ही, एनडीएस -ओएम सदस्यों को, एनडीएस -ओएम में आवश्यक सॉफ्टवेयर संशोधन करने के बाद **अनुबंध 1-ख** में दिये गये दिशा-निर्देशों की शर्त पर केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में 'जब जारी की जाए' आधार पर लेनदेन की अनुमति दी गयी है।

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम की नीलामी में सफल बैंक, आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए **अनुबंध 1-ग** में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, संविदाएं कर सकते हैं।

(ग) सरकारी प्रतिभूतियों में सभी एकमुश्त गौण बाजार लेनदेनों का निपटान 24 मई 2005 से मानकीकृत T + 1 आधार पर किया जाएगा।

(घ) किसी बैंक द्वारा किये गये सभी लेनदेन चाहे वे एकमुश्त आधार पर हों या हाज़िर-वायदा आधार पर और चाहे सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल) अथवा बैंक रसीदों के माध्यम से हों, उन्हें उसी दिन उसके निवेश खातों में और तदनुसार, जहां लागू हो, सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन हेतु दर्शाया जाना चाहिए।

(ङ) सौदे पर यदि दलाल को कोई दलाली, देय हो (यदि उक्त सौदा दलाल के माध्यम से किया गया था) तो उक्त लेनदेन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु उच्च प्रबंध-तंत्र के समक्ष प्रस्तुत किये गये नोट / ज्ञापन में उसे स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए और प्रत्येक दलाल को, अदा की गयी दलाली का अलग खाता रखा जाना चाहिए।

(च) बैंक रसीदें जारी करने के लिए बैंकों को भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित फार्मट का प्रयोग करना चाहिए और इस संबंध में उनके द्वारा निर्धारित किये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। बैंकों को केवल अपने स्वयं के बिक्री लेनदेनों के लिए बैंक रसीदें जारी करनी चाहिए तथा अपने ग्राहकों की ओर से जिनमें दलाल भी शामिल हैं, बैंक रसीदें जारी नहीं करनी चाहिए।

(छ) बैंकों को दलालों की ओर से प्रतिभूतियों का लेनदेन करने के लिए अपने दलाल ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए।

(ज) खाते में पर्याप्त राशि न होने की वजह से रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय से लौटाये गये किसी भी एसजीएल फार्म के बारे में लेनदेन के ब्यौरों सहित तत्काल रिज़र्व बैंक को जानकारी दी जानी चाहिए।

(i) जो बैंक ईक्विटी शेयरों / डिबेंचरों में निवेश करने के इच्छुक हैं, उन्हें निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए:

i. अपने परिचालनों के परिमाण के अनुसार अलग से ईक्विटी शोध विभाग स्थापित करके उन्हें ईक्विटी शोध में पर्याप्त विशेषज्ञता विकसित करनी चाहिए;

ii. निदेशक मंडल के अनुमोदन से शेयरों में निवेश के लिए एक पारदर्शक नीति और क्रियाविधि निर्मित करनी चाहिए।

iii. शेयरों, परिवर्तनीय बांडों और डिबेंचरों में प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में निर्णय बैंक के निदेशक मंडल द्वारा गठित निवेश समिति द्वारा लिया जाना चाहिए। बैंक द्वारा किये गये निवेशों के लिए उक्त निवेश समिति को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

ii) प्रतिभूतियों का अपने स्वयं के निवेश खाते में तथा ग्राहकों की ओर से लेनदेन करते समय बैंकों द्वारा अपनाये जानेवाले निवेश के स्थूल उद्देश्य संबंधित निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्पष्ट रूप से निर्धारित करने चाहिए, जिनमें जिस प्राधिकारी के माध्यम से सौदा किया जाना है उसकी स्पष्ट परिभाषा, उपयुक्त प्राधिकारी की मंजूरी के लिए अपनायी जानेवाली क्रियाविधि, सौदा करने में अपनायी जानेवाली क्रियाविधि, जोखिम की विभिन्न विवेकपूर्ण सीमाएं और रिपोर्ट देने की प्रणाली स्पष्ट रूप से परिभाषित की जानी चाहिए। निवेश नीति संबंधी इस प्रकार के दिशा-निर्देश निर्धारित करते समय बैंकों को निम्नलिखित से संबंधित रिजर्व बैंक के विस्तृत अनुदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए:

(क) स्ट्रिप्स	(पैराग्राफ 1.1.1)
(ख) सरकारी प्रतिभूति में हाज़िर वायदा (खरीद-वापसी) सौदे	(पैराग्राफ 1.1.2)
(ग) सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल) के माध्यम से लेनदेन	(पैराग्राफ 1.1.3)
(घ) बैंक रसीदों का प्रयोग	(पैराग्राफ 1.1.4)
(ङ.) सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री	(पैराग्राफ 1.1.5)
(च) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	(पैराग्राफ 1.1.6)
(छ) दलालों के माध्यम से सौदे करना	(पैराग्राफ 1.1.7)
(ज) लेखा-परीक्षा, समीक्षा और रिपोर्टिंग	(पैराग्राफ 1.1.8)

iii) उपर्युक्त अनुदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ, बैंकों द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों और पारस्परिक निधियों पर केवल उन स्थितियों को छोड़कर लागू होंगे जहां उनके परिचालनों को नियंत्रित करनेवाले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के विशिष्ट विनियम इसके प्रतिकूल हैं या असंगत हैं।

1.1.1 स्ट्रिप्स

विद्यमान सरकारी प्रतिभूति के आवधिक कूपन भुगतान को व्यापार योग्य जीरो कूपन प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया स्ट्रिपिंग है जिनका सामान्यतया बाजार में

बट्टे पर कारोबार होगा तथा उनका मोचन अंकित मूल्य पर किया जाएगा। इस प्रकार, पाँच वर्षीय प्रतिभूति से 10 कूपन प्रतिभूतियां (जो कूपन मानी जाएंगी) प्राप्त होंगी जो उनकी कूपन तारीखों को परिपक्व होंगी तथा एक मूल प्रतिभूति मूल राशि की होगी और यह पाँच वर्षीय प्रतिभूति की मोचन तारीख को परिपक्व होगी। पुनर्गठन स्ट्रिपिंग की विपरीत प्रक्रिया है जहां कूपन स्ट्रिप्स और मूल स्ट्रिप्स को एक मूल सरकारी प्रतिभूति में पुनर्गठित किया जाता है। स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की प्रक्रिया का ब्यौरा दर्शाने वाले विस्तृत दिशानिर्देश और स्ट्रिप्स में किए जाने वाले लेनदेन से संबंधित अन्य परिचालनात्मक क्रियाविधियां अनुबंध 1-घ में दी गई हैं।

1.1.2 सरकारी प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा संविदा

जिन शर्तों के अधीन हाज़िर वायदा संविदाएं (प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा संविदाओं सहित) की जा सकती हैं, वे निम्नप्रकार होंगी:

(क) हाज़िर वायदा संविदाएं केवल निम्नलिखित में की जायें (i) भारत सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियां और खज़ाना बिल तथा (ii) राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियां।

(ख) ऊपर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की हाज़िर वायदा संविदाएं निम्नलिखित द्वारा की जा सकेंगी:

i) भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता रखने वाले व्यक्ति अथवा कंपनियां और

ii) निम्नलिखित श्रणियों की कंपनियाँ जो रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता नहीं रखती हैं लेकिन किसी बैंक में अथवा अन्य किसी ऐसी कंपनी में गिल्ट खाते रखती हैं (अर्थात् गिल्ट खाता धारक) जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसके लोक ऋण कार्यालय, मुंबई के पास सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) बनाए रखने की अनुमति है:

क) कोई अनुसूचित बैंक,

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई प्राथमिक व्यापारी,

ग) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनियों के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी,

घ) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत कोई म्युच्युअल फंड,

ङ) राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत कोई आवास वित्त कंपनी, और

च) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत कोई बीमा कंपनी।

छ) कोई गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक,

ज) कोई सूचीबद्ध कंपनी जो किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के पास गिल्ट खाता रखती हो, लेकिन इस संबंध में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

(1) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा रिवर्स रिपो (निधि उधार देना) के लिए न्यूनतम अवधि सात दिन है। तथापि, सूचीबद्ध कंपनियां रिपो के जरिए इनसे कम अवधि के लिए निधि उधार ले सकती हैं जिसमें एक दिवसीय अवधि (ओवर नाइट) भी शामिल है।

(2) जहां सूचीबद्ध कंपनी रिपो संविदा के पहले चरण में प्रतिभूतियों का क्रेता (अर्थात् निधियों का उधारदाता) है वहाँ अभिरक्षक को जिसके जरिए रिपो लेनदेन को निपटाया गया है, को उन प्रतिभूतियों को गिल्ट खाते में अवरुद्ध करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये प्रतिभूतियां आगे बेची न जायें या रिपो अवधि में पुनः रिपो न की जायें, बल्कि दूसरे चरण के अधीन वितरण हेतु रोक रखी जाएँ।

(3) रिपो /रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए सूचीबद्ध कंपनियों का प्रतिपक्ष ऐसा बैंक या प्राथमिक व्यापारी होना चाहिए जिसका रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता हो।

(झ) उन गैर सूचीबद्ध कंपनियों को भी हाज़िर वायदा संविदाओं में कारोबार करने की अनुमति सूचीबद्ध कंपनियों के लिए निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गई है जिन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूतियां जारी की गई हैं और जिनके गिल्ट खाते अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में हैं।

(1) पात्र गैर-सूचीबद्ध कंपनियां, भारत सरकार द्वारा उन्हें जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर ही रिपोर्ट संविदा के पहले चरण में निधि उधारकर्ता के रूप में हाज़िर वायदा लेनदेन में कारोबार कर सकती हैं।

(2) रिपो लेनदेन के लिए पात्र गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के प्रतिरूप में कोई ऐसा बैंक अथवा प्राथमिक व्यापारी होना चाहिए जिसका रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता हो।

(ग) उक्त (ii) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति या कंपनियां आपस में निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं:

i) कोई एसजीएल खाताधारक अपने ही संघटक के साथ हाज़िर वायदा संविदा न करें। दूसरे शब्दों में, हाज़िर वायदा संविदाएं अभिरक्षक और उसके गिल्ट खाताधारक के बीच नहीं होनी चाहिए।

ii) एक ही अभिरक्षक (अर्थात् सीएसजीएल खाता धारक) के पास अपने गिल्ट खाते रखने वाले किन्हीं दो गिल्ट खाताधारकों के बीच एक दूसरे के साथ हाज़िर वायदा संविदाएं न की जाएं,

और

iii) सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ हाज़िर वायदा संविदा नहीं करेंगे। यह प्रतिबंध शहरी सहकारी बैंकों और सरकारी प्रतिभूतियों से संबद्ध प्राधिकृत व्यापारियों के बीच वाले रिपो लेनदेन पर लागू नहीं होगा।

(घ) सभी हाज़िर वायदा संविदाओं को तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) पर रिपोर्ट किया जाएगा। गिल्ट खाताधारकों से संबंधित हाज़िर वायदा संविदाओं के संबंध में, जिस अभिरक्षक (अर्थात् सीएसजीएल खाता धारक) के साथ गिल्ट खाते रखे गये हैं वे घटकों (अर्थात् गिल्ट खाता धारक) की ओर से एनडीएस पर लेनदेनों की रिपोर्ट करने के उत्तरदायी होंगे।

(ङ) सभी हाज़िर वायदा संविदाओं का भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में एसजीएल खाते /सीएसजीएल खाते के माध्यम से निपटान किया जाएगा। ऐसी समस्त हाज़िर वायदा संविदाओं के लिए भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल) केंद्रीय काउंटर पार्टी की भूमिका करेगा।

(च) अभिरक्षकों को आंतरिक नियंत्रण तथा समवर्ती लेखा परीक्षा की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि:

i) हाज़िर वायदा लेनदेन केवल गिल्ट खाते में प्रतिभूतियों के स्पष्ट शेष की जमानत पर किये जाते हैं,

ii) ऐसी सभी लेनदेनों को तुरंत एनडीएस पर रिपोर्ट किया जाता है, तथा

iii) उपर्युक्त संदर्भित सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया गया है।

(छ) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित कंपनियां हाज़िर वायदा लेनदेन केवल सांविधिक चलनिधि अनुपात की निर्धारित अपेक्षाओं से अधिक धारित प्रतिभूतियों में ही कर सकते हैं।

(ज) सीएसजीएल धारक अपने संविभाग में वास्तविक रूप से प्रतिभूतिधारण किये बिना तैयार वायदा लेनदेन के पहले चरण में बिक्री लेनदेन आरंभ नहीं करेंगे।

(झ) तैयार वायदा संविदा के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूति संविदा की अवधि के दौरान बेची नहीं जाएगी। ऐसा केवल वे कर सकते हैं जिन्हें शॉर्ट सेलिंग की अनुमति दी गई हो।

(ञ) किसी भी प्रतिभूति में दोहरा तैयार वायदा सौदा कड़ाई से प्रतिबंधित है।

(ट) रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेन के एकरूप लेखांकन के दिशानिर्देश पैराग्राफ 4 में दिए गए हैं।

1.1.3 एसजीएल खाते के माध्यम से लेनदेन

भुगतान पर सुपुर्दगी (डीवीपी) प्रणाली के अंतर्गत, जिसमें प्रतिभूतियों का अंतरण निधियों के अंतरण के साथ-साथ होता है, सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल) खाते के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री के लिए बैंकों को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना चाहिए। अतः बिक्री करने वाले और खरीदने वाले बैंक दोनों के लिए यह जरूरी है कि वे रिज़र्व बैंक के पास चालू खाता रखें। चूंकि चालू खाते में ओवरड्राफ्ट की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी, अतः बैंकों को खरीद लेनदेन करने के लिए चालू खाते में पर्याप्त जमा शेष रखना चाहिए।

i) सरकारी प्रतिभूतियों के ऐसे सभी लेनदेन केवल एस जी एल खातों के माध्यम से किये जाने चाहिए जिनके लिए एस जी एल सुविधा उपलब्ध है।

ii) किसी एक बैंक द्वारा किसी दूसरे बैंक के पक्ष में जारी एस जी एल अंतरण फार्म बिक्री करने वाले के एस जी एल खाते में प्रतिभूतियों का पर्याप्त जमाशेष न होने या खरीददार के चालू खाते में निधियों का पर्याप्त जमाशेष न होने के कारण किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जाना चाहिए।

iii) खरीदार बैंक द्वारा प्राप्त एस जी एल अंतरण फार्म उनके एस जी एल खातों में तत्काल जमा किये जाने चाहिए अर्थात् रिज़र्व बैंक के पास एस जी एल फार्म जमा करने की तारीख अंतरण फार्म हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद एक कार्य दिन के भीतर होगी। जहां ओ टी सी व्यापार के मामलों में निपटान प्रतिभूति संविदा अधिनियम, 1956 की धारा 2 (i) के अनुसार केवल 'हाज़िर' दाति के आधार पर होना चाहिए, वहीं मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में सौदों के मामलों में निपटान उनके नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार सुपुर्दगी अवधि के भीतर होना चाहिए। सभी मामलों में, सहभागियों को 'बिक्री तारीख' के अंतर्गत एस जी एल फार्म के भाग 'ग' में सौदे /व्यापार /संविदा की तारीख का अवश्य उल्लेख करना चाहिए। जहां इसे पूरा नहीं किया जाता है, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एस जी एल फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

iv) बैंक द्वारा धारित एस जी एल फार्म लौटाकर कोई भी बिक्री नहीं की जानी चाहिए।

v) एस जी एल अंतरण फार्मों पर बैंक के दो प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए और उनके हस्ताक्षर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित लोक ऋण कार्यालय तथा अन्य बैंकों के रिकार्ड में होने चाहिए।

vi) एस जी एल अंतरण फार्म भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक फार्मेट में होने चाहिए और अर्थ प्रतिभूति पत्र (सेमी सेक्युरिटी पेपर) पर एकसमान आकार में मुद्रित होने चाहिए। उन पर क्रम संख्या दी जानी चाहिए और प्रत्येक एस जी एल फार्म का हिसाब रखने की नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए।

vii) यदि एस जी एल खाते में पर्याप्त शेष न होने के कारण एस जी एल अंतरण फार्म नकारा जाये तो फार्म जारी करने वाला (विक्रेता) बैंक निम्नलिखित दंडात्मक कार्रवाई का भागी होगा:

क) एसजीएल फार्म की राशि (प्रतिभूति के खरीदार द्वारा अदा की गयी क्रय लागत) विक्रेता बैंक के रिज़र्व बैंक में चालू खाते में तुरंत नामे की जायेगी।

ख) यदि इस प्रकार के नामे से चालू खाते में ओवरड्राफ्ट की स्थिति होगी तो ओवरड्राफ्ट की राशि पर रिज़र्व बैंक द्वारा संबंधित दिन को भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह की मांग मुद्रा ऋण दर से तीन प्रतिशत अंक अधिक की दर पर दण्डात्मक ब्याज लगाया जायेगा। तथापि, यदि भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह की मांग मुद्रा ऋण दर बैंक की मूल ऋण दर से कम हो, जो ब्याज दर के बारे में रिज़र्व बैंक के लागू निदेश में निर्दिष्ट की गयी है, तो वसूल की जाने वाली दंडात्मक लागू दर संबंधित बैंक की मूल ऋण दर से 3 प्रतिशत अंक अधिक होगी।

ग) यदि एस जी एल फार्म तीन बार नकारा जायेगा तो तीसरी बार नकारे जाने से छः महीने की अवधि के लिए उस बैंक को एस जी एल सुविधा का प्रयोग करके व्यापार करने से वंचित कर दिया जायेगा। यदि उक्त सुविधा पुनः प्रारंभ होने के बाद संबंधित बैंक का कोई एस जी एल फार्म पुनः नकारा जायेगा तो उसे रिज़र्व बैंक के सभी लोक ऋण कार्यालयों में एस जी एल सुविधा के प्रयोग से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जायेगा।

घ) खरीदार बैंक के चालू खाते में अपर्याप्त जमाशेष होने के कारण नकारे जाने को एस जी एल सुविधा के प्रयोग से वंचित करने के प्रयोजन के लिए बेचनेवाले बैंक के (बेचने वाले बैंक के विरुद्ध) एस जी एल खाते में अपर्याप्त जमाशेष के कारण नकारे जाने के समकक्ष गिना जायेगा (संबंधित पुनः क्रय करने वाले बैंक के विरुद्ध)। दोनों खातों में (अर्थात् एस जी एल खाते तथा चालू खाते) में नकारे जाने के प्रसंगों को मिलाकर वंचित किये जाने के प्रयोजन के लिए एस जी एल खाते के संबंधित धारक के विरुद्ध गिना जायेगा (अर्थात् अस्थायी निलंबन के लिए छमाही में तीन तथा एसजीएल सुविधा पुनः शुरू होने के बाद किसी नकारे जाने के लिए स्थायी वंचित।)।

1.1.4 बैंक रसीदों का उपयोग (बी आर)

बैंक रसीद जारी करते समय बैंकों को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना चाहिए:

(क) जिन सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एस जी एल सुविधा उपलब्ध है उनके लेन-देन के संबंध में किसी भी परिस्थिति में बैंक रसीद जारी नहीं की जानी चाहिए।

(ख) अन्य प्रतिभूतियों के मामले में भी बैंक रसीद केवल हाज़िर लेन-देन के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में जारी की जा सकती है:

i. जारीकर्ता द्वारा स्क्रिप अभी जारी की जानी है और बैंक के पास आबंटन-सूचना है।

ii. प्रतिभूति भौतिक रूप में किसी अन्य केन्द्र पर रखी है और बैंक अल्प समय में उस प्रतिभूति को भौतिक रूप में अंतरित करने और उसकी सुपुर्दगी देने की स्थिति में है।

iii. प्रतिभूति अंतरण/ब्याज अदायगी के लिए जमा की गयी है और इस तरह जमा करने का आवश्यक रिकार्ड बैंक के पास है और वह प्रतिभूति की भौतिक सुपुर्दगी अल्पकाल में देने की स्थिति में होगा।

(ग) बैंक द्वारा धारित (किसी अन्य बैंक की) किसी बैंक रसीद के आधार पर कोई भी बैंक रसीद जारी नहीं की जानी चाहिए और बैंक द्वारा धारित बैंक रसीदों के केवल विनिमय के आधार पर कोई लेनदेन नहीं होना चाहिए।

(घ) बैंकों के केवल निजी निवेश खातों से संबंधित लेनदेन की ही बैंक रसीदें जारी की जानी चाहिए और बैंकों द्वारा न तो संविभाग प्रबंधन योजना के ग्राहकों के खातों से संबंधित लेनदेनों की और न ही दलालों सहित अन्य ग्राहकों के खातों से संबंधित लेनदेनों की बैंक रसीद जारी की जानी चाहिए।

(ङ) कोई भी बैंक रसीद 15 दिन से अधिक के लिए बकाया नहीं रहनी चाहिए।

(च) बैंक रसीदें स्क्रिप की वास्तविक सुपुर्दगी द्वारा मोचित की जानी चाहिए, न कि लेनदेन के रद्द / अन्य लेनदेन के समंजन द्वारा। यदि बैंक रसीद को 15 दिन की वैधता अवधि के भीतर स्क्रिप की सुपुर्दगी द्वारा मोचित नहीं किया जाता है तो बैंक रसीद को अस्वीकृत समझा जायेगा तथा जिस बैंक ने बैंक रसीद जारी की है, उसे मामला रिजर्व बैंक को भेजना चाहिए जिसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्क्रिप की सुपुर्दगी नहीं की जा सकने के कारणों को तथा लेनदेन निपटान का प्रस्तावित तरीका स्पष्ट किया जाये।

(छ) बैंक रसीदें मानक फार्मेट (भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित) में अर्ध प्रतिभूति पत्र पर जारी की जानी चाहिए, जिन पर क्रम संख्या हो और बैंक के ऐसे दो प्राधिकृत अधिकारियों के उन पर हस्ताक्षर होने चाहिए जिनके हस्ताक्षर अन्य बैंकों के पास रिकार्ड में हों। जैसा कि एस जी एल फार्मों के मामले में है, प्रत्येक बैंक रसीद के फार्म का हिसाब रखने की नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए।

(ज) जारी की गयी बैंक रसीदों और प्राप्त बैंक रसीदों के अलग-अलग रजिस्टर होने चाहिए और इनका प्रणालीबद्ध रूप में पालन करना तथा निर्धारित समय-सीमा में उनका समापन करना सुनिश्चित करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(झ) बैंकों में अप्रयुक्त बैंक रसीद फार्मों की अभिरक्षा तथा उनके प्रयोग के लिए उपयुक्त प्रणाली भी होनी चाहिए। बैंक के संबंधित कार्यालयों/विभागों में इन नियंत्रणों के विद्यमान होने और परिचालनों की समीक्षा अन्यों के साथ, सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की जानी चाहिए तथा इस आशय का एक प्रमाणपत्र हर वर्ष

रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को भेजा जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में बैंक का प्रधान कार्यालय हो।

(त्र) बैंक रसीदों से संबंधित अनुदेशों के किसी भी उल्लंघन पर दण्ड स्वरूप कार्रवाई की जायेगी, जिसमें प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं को बढ़ाना, रिज़र्व बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त सुविधा को वापस लेना तथा मुद्रा बाज़ार में पहुंच रोकना शामिल हो सकता है। रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अनुसरण में उपयुक्त समझा जानेवाला कोई अन्य दंड भी लगा सकता है।

1.1.5 सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री

बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकों से इतर ग्राहकों के साथ सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री का कारोबार कर सकते हैं:

i) इस प्रकार की खुदरा बिक्री एकमुश्त आधार पर होनी चाहिए तथा बिक्री और खरीद के बीच अवधि का कोई प्रतिबंध नहीं है।

ii) सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री गौण बाज़ार में लेनदेन से उत्पन्न चालू बाज़ार दरों/प्रतिफल वक्र पर आधारित होनी चाहिए।

1.1.6 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

निवेश लेनदेनों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए बैंकों को निम्नलिखित दिशानिर्देश अपनाने चाहिए:

(क) (i) व्यापार, (ii) निपटान, निगरानी और नियंत्रण तथा (iii) हिसाब रखने के कार्य स्पष्ट रूप से अलग-अलग होने चाहिए। इसी तरह बैंकों के निजी निवेश खातों, संविभाग प्रबंधन योजना के ग्राहकों के खातों तथा अन्य ग्राहकों (दलालों सहित) के खातों के संबंध में व्यापार और पश्च कार्यालय कार्य भी अलग-अलग होने चाहिए। ग्राहकों को संविभाग प्रबंधन सेवा, इस संबंध में निदिष्ट दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए प्रदान की जानी चाहिए (पैराग्राफ 1.3.3 में शामिल)। साथ ही,

संविभाग प्रबंधन योजना के ग्राहक-खातों की लेखा-परीक्षा बाहरी लेखा-परीक्षकों द्वारा अलग से करायी जानी चाहिए।

(ख) किये गये प्रत्येक लेनदेन के लिए इस तरह का व्यापार करने वाले डेस्क पर सौदे की पर्ची तैयार की जानी चाहिए, जिसमें सौदे के स्वरूप से संबंधित आंकड़े, प्रतिपक्ष का नाम, क्या यह सीधा सौदा है अथवा दलाल के माध्यम से और यदि दलाल के माध्यम से है तो दलाल का नाम, प्रतिभूति के ब्यौरे, राशि, मूल्य, संविदा की तारीख और समय से संबंधित ब्यौरे दिये जायें। उक्त सौदा पर्चियों पर क्रम संख्या दी जाये और उनका अलग से नियंत्रण किया जाये, ताकि प्रत्येक पर्ची का ठीक से हिसाब रखना सुनिश्चित किया जा सके। एक बार सौदा पूरा हो जाने पर सौदाकर्ता उस सौदा

पर्ची को तुरंत पश्च कार्यालय को रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग के लिए भेज दे। प्रत्येक सौदे के लिए प्रतिपक्ष को पुष्टि जारी करने की प्रणाली अवश्य होनी चाहिए। प्रतिपक्ष से अपेक्षित लिखत पुष्टि समय पर प्राप्त होने की निगरानी पश्च कार्यालय द्वारा की जानी चाहिए। उक्त पुष्टि में संविदा के सभी आवश्यक ब्यौरे शामिल होने चाहिए।

(ग) एनडीएस -ओएम मॉड्यूल से मेल किए गए लेनदेनों के संदर्भ में, चूंकि सभी सौदों में सीसीआईएल केंद्रीय प्रतिपक्ष है, व्यापार के लिए किसी प्रतिपक्ष का एक्सपोजर केवल सीसीआईएल के प्रति होगा, न कि उस संस्था के प्रति जिसके साथ सौदे करता है। इसके अलावा, एनडीएस - ओएम संबंधी सभी सौदों के ब्यौरों की जब भी जरूरत हो तो वे प्रतिपक्ष को एनडीएस - ओएम के संबंध में रिपोर्टों के रूप में उपलब्ध है। उपर्युक्त को देखते हुए, एनडीएस-ओएम पर मैच किए गए सौदों की प्रतिपक्ष की पुष्टि की जरूरत नहीं है। ओटीसी बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन में किए गए सौदों का निपटान सीसीआईएल के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं जिसकी सूचना एनडीएस पर दी जाए। इन सौदों का भौतिक रूप से पुष्टि करना आवश्यक नहीं है क्योंकि एनडीएस-ओएम सौदों की तरह ओटीएस सौदे एनडीएस प्रणाली पर दोनों प्रतिपक्षों के पश्च कार्यालयों (बैंक ऑफिस) द्वारा की गई पुष्टि पर निर्भर करते हैं।

तथापि, उपर्युक्त लेनदेन से इतर, सभी सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेनों की अब तक की तरह, प्रतिपक्ष के पश्च कार्यालयों द्वारा भौतिक रूप से पुष्टि करना जारी रहेगा।

(घ) एक बार सौदा पूरा हो जाने पर जिस दलाल के माध्यम से सौदा किया गया है उसके द्वारा प्रतिपक्ष बैंक के स्थान पर किसी अन्य बैंक को नहीं रखा जाना चाहिए, इसी तरह सौदे में बेची गयी/खरीदी गयी प्रतिभूति के स्थान पर कोई दूसरी प्रतिभूति नहीं होनी चाहिए।

(ङ) पश्च कार्यालय द्वारा पारित वाउचरों के आधार पर लेखा अनुभाग को खाता बहियां स्वतंत्र रूप से लिखनी चाहिए (दलाल/प्रतिपक्ष से प्राप्त वास्तविक संविदा नोट और प्रतिपक्ष द्वारा सौदे की पुष्टि के सत्यापन के बाद वाउचर पारित किये जाने चाहिए)।

(च) संविभाग प्रबंध योजना के ग्राहकों (दलालों सहित) के खाते से संबंधित लेनदेनों के मामले में सभी प्रासंगिक रिकार्डों में यह स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि उक्त लेनदेन संविभाग प्रबंधन योजना के ग्राहकों/अन्य ग्राहकों का है और वह बैंक के अपने निवेश खाते का नहीं है और बैंक केवल न्यासी/एजेन्सी की हैसियत से कार्य कर रहा है।

(छ) (i) जारी किये गये/प्राप्त एस जी एल अंतरण फार्मों का रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

(ii) बैंक की बहियों के अनुसार जमाशेष का समाधान (मिलान) हर तिमाही के लोक ऋण कार्यालयों की बहियों में शेष से किया जाना चाहिए। यदि लेनदेनों

की संख्या से आवश्यक हो तो उक्त समाधान और जल्दी-जल्दी किया जाना चाहिए, जैसे कि मासिक आधार पर। इस समाधान की आवधिक जांच आंतरिक लेखा विभाग द्वारा की जानी चाहिए।

(iii) विक्रेता बैंक द्वारा क्रेता बैंक के पक्ष में जारी किये गये एस जी एल अंतरण फार्म को नकारे जाने की जानकारी क्रेता बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को तुरंत दी जानी चाहिए।

(iv) जारी की गयी / प्राप्त की गयी बैंक रसीदों का रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

(v) अन्य बैंकों से प्राप्त बैंक रसीदों और एस जी एल अंतरण फार्मों की प्रामाणिकता के सत्यापन तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पुष्टिकरण की प्रणाली अपनायी जानी चाहिए।

(ज) प्रतिभूतियों के लेनदेन के ब्यौरे, अन्य बैंकों द्वारा जारी किये गये एस जी एल अंतरण फार्मों के नकारे जाने के ब्यौरे और एक महीने से अधिक के लिए बकाया बैंक रसीदों के ब्यौरे और उक्त अवधि में किये गये निवेश लेनदेनों की समीक्षा की जानकारी साप्ताहिक आधार पर उच्च प्रबंध-तंत्र को देने की प्रणाली बैंकों को अपनानी चाहिए।

(झ) अंतर-बैंक लेनदेनों सहित तीसरी पार्टी के लेनदेनों के लिए बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अपने खाते पर चेक आहरित नहीं करने चाहिए। इस प्रकार के लेनदेनों के लिए बैंकर चेक/अदायगी आदेश जारी किये जाने चाहिए।

(ञ) शेयरों में निवेश की चौकसी एवं निगरानी का कार्य बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा, जो अपनी प्रत्येक बैठक में ऊपर उल्लिखित विभिन्न रूपों में पूंजी बाजार में बैंक के कुल ऋण आदि जोखिम, निधि-आधारित और गैर निधि-आधारित दोनों, की समीक्षा करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाये तथा जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणालियां स्थापित की जायें;

(ट) लेखा-परीक्षा समिति पूंजी बाजार में समग्र ऋण आदि जोखिम, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुपालन, जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के बारे में बोर्ड को सूचित किया करेगी;

(ठ) हितों में किसी संभावित टकराव को रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शेयर दलाल (स्टॉक ब्रोकर) बैंकों के बोर्डों में निदेशक के रूप में अथवा किसी अन्य क्षमता में निवेश समिति में अथवा शेयर आदि में निवेश संबंधी निर्णय लेने अथवा शेयरों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करने की प्रक्रिया में शामिल न किये जायें।

(ड) आंतरिक लेखा विभाग को प्रतिभूति के लेनदेन की लेखा-परीक्षा लगातार करते रहना चाहिए और प्रबंध-तंत्र की निर्धारित नीतियों तथा निर्धारित क्रिया-विधि के अनुपालन पर निगरानी रखनी चाहिए और कमियों की सूचना बैंक के उच्च प्रबंध-तंत्र को सीधे देनी चाहिए।

(ढ) बैंकों के प्रबंध-तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवेश संविभाग के संचालन के संबंध में अनुदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और लेखा-परीक्षा क्रियाविधियां मौजूद हैं। बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विवेकपूर्ण मानदंडों और अन्य दिशानिर्देशों के अनुपालन पर निगरानी की नियमित प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। बैंकों को प्रमुख क्षेत्रों में अनुपालन को अपने लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित कराना चाहिए तथा इस प्रकार का लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र रिजर्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय आता हो।

1.1.7 दलालों की नियुक्ति

i) निवेश लेनदेन करने के लिए दलालों को लगाने के लिए बैंकों को निम्नलिखित दिशानिर्देश अपनाने चाहिए:

(क) एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच लेनदेन दलालों के खातों के माध्यम से नहीं किये जाने चाहिए। लेनदेन करने के लिए दलाल को यदि सौदे पर दलाली, देय हो तो (यदि सौदा दलाल की सहायता के द्वारा किया गया हो) अनुमोदन लेने हेतु वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को प्रस्तुत नोट/मेमोरेण्डम में स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख किया जाना चाहिए तथा अदा की गयी दलाली का प्रत्येक दलाल के अनुसार अलग हिसाब रखा जाना चाहिए।

(ख) यदि कोई सौदा दलाल की सहायता से किया जाये तो दलाल की भूमिका सौदे के दोनों पक्षों को साथ लाने तक सीमित रहनी चाहिए।

(ग) सौदे के संबंध में बातचीत के समय यह आवश्यक नहीं है कि दलाल उस सौदे के प्रतिपक्ष का नाम प्रकट करे, तथापि सौदा पूरा होने पर उसे प्रतिपक्ष का नाम बताना चाहिए और उसके संविदा नोट में प्रतिपक्ष का नाम स्पष्ट बताया जाना चाहिए। बैंक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दलाल के नोट में सौदे का सही समय दिया जाता है। उनका पथ कार्यालय यह सुनिश्चित करे कि दलाल के नोट तथा डील टिकट में सौदे का समय समान है। बैंक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समवर्ती लेखा-परीक्षक इस पहलू की लेखा-परीक्षा करते हैं।

(घ) प्रतिपक्ष का नाम प्रकट करने वाले संविदा नोट के आधार पर बैंकों के बीच सौदे का निपटान अर्थात् निधि का निपटान और प्रतिभूति की सुपुर्दगी सीधे बैंकों के बीच होनी चाहिए और इस प्रक्रिया में दलाल की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।

(ड) बैंकों को अपने उच्च प्रबंध-तंत्र के अनुमोदन से अनुमोदित दलालों का पैनल तैयार करना चाहिए, जिस पर वार्षिक आधार पर अथवा आवश्यक हो तो और शीघ्र पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दलालों का पैनल बनाने के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित होना चाहिए, जिसमें उनकी साख-पात्रता, बाजार में प्रतिष्ठा आदि का सत्यापन शामिल हो। जिन दलालों के माध्यम से सौदे किये जाएं उनके दलालवार व्यौरों और अदा की गयी दलाली का रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

(च) केवल एक या थोड़े से ही दलालों के माध्यम से अनुपात से अधिक व्यवसाय नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक अनुमोदित दलाल के लिए समग्र संविदा सीमाएं बैंकों को निश्चित करनी चाहिए। किसी बैंक द्वारा एक वर्ष के दौरान किये गये कुल लेनदेनों (क्रय और विक्रय दोनों) के 5 प्रतिशत की सीमा को प्रत्येक अनुमोदित दलाल के लिए समग्र उच्चतम संविदा सीमा माना जाना चाहिए। इस सीमा में बैंक द्वारा स्वयं आरंभ किया गया व्यवसाय तथा किसी दलाल द्वारा बैंक को प्रस्तुत किया गया / लाया गया व्यवसाय शामिल होगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक वर्ष के दौरान अलग-अलग दलालों के माध्यम से किये गये लेनदेन सामान्यतः इस सीमा से अधिक न हों। तथापि, किसी कारणवश किसी दलाल के लिए समग्र सीमा बढ़ानी आवश्यक हो जाये तो उक्त लेनदेन करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में उसके विशेष कारण अभिलिखित किये जाने चाहिए। इसके साथ ही इस कार्य के बाद बोर्ड को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। तथापि, प्राथमिक व्यापारियों के माध्यम से किये गये बैंकों के लेनदेनों पर 5 प्रतिशत का मानदण्ड लागू नहीं होगा।

(छ) कोषागार परिचालनों (ट्रेजरी आपरेशन्स) की लेखा-परीक्षा करने वाले समवर्ती लेखा परीक्षकों को दलालों के माध्यम से किये गये कारोबार की जांच करनी चाहिए और बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली अपनी मासिक रिपोर्ट में उसे शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उक्त सीमा से अधिक किसी एक दलाल या दलालों के माध्यम से किये गये कारोबार को, उसके कारणों सहित निदेशक मंडल/स्थानीय परामर्शी बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली अर्ध वार्षिक समीक्षा में शामिल करना चाहिए। ये अनुदेश बैंकों की सहायक कंपनियों और म्युचुअल फंडों पर भी लागू होते हैं।

[उक्त अनुदेशों के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण अनुबंध II में दिये गये हैं।]

ii) अंतर-बैंक प्रतिभूतियों के लेनदेन बैंकों के बीच सीधे ही होने चाहिए और ऐसे लेनदेनों में किसी बैंक को किसी दलाल की सेवाएं नहीं लेनी चाहिए।

अपवाद:

नोट (i) बैंक, प्रतिभूति लेनेदेन आपस में या गैर बैंक ग्राहकों के साथ राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई), ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (ओटीसीईआइ) और स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई (बीएसई) के सदस्यों के माध्यम से कर सकते हैं। यदि ऐसे लेनदेन एन एसई, ओटीसीईआइ या बीएसई पर नहीं किये जा रहे हों तो बैंकों द्वारा, दलालों की सेवाएं लिये बिना ही, स्वयं किये जाने चाहिए।

नोट (ii) यद्यपि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में 'प्रतिभूतियां' शब्द का अर्थ, कंपनी निकायों के शेयर, डिबेंचर, सरकारी प्रतिभूतियां और राइट्स या प्रतिभूतियों में हित है, परंतु 'प्रतिभूतियां' शब्द में कंपनी निकायों के शेयर शामिल नहीं होंगे। उपर्युक्त नोट (i) के प्रयोजनार्थ इंडियन ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीकृत भविष्य/पेंशन निधियां और न्यास 'गैर बैंक ग्राहक' पद की परिधि से बाहर रहेंगे।

1.1.8 निवेश लेनदेनों की लेखा-परीक्षण, समीक्षा और रिपोर्ट देना

बैंकों को निवेश लेनदेनों की लेखा-परीक्षा, समीक्षा और सूचना देने के संबंध में निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना चाहिए:

क) बैंक अपने निवेश संविभाग की छमाही समीक्षा (30 सितंबर और 31 मार्च की) करें, जिसमें निवेश संविभाग के अन्य परिचालनगत पहलुओं के अलावा निवेश नीति में किये गये संशोधन स्पष्ट रूप से बताये जायें और बतायी गयी आंतरिक निवेश नीति एवं क्रियाविधि तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का दृढ़ता से पालन करने का प्रमाणपत्र दिया जाये। यह समीक्षा अपने संबंधित निदेशक मंडल को एक महीने में अर्थात् अप्रैल के अंत और अक्टूबर के अंत में प्रस्तुत की जाये।

ख) बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत की गयी समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय) को क्रमशः 15 नवंबर और 15 मई तक भेजी जाये।

ग) दुरुपयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए, खजाना लेनदेनों की समवर्ती लेखा-परीक्षा आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा अलग से की जानी चाहिए और उनकी

लेखा-परीक्षा के परिणाम प्रत्येक महीने एक बार बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किये जाने चाहिए। बैंकों को उपर्युक्त समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्टों की प्रतिलिपियां भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, इन रिपोर्टों में पायी गयी प्रमुख अनियमितताओं तथा उनके अनुपालन की स्थिति को निवेश संविभाग की अर्ध-वार्षिक समीक्षा में सम्मिलित किया जाए।

1.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेश

1.2.1

i) मूल्यांकन

बैंकों ने उन बांडों में निजी तौर पर काफी निवेश किया है जिनकी साख श्रेणी निर्धारित नहीं की गई है और कुछ मामलों में तो उन कंपनियों के बांडों में निवेश किया है, जो कंपनियों उनकी ग्राहक भी नहीं हैं। निजी तौर पर निवेश के ऐसे प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय हो सकता है कि बैंक मानकीकृत और अधिदेशात्मक प्रकटीकरण, जिनमें साख श्रेणी निर्धारण शामिल है, के न होने की वजह से निवेश के बारे में निर्णय लेने के लिए उचित अध्ययन करने की स्थिति में न हों। इस प्रकार निजी तौर पर किये गये निर्गमों के मूल्यांकन में कमियां हो सकती हैं।

ii) प्रस्ताव दस्तावेजों में प्रकटीकरण अपेक्षाएं

प्रस्ताव के दस्तावेजों में पर्याप्त प्रकटीकरण न होने से उत्पन्न जोखिम का निर्धारण किया जाना चाहिए और बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक नीति के रूप में ऐसे प्रकटीकरण के संबंध में न्यूनतम मानक निर्धारित करें। इस संबंध में, हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक तकनीकी दल का गठन किया था, जिसमें कुछ बैंकों के खज़ाना विभाग के अधिकारी और कंपनी वित्त के विशेषज्ञ शामिल थे। इस दल का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों द्वारा सामान्यतः सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों को और विशेष रूप से निजी तौर के निर्गमों में निवेश के लिए अपनायी जानी वाली पद्धतियों का अध्ययन करना तथा इन निवेशों को विनियमित करने के लिए उपायों का सुझाव देना था। उक्त दल ने एक फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें निजी निर्गमों के लिए प्रकटीकरण करने के संबंध में न्यूनतम अपेक्षाएं तथा दस्तावेजों और प्रभार निर्मित करने के बारे में कतिपय शर्तें निहित हैं। यह बैंकों के लिए 'सर्वोत्तम प्रथा के मॉडल' के रूप में काम आ सकता है। उक्त दल की सिफारिशों के ब्योरे अनुबंध III में दिये जा रहे हैं और बैंक तकनीकी दल की सिफारिशों के अनुसार प्रकटीकरण से संबंधित अपेक्षाओं का उपयुक्त फॉर्मेट अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से तत्काल लागू करें।

(iii) आंतरिक मूल्यांकन

यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि गैर-श्रेणीबद्ध निर्गमों में निजी तौर पर निवेश, उधारकर्ता ग्राहक और उधार न लेने वाले ग्राहक दोनों के निवेश से प्रणालीगत चिंता की कोई बात नहीं है, यह आवश्यक है कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनकी निवेश नीतियां निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल के अनुमोदन से बनायी गयी हैं:

(क) बैंक का निदेशक मंडल बांडों और डिबेंचरों में निवेशों के संबंध में नीति और विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करे, जिसमें निजी तौर पर निवेशों के लिए उच्चतम सीमा, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के बांडों, कंपनी बांडों, गारंटीकृत बांडों, निर्गमकर्ता की उच्चतम सीमा आदि के लिए उप सीमाएं तय हों।

(ख) निवेश के प्रस्तावों का ऋण जोखिम विश्लेषण उसी तरह किया जाये, जिस तरह किसी ऋण प्रस्ताव का किया जाता है। बैंकों को अपना आंतरिक ऋण विश्लेषण और

साख श्रेणी-निर्धारण उन निर्गमों के संबंध में भी करना चाहिए जिनकी साख श्रेणी पूर्व निर्धारित हो और केवल बाहरी एजेंसियों के श्रेणी-निर्धारण पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। उधार न लेने वाले ग्राहकों द्वारा जारी किये गये लिखतों में निवेश के संबंध में मूल्यांकन और भी अधिक कड़ाई से किया जाना चाहिए।

(ग) बैंकों को अपनी आंतरिक श्रेणी निर्धारण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। इन प्रणालियों में, निर्गमकर्ताओं/निर्गमों के साख श्रेणी परिवर्तन पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने की दृष्टि से निर्गमकर्ता की वित्तीय स्थिति पर नियमित रूप से (तिमाही या अर्ध-वार्षिक) नज़र रखने की प्रणाली शामिल की जाए।

(घ) यह विवेकपूर्ण होगा कि बैंक प्रवेश स्तर पर ही न्यूनतम श्रेणी निर्धारण/ गुणवत्ता मानक और उद्योगवार, अवधि के अनुसार, निर्गमकर्तावार आदि सीमाएं निर्धारित करें, ताकि संकेंद्रण और चलनिधि की कमी के जोखिम का प्रतिकूल प्रभाव कम से कम हो।

(ङ) इन निवेशों के संबंध में जोखिम की जानकारी प्राप्त करने और उसका विश्लेषण करने और समय पर निवारक कार्रवाई करने के लिए बैंकों को उचित जोखिम प्रबंध प्रणाली लागू करनी चाहिए।

(iv) कुछ बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने कंपनियों के बांडों, डिबेंचरों आदि में निवेश करते समय रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित/प्रकाशित चूककर्ताओं की सूची पर उचित ध्यान नहीं दिया है। अतः बांडों, डिबेंचरों, शेयरों आदि में निवेश करने का निर्णय लेते समय बैंक उचित सावधानी बरतें और यह सुनिश्चित करें कि निवेश बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की देनदारी में चूक करने वाली कंपनी/इकाई में नहीं किया गया है। इसके लिए वे चूककर्ताओं की सूची अवश्य देख लें। कुछ कंपनियों के बैंक खाते अपने उद्योग विशेष में, जैसे वस्त्र उद्योग में चल रही मंदी के चलते प्रतिकूल वित्तीय स्थिति से गुजरने के कारण अवमानक के वर्ग में आ सकते हैं। रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन पुनर्गठन सुविधा के बावजूद यह रिपोर्ट मिली है कि बैंक आगे और वित्त प्रदान करने में हिचकिचाते हैं, जबकि मामले की गुणवत्ता को देखते हुए वित्त प्रदान करना आवश्यक था। बैंक ऐसी कंपनियों में निवेश के प्रस्तावों को अस्वीकार न करें जिनके निदेशक (कों) के नाम रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर परिचालित चूककर्ता कंपनियों की सूची में हों, विशेष रूप से उन ऋण खातों के संबंध में निवेश के प्रस्तावों को अस्वीकार न करें जिन्हें रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अधीन पुनर्गठित किया गया है, बशर्ते कि प्रस्ताव व्यवहार्य हो और ऐसा ऋण प्रदान करने के लिए वह सभी शर्तें पूरी करता हो।

सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड

1.2.2 व्याप्ति

इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत कॉर्पोरेट, बैंक वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य तथा केंद्र सरकार प्रायोजित संस्थाओं, एसपीवी आदि द्वारा जारी की गयी सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियां तथा पूंजीगत अभिलाभ बांड, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र स्तर के लिए पात्र बांड, शामिल होंगे। यह दिशा-निर्देश प्राथमिक बाजार तथा अनुषंगी बाजार दोनों में किये गये निवेशों पर लागू होंगे।

1.2.3 पैरा 1.2.7 तथा पैरा 1.2.16 के अनुसार सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों से संबंधित सूचीकरण तथा रेटिंग पर जारी दिशा-निर्देश बैंकों के निवेशों की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू नहीं होंगे:

(क) केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सीधे जारी की गयी ऐसी प्रतिभूतियां जिनकी एसएलआर प्रयोजनों से गणना नहीं होती है।

(ख) ईक्विटी शेयर

(ग) ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड योजनाओं अर्थात् ऐसी योजनाओं के यूनिट जहां मूल निधि के किसी भी हिस्से का ईक्विटी में निवेश किया जा सकता है।

(घ) जोखिम पूंजी निधियों द्वारा जारी ईक्विटी/ऋण लिखत

(ड.) वाणिज्यिक पत्र

(च) जमा प्रमाण पत्र

1.2.4 दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करते समय दृष्टिकोण में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन दिशानिर्देशों में उपयोग में लाये गये कुछ शब्दों को **अनुबंध IV** में परिभाषित किया गया है।

विनियामक आवश्यकताएं

1.2.5 बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाले वाणिज्यिक पत्र तथा जमा प्रमाणापत्रों को छोड़कर एक वर्ष से कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करना चाहिए।

1.2.6 सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में बैंकों को सामान्य सतर्कता बरतनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश कतिपय प्रयोजनों के लिए ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए बैंकों को प्रतिबंधित करते हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों के माध्यम से जमा की गयी निधियों द्वारा इन कार्यकलापों का वित्तपोषण नहीं होता है।

सूचीबद्धता तथा श्रेणी निर्धारण आवश्यकताएं

1.2.7 बैंकों को ऐसी सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करना चाहिए जिनकी श्रेणी निर्धारित न की गई हो। तथापि, बैंक बुनियादी सुविधा संबंधी कार्यकलापों

में लगी कंपनियों के ऐसे बांडों में निवेश कर सकते हैं, जिनका श्रेणीनिर्धारण नहीं किया गया है। ये निवेश नीचे पैरा 1.2.10 में यथानिर्दिष्ट सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर, सूचीबद्ध न की गई प्रतिभूतियों के लिए निर्धारित प्रतिशत की उच्चतम सीमा के भीतर हों।

1.2.8 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने 30 सितंबर 2003 के अपने परिपत्र (11 मई 2009 के परिपत्र द्वारा संशोधित) में उन अपेक्षाओं का निर्धारण किया है जिनका अनुपालन संस्थागत बिक्री के आधार पर तथा स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किया जाना है। इस परिपत्र के अनुसार, किसी भी सूचीबद्ध कंपनी को जो संस्थागत बिक्री के आधार पर तथा स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम कर रही है, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची II, सेबी (प्रकटीकरण तथा निवेशक सुरक्षा) दिशा-निर्देश 2000 तथा एक्सचेंजस के साथ सूचीबद्धता समझौता में निर्धारित तरीके से संपूर्ण प्रकटीकरण (प्रारंभिक तथा निरंतर) करने होंगे। साथ ही, ऋण प्रतिभूतियों का साख श्रेणी निर्धारण सेबी के पास पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी से ऐसा क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए जो कि निवेश ग्रेड से कम नहीं है।

1.2.9 तदनुसार, सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में नये निवेश करते समय, बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे निवेश केवल उन कंपनियों की सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में किये जाएं जो कि नीचे दिये गये पैराग्राफ 1.2.10 तथा 1.2.11 में दर्शायी गयी सीमा को छोड़कर, 30 सितंबर 2003 के सेबी परिपत्र (11 मई 2009 के परिपत्र द्वारा संशोधित) की अपेक्षाओं का अनुपालन करती हैं।

विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण

1.2.10 बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश, पिछले वर्ष 31 मार्च की स्थिति से सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में उनके कुल निवेश से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंक ऊपर निर्दिष्ट सीमाओं तक जिन गैर-सूचीबद्ध सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, उन्हें सेबी द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों के लिए निर्धारित प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा। इसके अलावा चूंकि सूचीकरण के लिए प्रस्तावित परंतु अभिदान के समय तक सूचीबद्ध नहीं हुई प्रतिभूतियों को जारी करने के बीच अंतराल रहता है इसलिए बाजार (बाजारों) में सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के मामले में बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों (प्राथमिक एवं अनुषंगी बाजार दोनों) में निवेश को निवेश के समय सूचीबद्ध प्रतिभूति में निवेश के रूप में माना जाए। तथापि, यदि ऐसी प्रतिभूति निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचीबद्ध नहीं होती है तो उस पर भी 10 प्रतिशत की गैर सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए निर्धारित सीमा लागू होगी। यदि गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के अंतर्गत शामिल निवेश के कारण 10 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन होता है तो बैंक को गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों (प्राथमिक और अनुषंगी दोनों) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों से जुड़ी कंपनियों द्वारा जारी अनरेटेड बांडों में आगे और निवेश करने की अनुमति नहीं दी

जाएगी, जब तक कि गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंक का निवेश 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर न आ जाए।

1.2.11 बैंक का गैर-सूचीबद्ध सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में निवेश 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक अतिरिक्त 10 प्रतिशत हो सकता है, बशर्ते यह निवेश मूलभूत सुविधागत परियोजनाओं के लिए जारी किये गये प्रतिभूतिकरण पत्रों तथा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी किये गये बांड/डिबेंचरों में किये गये निवेश के कारण है। अन्य शब्दों में इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में अनन्य निवेश, सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेश के 20 प्रतिशत की अनुमत अधिकतम सीमा तक हो सकता है।

1.2.12 उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में निवेश को "असूचीबद्ध गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियों" में नहीं की जाएगी:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें।

(ii) न्यूनतम निवेश ग्रेड पर अथवा उससे ऊपर निर्धारित श्रेणी की आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों तथा बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश। तथापि, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा अलग से भेजे गये प्रोफार्मा के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली मासिक रिपोर्टों के आधार पर विशिष्ट बैंक आधार पर आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों में निवेशों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) गैर-सूचीबद्ध परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश। तथापि, इन लिखतों में किए गए निवेशों को "पूंजी बाज़ार एक्सपोजर" के रूप में माना जाएगा।

1.2.13. पिछले वर्ष के 31 मार्च को बैंक की सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर कुल प्रतिभूतियों के 10 प्रतिशत की विवेकपूर्ण सीमा के अनुपालन के निर्धारण हेतु ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ)/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)/आरएसडीएफ जमा में किए गए निवेश की गणना भाज्य तथा भाजक के भाग के रूप में नहीं की जाएगी।

1.2.14 1 जनवरी 2005 से केवल ऐसी म्युच्युअल फंड योजनाओं के यूनिटों में किया गया निवेश ही उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन के प्रयोजन से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के समान समझा जाएगा जिनका निवेश असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश फंड की मूल निधि के 10 प्रतिशत से कम है। म्युच्युअल फंड की मूल निधि के 10 प्रतिशत से कम के मानदंड का अनुपालन करने हेतु गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में एक्सपोजर की गणना करते समय खजाना बिलों, संपार्श्विकृत उधार और ऋणदात्री बाध्यता (सीबीएलओ), रिपो/रिवर्स रिपो और बैंक की मीयादी जमाराशियों को भाज्य में शामिल नहीं किया जाए।

1.2.15 दिशानिर्देशों में निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के प्रयोजन से संकेतक अर्थात् 'सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेश' में तुलनपत्र से संलग्न अनुसूची 8 में निम्नलिखित 4 संवर्ग अर्थात् 'शेयर', 'बांड तथा डिबेंचर', 'सहायक/संयुक्त उद्यम' तथा "अन्य" के अंतर्गत किया गया निवेश शामिल होगा।

1.2.16 जिन बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च की अपनी कुल सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों के 10 प्रतिशत की विवेकपूर्ण सीमा के भीतर है वे ऐसी प्रतिभूतियों में विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर नया निवेश कर सकते हैं।

बोर्ड की भूमिका

1.2.17 बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित निवेश नीतियां सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में निवेश पर इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट समस्त संबंधित मामलों को ध्यान में लेते हुए तैयार की गयी हैं। बैंकों को सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेश के संबंध में जाखिम का विश्लेषण करने तथा उस पर रोक लगाने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां स्थापित करना चाहिए कि निजी तौर पर आंबटित लिखतों में निवेश, संबंधित बैंक की निवेश नीति के अंतर्गत निर्धारित प्रणालियों तथा क्रियाविधियों के अनुसार किया गया है।

1.2.18 बैंकों के बोर्ड को सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेश के निम्नलिखित पहलुओं की कम-से-कम तिमाही अंतरालों पर समीक्षा करनी चाहिए।

क) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल कारोबार (निवेश तथा विनिवेश)।

ख) सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेश के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन

ग) सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का अनुपालन

घ) बैंक की बहियों में निर्गमकर्ताओं/निर्गमों का रेटिंग अंतरण तथा उसके परिणामस्वरूप संविभाग की गुणवत्ता में होने वाला हास।

ड) सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर श्रेणी में अनर्जक निवेशों का परिमाण।

प्रकटीकरण

1.2.19 ऋण के निजी तौर पर आबंटन से संबंधित केंद्रीय डाटाबेस निर्माण करने में सहायता की दृष्टि से निवेशकर्ता बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे सभी प्रस्ताव दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (भारत) लि. (सिबिल) को भेजें। साथ ही, निवेशकर्ता बैंक को चाहिए कि किसी भी निजी तौर पर आबंटित ऋण के मामले में ब्याज /किस्त से संबंधित चूक की जानकारी भी प्रस्ताव दस्तावेज की प्रतिलिपि के साथ सिबिल को भेज दें।

1.2.20 बैंक सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर अनर्जक निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना के ब्योरे अनुबंध V में दर्शाए गए अनुसार तुलनपत्र की 'लेखे पर टिप्पणियों' में प्रकट करें।

ऋण प्रतिभूतियों में खरीद-बिक्री तथा निपटान

1.2.21 सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार हाज़िर सौदे को छोड़कर सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति में समस्त खरीद-बिक्री केवल स्टॉक एक्सचेंज की खरीद-बिक्री के माध्यम से निष्पादित होगी। सेबी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के अलावा, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित तारीख से सूचीबद्ध तथा असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में सभी हाज़िर सौदों को तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) पर रिपोर्ट किया जाता है और भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीएल) के माध्यम से उनका निपटान होता है। एनएससीसीएल तथा आइसीसीएल द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार 01 दिसंबर 2009 से कार्पोरेट बांडों में किए गए सभी ओटीसी व्यापार का समाधान और निपटान एनएससीसीएल अथवा आइसीसीएल के माध्यम से करना आवश्यक होगा।

1.2.22 कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो

अनुबंध 1-3 के अंतर्गत दिए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र संस्थाएं रेटिंग एजेंसियों द्वारा 'एए' अथवा उससे अधिक रेटिंग प्राप्त ऐसी कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो कर सकते हैं जो रिपो विक्रेता के प्रतिभूति खाते में डिमैट रूप में रखी गई हों। तथापि, वाणिज्यिक पत्र (सीपी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) तथा एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) सहित अन्य लिखत कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो करने के लिए पात्र प्रतिभूतियां नहीं होंगे।

1.2.23 पूंजी बाजारों में बैंकों के निवेश (एक्सपोज़र) की सीमा

क. एकल आधार पर

पूंजी बाजार में सभी रूपों में (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) बैंक का कुल निवेश (एक्सपोज़र) पिछले साल के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उसकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समग्र सीमा के अधीन बैंक का शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश तथा

जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में समस्त निवेश उसकी निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

ख. समेकित आधार पर

पूंजी बाजार में सभी रूपों में (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) समेकित बैंक का कुल निवेश पिछले साल के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उसकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समग्र सीमा के अधीन समेकित बैंक का शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों,

ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश तथा जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में समस्त निवेश उसकी निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

उपर्युक्त सीमाएं अधिकतम अनुमत सीमाएं हैं। बैंक का निदेशक मंडल बैंक के समग्र जोखिम प्रोफाइल और कार्पोरेट कार्यनीति को ध्यान में रखते हुए बैंक के लिए इनसे कम सीमा अपनाने के लिए स्वतंत्र है। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे उक्त उच्चतम सीमा का निरंतर पालन करें।

1.3 सामान्य

1.3.1 सरकारी प्रतिभूतियों के धारण का समाधान - लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र

बैंकों को प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में बैंक के निवेशों (उसके अपने निवेश खाते में तथा निवेश संविभाग प्रबंधन योजना के अधीन धारित) के समाधान के संबंध में बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत् प्रमाणित विवरण रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही, यह विवरण लेखा वर्ष समाप्त होने के एक महीने के भीतर रिजर्व बैंक के पास पहुंच जाना चाहिए। ऊपर उल्लिखित समाधान की अपेक्षा को बैंकों द्वारा भविष्य में बैंक के बाह्य लेखा-परीक्षकों को जारी किये जाने वाले नियुक्ति पत्रों में शामिल किया जाना चाहिए। उक्त विवरण का फार्मेट तथा उसे समेकित करने के लिए अनुदेश अनुबंध VI में दिए गए हैं।

1.3.2 प्रतिभूतियों के लेनदेन - अभिरक्षक के कार्य

अपनी व्यापार बैंकिंग सहायक संस्थाओं की ओर से अभिरक्षक के कार्य करते समय, इन कार्यों के संबंध में वही क्रियाविधियां और सुरक्षा उपाय अपनाये जाने चाहिए जो अन्य घटकों पर लागू हों। तदनुसार, जिस तरीके से लेनदेन किये गये उसके बारे में बैंकों की सहायक संस्थाओं के पास पूरे ब्यौरे उपलब्ध होने चाहिए। बैंकों को इस संबंध में उस विभाग/कार्यालय को उपयुक्त अनुदेश भी जारी करने चाहिए जो उनकी सहायक संस्थाओं की ओर से अभिरक्षक के कार्य कर रहा है।

1.3.3 ग्राहकों की ओर से निवेश संविभाग प्रबंधन

i) निवेश संविभाग प्रबंधन योजना (पी एम एस) और इसी तरह की योजनाएं संचालित करने के लिए बैंकों में निहित सामान्य शक्तियों को वापस ले लिया गया है। अतः किसी भी बैंक को भविष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लिये बिना निवेश संविभाग प्रबंधन योजना या इसी प्रकार की किसी योजना को शुरू या पुनः शुरू नहीं करना चाहिए।

ii) रिज़र्व बैंक के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से निवेश संविभाग प्रबंधन योजना या इसी प्रकार की योजना चलाने वाले बैंकों को निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

(क) निवेश संविभाग प्रबंधन योजना पूरी तरह से ग्राहक के जोखिम पर होनी चाहिए, जिसमें पहले से नियत किसी प्रतिलाभ की कोई गारंटी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं होनी चाहिए।

(ख) निवेश संविभाग प्रबंधन के लिए निधियां एक वर्ष से कम अवधि के लिए स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

(ग) निवेश संविभाग की निधियों का विनियोजन मांग/नोटिस मुद्रा, अंतर बैंक मीयादी जमाराशि और बिल पुनर्भुनाई बाजारों में ऋण देने और कंपनी निकार्यों को ऋण देने/ में रखने के लिए नहीं करना चाहिए।

(घ) बैंकों को प्रबंधन के लिए स्वीकार की गयी निधियों और उनके लिए किये गये निवेशों का ग्राहकवार खाता/रिकार्ड रखना चाहिए और संविभाग के ग्राहकों को खाते का विवरण पाने का अधिकार होना चाहिए।

(ङ) बैंकों के अपने निवेश और निवेश संविभाग प्रबंधन योजना के ग्राहकों के निवेश एक दूसरे से पृथक रखे जाने चाहिए और बैंक के निवेश खाते एवं ग्राहकों के संविभाग खातों के बीच कोई भी लेनदेन पूर्णतया बाजार दरों पर ही होना चाहिए।

(च) बैंकों के अपने निवेश खाते और संविभाग प्रबंधन योजना के ग्राहकों के खातों के संबंध में कार्य और पश्च कार्यालय संबंधी कार्य स्पष्ट रूप से अलग-अलग होने चाहिए।

iii) निवेश संविभाग प्रबंधन योजना के ग्राहकों के खातों की लेखा-परीक्षा बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा अलग से होनी चाहिए, जैसा कि पैरा 1.2.5 (i) (क) में दिया गया है।

iv) बैंकों को यह नोट करना चाहिए कि इन अनुदेशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और बैंकों पर निवारक कार्रवाई की जायेगी, जिसमें बैंकों पर उपर्युक्त कार्यकलाप करने पर प्रतिबंध के अलावा प्रारक्षित निधि अपेक्षाएँ बढ़ाना, रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधा वापस लेना और मुद्रा बाजारों में उनकी पहुंच पर रोक लगाना शामिल है।

v) साथ ही, उपर्युक्त अनुदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ बैंकों की सहायक कंपनियों पर भी लागू होंगे, वे मामले अपवाद होंगे जहां वे उनके कार्यों को शासित करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के विशिष्ट विनियमों के विपरीत हों।

vi) जो बैंक/बैंकों की व्यापार बैंकिंग सहायक कंपनियां रिज़र्व बैंक के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से निवेश संविभाग प्रबंधन योजना और इसी प्रकार की योजना चला रहे हैं उन्हें भी सेबी (संविभाग प्रबंध) नियमावली और विनियमावली, 1993 में निहित तथा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन होगा।

1.3.4 बैंकों का निवेश संविभाग - सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन

कतिपय सहकारी बैंकों द्वारा कुछ दलालों की सहायता से सरकारी प्रतिभूतियों में भौतिक रूप में लेनदेनों के नाम पर किये गये कपटपूर्ण लेनदेनों को देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि प्रतिभूतियों के भौतिक रूप में लेनदेनों की गुंजाइश कम करने संबंधी उपायों को और अधिक प्रभावी बनाया जाये। ये उपाय निम्नलिखित हैं।

(i) जिन बैंकों का रिज़र्व बैंक के पास एस जी एल खाता नहीं है, उनके लिए केवल एक गिल्ट खाता खोला जा सकता है।

(ii) किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक में गिल्ट खाता खोले जाने पर, खातेदार को उसी बैंक में निर्दिष्ट निधि खाता (गिल्ट संबंधी सभी लेनदेनों के लिए) खोलना होगा।

(iii) गिल्ट/निर्दिष्ट निधि खाता रखने वालों के लिए लेनदेन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खरीद हेतु निर्दिष्ट निधि खाते में पर्याप्त निधि है और बिक्री हेतु गिल्ट खाते में पर्याप्त प्रतिभूतियां हैं।

(iv) बैंक किसी दलाल के साथ भौतिक रूप में लेनदेन न करें।

(v) बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन करने हेतु अनुमोदित दलाल एन एस ई/बी एस ई/ओ टी सी ई आई के ऋण बाज़ार विभाग में पंजीकृत हैं।

2. वर्गीकरण

i) बैंकों के समग्र निवेश संविभाग (सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियों और गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियों सहित) को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा।

अर्थात्	'परिपक्वता तक धारित',
	'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा
	'ट्रेडिंग के लिए धारित'

- तथापि, तुलनपत्र में निवेशों को मौजूदा छ वर्गीकरणों के अनुसार दर्शाया जाता रहेगा, जो इस प्रकार हैं

अर्थात्	(क) सरकारी प्रतिभूतियां,
	(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां,
	(ग) शेयर,
	(घ) डिबेंचर और बांड,
	(ङ) सहायक/संयुक्त उद्यम और
	(च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंडों के यूनिट, आदि)।

ii) बैंकों को निवेश के संवर्ग के बारे में निर्णय अर्जन के समय करना चाहिए तथा निर्णय को निवेश संबंधी प्रस्तावों पर दर्ज किया जाना चाहिए।

2.1 परिपक्वता तक धारित

i) बैंकों द्वारा परिपक्वता तक धारित किये जाने के इरादे से प्राप्त की गयी प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा।

ii) 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत निवेश, बैंकों के कुल निवेशों के 25 प्रतिशत तक रखने की अनुमति बैंकों को दी गयी थी।

निम्नलिखित निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा, परंतु उन्हें इस श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट 25 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जायेगा:

(क) पुनः पूंजीकरण संबंधी आवश्यकता के लिए भारत सरकार से प्राप्त तथा उनके निवेश संविभाग में रखे गये पुनःपूंजीकरण बांड। निवेश के प्रयोजनों के लिए अर्जित अन्य बैंकों के पुनः पूंजीकरण बांड इसमें शामिल नहीं किये जायेंगे।

(ख) सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किये गये निवेश। (संयुक्त उद्यम उसे कहा जायेगा, जिसकी ईक्विटी का 25 प्रतिशत से अधिक भाग सहायक संस्थाओं सहित उस बैंक के पास हो)।

(ग) इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों में लगी कंपनियों द्वारा जारी दीर्घकालिक बांडों (सात वर्ष की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाली) में निवेश।

iii) एच टी एम श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेशों के 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अनुमति बैंकों को 2 सितंबर 2004 को दी गयी है, बशर्ते:

(क) अतिरिक्त निवेश में केवल सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियां ही शचिमल हों और

(ख) एच टी एम श्रेणी में धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी कुल प्रतिभूतियां दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को उनकी मांग और मीयादी देयताओं के 25 प्रतिशत से अधिक न हों।

iv) 24 सितंबर 2004 को 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम) के भाग के रूप में धारित गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियां उस संवर्ग में रह सकती हैं। निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी नयी गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी में शामिल करने की अनुमति नहीं है।

(क) अपनी पुनः पूंजीकरण अपेक्षा के लिए तथा अपना निवेश संविभाग में धारित भारत सरकार से प्राप्त नये पुनः पूंजीकरण बांड। इसमें निवेश के प्रयोजन हेतु अर्जित दूसरे बैंकों के पुनः पूंजीकरण बांड शामिल नहीं होंगे।

(ख) सहायक संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों की ईक्विटी में नये निवेश।

(ग) ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ)/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)/ग्रामीण आवास विकास निधि (आरएचडीएफ) जमा।

(घ) इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों में लगी कंपनियों द्वारा जारी दीर्घकालिक बांडों (सात वर्ष की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाले) में निवेश।

v) संक्षेप में, बैंक एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिभूतियां धारण कर सकते हैं:

(क) दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को अपनी मांग और मीयादी देयताओं के 25 प्रतिशत तक सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियां।

(ख) 24 सितंबर 2004 को एचटीएम के अंतर्गत शामिल गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियां।

(ग) अपनी पुनः पूंजीकरण अपेक्षा के लिए तथा निवेश संविभाग में धारित भारत सरकार से प्राप्त नये पुनः पूंजीकरण बांड।

(घ) सहायक संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों में नये निवेश (संयुक्त उद्यम वह है जिसमें बैंक अपनी सहायक संस्थाओं के साथ 25 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी धारण करता है)।

(ङ) ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (ग्रामीण आवास विकास निधि)/आरएचडीएफ जमा।

(च) इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों में लगी कंपनियों द्वारा जारी दीर्घकालिक बांडों (सात वर्ष की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाले) में निवेश।

(vi) इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जायेगा और उसके बाद उसका विनियोजन 'आरक्षित पूंजी खाता' में किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार विनियोजित राशि करों को घटाकर सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशि होगी। बिक्री से होने वाली हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जायेगा। जहां तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) के अंतर्गत बैंकों द्वारा सृजित 'विशेष आरक्षित निधि' का संबंध है, टियर-1 पूंजी के प्रयोजन के लिए ऐसी आरक्षित निधि (देय कर घटाकर) की केवल निवल निधि को हिसाब में लेना चाहिए।

(vii) बैंकों को सूचित किया गया था कि डिबेंचरों/बांडों को उस स्थिति में अग्रिम के स्वरूप का माना जाये जब:

- डिबेंचर/बांड परियोजना वित्त के प्रस्ताव के भाग के रूप में जारी किया जाये तथा डिबेंचर की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक हो।

अथवा

डिबेंचर/बांड कार्यशील पूंजी वित्त के प्रस्ताव के भाग के रूप में जारी किया गया हो तथा डिबेंचर/बांड की अवधि एक वर्ष से कम हो।

और

- उस निर्गम में बैंक की हिस्सेदारी उल्लेखनीय, अर्थात् 10 प्रतिशत या अधिक हो।

और

- निर्गम निजी तौर पर आबंटन (प्राइवेट प्लेसमेंट) का एक अंग हो, अर्थात् ऋणकर्ता ने बैंक/वित्तीय संस्था से संपर्क किया हो तथा वह सार्वजनिक निर्गम का अंग न हो, जिसमें बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अभिदान के लिए आमंत्रण के प्रतिसाद (रिस्पांस) में अभिदान किया जाता है।

चूंकि एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत किसी भी नयी गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूति को शामिल करने की अनुमति नहीं दी गयी है, अतः इन निवेशों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित नहीं किया जाना चाहिए। ये निवेश बाजार दर पर **मूल्यांकन** पद्धति के अधीन होंगे। वे अनर्जक निवेश की पहचान तथा प्रावधानीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होंगे जैसा कि निवेशों के संबंध में लागू है।

2.2 बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित

- i) बैंकों द्वारा अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर गतिविधि का लाभ लेकर व्यापार की इच्छा से प्राप्त ट्रेडिंग के लिए धारित के अंतर्गत प्रतिभूतियों को निम्नलिखित के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

ii) जो प्रतिभूतियां उपर्युक्त दो श्रेणियों में नहीं आतीं उन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध के अंतर्गत वर्गीकृत करना चाहिए।

iii) बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणियों के अंतर्गत धारिताओं की सीमा के बारे में निर्णय करने की स्वतंत्रता बैंकों को होगी। वे प्रयोजन के आधार, व्यापारिक कार्य-नीतियों, जोखिम प्रबंधन क्षमताओं, कर आयोजना, श्रम-दक्षता, पूंजी की स्थिति जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसका निर्णय लेंगे।

iv) ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत उन निवेशों को रखा जायेगा, जिनसे बैंक को ब्याज दरों/बाजार दरों में घट-बढ़ द्वारा लाभ कमाने की आशा हो। इन प्रतिभूतियों को 90 दिन के भीतर बेचा जाना है।

v) दोनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जायेगा।

2.3 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित करना

i) बैंक परिपक्वता तक धारित श्रेणी में/उससे निवेशों को निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरित कर सकते हैं। ऐसे अंतरण की आम तौर पर लेखा-वर्ष के प्रारंभ में अनुमति दी जायेगी। उस लेखा-वर्ष के शेष भाग में इस श्रेणी में से किसी और अंतरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

ii) बैंक निदेशक मंडल/आस्ति-देयता प्रबंधन समिति/निवेश समिति के अनुमोदन से बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी से ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में निवेश अंतरित कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बैंक के मुख्य कार्यपालक/आस्ति-देयता प्रबंधन समिति के प्रमुख के अनुमोदन से इस प्रकार का अंतरण किया जा सकता है, परन्तु इसका अनुसमर्थन निदेशक मंडल/आस्ति-देयता प्रबंधन समिति द्वारा किया जाना चाहिए।

iii) ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में निवेशों के अंतरण की अनुमति आम तौर पर नहीं दी जाती। तथापि, सिर्फ चलनिधि की कमी की स्थिति या अत्यधिक अस्थिरता या बाजार के एक दिशा में होने जैसी अपवादस्वरूप परिस्थितियों के कारण 90 दिन के भीतर प्रतिभूति की बिक्री करने में असमर्थ होने की अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अंतर्गत इसकी अनुमति निदेशक मंडल/आस्ति-देयता प्रबंधन समिति/निवेश समिति के अनुमोदन से दी जायेगी।

iv) एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिपों का अंतरण बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य की निम्न सीमा पर की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि अंतरण के समय स्क्रिप का बाजार मूल्य उसके बही मूल्य से अधिक हो तो उस वृद्धि को नजरअंदाज करते हुए प्रतिभूति को बही मूल्य पर अंतरित किया जाना चाहिए। लेकिन जहां बाजार मूल्य बही मूल्य से कम हो वहां उस प्रतिभूति में मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान (अंतरण की तारीख को किए गए मूल्यन के आधार पर अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई, सहित) को इस

प्रकार समायोजित करना चाहिए कि बही मूल्य घटकर बाजार मूल्य के बराबर हो जाए और प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाना चाहिए। एचटीएम से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में:

(क) यदि प्रतिभूति को एचटीएम के अंतर्गत बट्टे पर श्रेणीबद्ध किया गया है तो उसका एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरण अर्जन मूल्य/बही मूल्य पर किया जाए। (यह नोट किया जाए कि मौजूदा अनुदेशों के अनुसार बैंकों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों पर बट्टा उपचित करने की अनुमति नहीं है और इसलिए ऐसी प्रतिभूतियों को उनकी परिपक्वता अवधि तक उनके अर्जन की कीमत पर धारित रखना जारी रहेगा) अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनर्मूल्यन किया जाना चाहिए और मूल्यहास, यदि कोई, का प्रावधान किया जाए।

(ख) यदि प्रतिभूति को मूल रूप से प्रीमियम पर एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो एएफएस, एचएफटी श्रेणी में उसका अंतरण परिशोधित कीमत पर किया जाना चाहिए। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनर्मूल्यन किया जाना चाहिए और मूल्यहास, यदि कोई, का प्रावधान किया जाए। एएफएस से एचएफटी अथवा एचएफटी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यन अंतरण के दिन किए जाने की आवश्यकता नहीं है और संचित मूल्यहास, यदि कोई, के लिए धारित प्रावधानों को एचटीएम प्रतिभूतियों में होने वाले मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधानों में और यदि प्रतिभूतियों का अंतरण एचएफटी से एएफएस श्रेणी में हो तो एएफएस प्रतिभूतियों में होनेवाले मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधानों में अंतरित किया जाए।

3. मूल्यन

3.1 परिपक्वता तक धारित

i) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार भाव पर दर्शाने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें तब तक अभिग्रहण लागत पर दर्शाया जाएगा जब तक कि वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। इसके अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, प्रीमियम की राशि परिपक्वता तक की शेष अवधि में परिशोधित की जानी चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे परिशोधित राशि को अनुसूची 13- अर्जित ब्याज: मद II निवेशों पर आय' में कटौती के रूप में दर्शाएं। तथापि, कटौती को अलग से दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभूति का बही मूल्य संबंधित लेखाकरण अवधि में परिशोधित राशि की सीमा तक घटाया जाना जारी रखा जाना चाहिए।

ii) बैंकों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत शामिल सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में अपने निवेशों के मूल्य में हुई अस्थायी कमी को छोड़कर किसी भी कमी को हिसाब में लेते हुए उसके लिए प्रावधान करना चाहिए। ऐसी कमी निर्धारित की जानी चाहिए और प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाना चाहिए।

3.2 बिक्री के लिए उपलब्ध

बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी की अलग-अलग स्क्रिपों को तिमाही या उससे कम अवधि के अंतराल पर बाज़ार भाव के अनुसार दर्शाया जायेगा। इस श्रेणी के अंतर्गत आनेवाली देशी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया जाएगा और उपर्युक्त मद 2(i) में उल्लिखित प्रत्येक वर्गीकरण के लिए जोड़ दिया जाएगा तथा मूल्यहास/मूल्यवृद्धि को पांच वर्गीकरणों (अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित), शेयर, डिबेंचर और बांड, विदेश स्थित सहायक संस्थाएं और/ अथवा संयुक्त उद्यम तथा अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट करें)) के लिए जोड़ा जाए। साथ ही, किसी विशिष्ट वर्गीकरण में, देशी अथवा विदेशी दोनों प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को उस श्रेणी के अधीन निवेशों के निवल मूल्यहास / मूल्यवृद्धि की गणना के प्रयोजन के लिए जोड़ा जाए। यदि कोई निवल मूल्यहास हो तो उसके लिए प्रावधान किया जाएगा। यदि कोई निवल मूल्यवृद्धि हो तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। किसी एक वर्गीकरण के अंतर्गत अपेक्षित निवल मूल्यहास के लिए प्रावधान को किसी दूसरे वर्गीकरण में निवल मूल्यवृद्धि के कारण कम नहीं किया जाना चाहिए। बैंक विदेशी प्रतिभूतियों को तीन श्रेणियों (सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित), विदेश स्थित सहायक संस्थाएं और/अथवा संयुक्त उद्यम तथा अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट करें)) के अंतर्गत अपने तुलन पत्र में रिपोर्ट करना जारी रखें। बाज़ार मूल्य के अनुसार मूल्यांकित करने के बाद इस श्रेणी की अलग-अलग प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

3.3 ट्रेडिंग के लिए धारित

ट्रेडिंग के लिए रखे शेयरों की श्रेणी के अंतर्गत आनेवाली अलग-अलग क्रिपों का मासिक या उससे कम अवधि के अंतरालों पर बाज़ार मूल्य के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा और उनके लिए उसी प्रकार प्रावधान किया जायेगा जैसा कि बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के संबंध में किया जाता है। परिणामतः बाज़ार के मूल्य के अनुसार मूल्यांकित करने के बाद इस श्रेणी की प्रतिभूतियों के बही मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा।

3.4 निवेश संबंधी उतार-चढ़ाव हेतु प्रारक्षित निधि (आइएफआर)

- (i) अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भविष्य में ब्याज दर में होने वाले बदलाव की स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त प्रारक्षित निधि जमा रखने के उद्देश्य से बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 5 वर्ष के भीतर निवेश संबंधी उतार-चढ़ाव हेतु प्रारक्षित निधि स्थापित करें जो उनके निवेश संविभाग का न्यूनतम 5 प्रतिशत हो ।
- (ii) बासल II के मानदंडों को अपनाने में आसानी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 24 जून 2004 को बैंकों को सूचित किया गया था कि वे दो वर्ष की अवधि में बाज़ार जोखिम के लिए चरणबद्ध तरीके से निम्नानुसार पूंजी प्रभार बनाए रखें:

(क) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी, खुली स्वर्ण स्थिति की सीमा, खुली विदेशी मुद्रा स्थिति की सीमा, व्युत्पन्न साधनों (डेरिवेटिव्स) में व्यापार की स्थितियां तथा व्यापार बही जोखिमों से बचाव के लिए किये गये व्युत्पन्न साधनों (डेरिवेटिव्स) में सम्मिलित प्रतिभूतियों के संबंध में 31 मार्च 2005 तक, तथा

(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी में सम्मिलित प्रतिभूतियों के संबंध में 31 मार्च 2006 तक।

(iii) बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार बनाए रखने से संबंधित दिशा-निर्देशों का शीघ्र अनुपालन करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अप्रैल 2005 में यह सूचित किया गया था कि जिन बैंकों ने दोनों व्यापार के लिए धारित श्रेणी (उपर्युक्त (क) में दर्शाई गयी मद) तथा बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के लिए ऋण जोखिम तथा बाज़ार जोखिम, दोनों के लिए जोखिम-भारित आस्तियों के न्यूनतम 9 प्रतिशत की पूंजी को बनाए रखा है, वे निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आइएफआर) में व्यापार के लिए धारित तथा बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणियों में शामिल प्रतिभूतियों के 5 प्रतिशत से अधिक शेष को टियर। पूंजी के रूप में मानें। उपर्युक्त अपेक्षा को पूर्ण करने वाले बैंकों को निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि में उक्त 5 प्रतिशत से अधिक राशि को सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरित करने की अनुमति दी गयी।

(iv) अक्टूबर 2005 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि यदि बैंकों ने 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार दोनों, व्यापार के लिए धारित तथा बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी (उपर्युक्त (i) में दर्शाई गई मदें) के लिए ऋण जोखिम तथा बाज़ार जोखिम, दोनों के लिए जोखिम-भारित आस्तियों के न्यूनतम 9 प्रतिशत की पूंजी को बनाए रखा है, उन्हें निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि में संपूर्ण शेष को टियर। पूंजी के रूप में मानने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, बैंक लाभ-हानि विनियोग लेखे में 'लाभ निकालने के बाद' (बिलो दी लाइन) निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि में शेष को सांविधिक आरक्षित निधि, सामान्य प्रारक्षित निधि अथवा लाभ-हानि लेखा शेष में अंतरित कर सकते हैं।

निवेश प्रारक्षित निधि लेखा

(v) यदि 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणियों में मूल्यहास के कारण किये गये प्रावधान किसी वर्ष में आवश्यक राशि से अधिक पाए जाते हैं तो उस अधिक राशि को लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाए तथा उसकी समकक्ष राशि का (यदि कोई कर है तो उसे घटाकर तथा ऐसे अधिक प्रावधान पर लागू होने वाले सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण को घटाकर) अनुसूची 2 में निवेश प्रारक्षित निधि - "राजस्व तथा अन्य प्रारक्षित निधि" शीर्ष के अंतर्गत 'प्रारक्षित निधियां तथा अधिशेष' में विनियोग किया जाए तथा यह राशि सामान्य प्रावधानों/हानि प्रारक्षित निधियों के लिए निर्धारित कुल जोखिम-भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर टियर II में शामिल करने के लिए पात्र होगी।

(vi) बैंक निवेश प्रारक्षित निधि लेखे का निम्नानुसार उपयोग कर सकते हैं:

'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'ट्रेडिंग के लिए रखे गये' श्रेणियों में मूल्यहास के लिए अपेक्षित प्रावधान को लाभ-हानि लेखा में नामे डालना चाहिए और सममूल्य राशि (कर लाभ को

घटाकर और सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरण में परिणामस्वरूप कटौती को घटाकर) निवेश संबंधी प्रारक्षित निधि खाते (आइआरए) से लाभ-हानि लेखा में अंतरित की जाये।

उदाहरण के तौर पर, वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए रखे गये और बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणियों में निवेश में मूल्यहास के लिए किये गये प्रावधान (कर को घटाकर, यदि कुछ हो, और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण को घटाकर जो ऐसे अतिरिक्त प्रावधान के लिए लागू हो) की सीमा तक बैंक आइआरए से आहरण द्वारा कम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो बैंक 30 प्रतिशत कर का भुगतान करता है और जिसे सांविधिक आरक्षित निधि में निवल लाभ का 25 प्रतिशत विनियोग करना चाहिए, वह आइआरए से 52.50 रुपये आहरण द्वारा कम कर सकता है, यदि बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग के लिए रखे गये श्रेणियों में शामिल निवेशों में मूल्यहास के लिए किया गया प्रावधान 100 रुपये है।

(vii) प्रावधान हेतु लाभ-हानि लेखे में नामे डाली गयी राशि "व्यय-प्रावधान और आकस्मिकता" शीर्ष के अंतर्गत नामे डाली जानी चाहिए। आइआरए से लाभ-हानि लेखे में अंतरित राशि को वर्ष के लिए लाभ निश्चित करने के बाद लाभ-हानि विनियोग लेखे में "लाभ निकालने के बाद" मद के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। किसी आस्ति के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान लाभ-हानि लेखे पर एक प्रभार की मद है और लेखा अवधि के लिए लाभ निकालने से पहले उसे उस खाते में दिखाई देना चाहिए। निम्नलिखित को अपनाना न केवल गलत लेखा सिद्धांत का स्वीकरण होगा, बल्कि इसके परिणामस्वरूप लेखा अवधि के लिए लाभ का एक गलत विवरण तैयार होगा।

(क) लाभ-हानि लेखे में दर्शाये बिना आरक्षित निधि की मद के अंतर्गत प्रावधान को सीधे समायोजित करने की अनुमति देना, या

(ख) लेखा अवधि के लिए लाभ निकालने के पहले निवेश संबंधी उतार-चढ़ाव हेतु प्रारक्षित निधि से आहरण द्वारा कम करने की अनुमति किसी बैंक को देना (अर्थात् लाभ निकालने से पहले), या

(ग) विशिष्ट अवधि के लिए लाभ निकालने के बाद निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान लाभ निकालने के बाद की मद के रूप में करने की अनुमति किसी बैंक को देना,

अतः उपर्युक्त कोई भी विकल्प अनुमत नहीं है।

(viii) बैंकों द्वारा लाभांश के भुगतान के संबंध में हमारे दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश केवल चालू वर्ष के लाभ से ही देय होना चाहिए। इसलिए निवेश संबंधी उतार-चढ़ाव हेतु प्रारक्षित निधि से आहरण द्वारा प्राप्त की गयी राशि शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के लिए बैंकों को उपलब्ध नहीं होगी। तथापि लाभ-हानि विनियोग लेखे में 'लाभ निकालने के बाद' निवेश संबंधी प्रारक्षित निधि में जो शेष सांविधिक प्रारक्षित निधि सामान्य प्रारक्षित

निधि या लाभ-हानि लेखे शेष में अंतरित किया गया वह टियर I पूंजी के रूप में गणना करने के लिए पात्र होगा।

3.5 बाजार मूल्य

'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणियों में शामिल निवेशों के आवधिक मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए 'बाजार मूल्य' उस क्रिप का वह बाजार भाव होगा जो शेयर बाजारों पर ट्रेड /कोट, एस जी एल खाते के लेनदेनों, भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची, समय-समय पर फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफ आइ एम एम डी ए) से उपलब्ध हो। कोट न की गयी प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरेवार प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए।

3.6 कोट न की गयी सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियां

3.6.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां

- i) बैंकों को केन्द्र सरकार की कोट न की गयी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन पीडीएआइ/एफआइएमएमडीए द्वारा आवधिक अंतरालों पर दिये जानेवाले भावों/परिपक्वता पर प्रतिलाभ (वाइटीएम) संबंधी दरों के आधार पर करना चाहिए।
- ii) 6.00 प्रतिशत पूंजी इंडेक्स्ड बांडों का मूल्यन 'लागत' के आधार पर करना चाहिए जैसा कि 22 जनवरी 1998 के परिपत्र बेंपवि. सं. बीसी.8/12.02.001/97-98 और 16 अगस्त 2000 के परिपत्र बीसी.18/12.02.001/2000-2001 में परिभाषित है।
- iii) खजाना बिलों का मूल्यन कारोबारी लागत पर किया जाना चाहिए।

3.6.2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियां

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन पी डी ए आइ/एफ आइ एम एम डी ए द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत समान परिपक्वता केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिलाभों से ऊपर 25 आधार अंक पर उसे मार्क करते हुए वाइ टी एम पद्धति लागू करके किया जायेगा।

3.6.3 अन्य 'अनुमोदित' प्रतिभूतियां

अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यन पीडीएआइ/एफआइएमएमडीए द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत की जानेवाली समान परिपक्वता वाली केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिलाभों से ऊपर 25 आधार अंक पर मार्किंग करके परिपक्वता की तुलना में प्रतिलाभ (वाइ टी एम) पद्धति लागू करके किया जायेगा।

3.7 सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियां, जिनकी दरें नहीं दी जातीं

3.7.1 डिबेंचर/बांड

सभी डिबेंचरों/बांडों का मूल्यन परिपक्वता पर प्रतिलाभ की दर पर किया जायेगा। इस प्रकार के डिबेंचर/बांड विभिन्न कंपनियों के और भिन्न-भिन्न दरों वाले हो सकते हैं। इनका मूल्यन पीडीएआइ/एफआइएमएमडीए द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत की जानेवाली केन्द्र सरकार की समान अवधि वाली प्रतिभूतियों के लिए अवधिपूर्णता पर प्रतिलाभ के लिए प्रयुक्त दरों के ऊपर उचित रूप से मार्कअप करके किया जायेगा। यह मार्कअप श्रेणी-निर्धारक (रेटिंग) एजेन्सियों द्वारा डिबेंचरों/बांडों को दी गई श्रेणी के अनुसार ग्रेड रूप में दिया जाता है, जो निम्नलिखित बातों के अधीन होता है:

(क) श्रेणी निर्धारित डिबेंचरों/बांडों के लिए परिपक्वता पर प्रतिलाभ के लिए प्रयुक्त दर समान अवधि पूर्णता वाले भारत सरकार के ऋण के लिए लागू दर से कम से कम 50 आधार अंक अधिक होनी चाहिए।

नोट:

भारत सरकार द्वारा हिताधिकारी कंपनी को सीधे ही जारी की गई जो विशेष प्रतिभूतियाँ एसएलआर दर्जे की नहीं हैं, उनका मूल्यन वित्तीय वर्ष 2008-09 से भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर तदनुसूची प्रतिलाभ से 25 आधार अंक ऊपर के स्प्रेड पर किया जाए। फिलहाल, इन विशेष प्रतिभूतियों में शामिल हैं : तेल बांड, उर्वरक बांड, भारतीय स्टेट बैंक (हाल के अधिकार निर्गम के दौरान), यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि., पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा पूर्ववर्ती नौवहन विकास वित्त निगम को जारी बांड।

(ख) श्रेणीनिर्धारण न किए गए डिबेंचरों/बांडों के लिए परिपक्वता पर प्रतिलाभ के लिए प्रयुक्त दर समान अवधिपूर्णतावाले श्रेणीनिर्धारित डिबेंचरों/बांडों के लिए लागू दर से कम नहीं होनी चाहिए। श्रेणीनिर्धारण न किए गए डिबेंचरों/बांडों के लिए मार्कअप में बैंक द्वारा उठाया जानेवाला ऋण जोखिम उचित रूप से परिलक्षित होना चाहिए।

(ग) जहां डिबेंचरों/बांडों की दरें दी जाती हैं और लेनदेन मूल्यन की तारीख से 15 दिन पहले किया गया हो, वहां अपनाया गया मूल्य शेयर बाजार में रिकार्ड किये गये लेनदेन की दर से अधिक नहीं होना चाहिए।

3.7.2 जीरो कूपन बांड

जीरो कूपन बांडों को बहियों में रखाव लागत पर दिखाया जाना चाहिए, रखाव लागत का अर्थ अभिग्रहण लागत तथा अभिग्रहण के समय प्रचलित दर पर प्रोद्भूत बट्टा है जो बाजार मूल्य के संदर्भ में बाजार भाव पर हो। बाजार मूल्य के अभाव में जीरो कूपन बांड उनके वर्तमान मूल्य के संदर्भ में बाजार भाव (मार्कड-टु -मार्केट)पर होने चाहिए। जीरो कूपन बांडों के वर्तमान मूल्य की गणना फिमडा द्वारा आवधिक रूप से दिए जाने वाले जीरो कूपन स्प्रेड के अनुसार उचित मूल्य बढ़ाने (मार्क अप) सहित जीरो कूपन यील्ड कर्व का प्रयोग कर अंकित मूल्य में बट्टा काटते हुए करना चाहिए। यदि बैंक अभी अभिग्रहण लागत पर जीरो कूपन बांड

अपना रहे हैं तो बाज़ार भाव पर लगाने के पहले लिखत पर प्रोद्भूत बट्टे को काल्पनिक रूप से बांड के बही मूल्य में जोड़ना चाहिए।

3.7.3 अधिमान शेयर

अधिमान शेयरों का मूल्यन परिपक्वता पर प्रतिलाभ की दर के आधार पर होना चाहिए। अधिमान शेयर कंपनियों द्वारा भिन्न-भिन्न दरों पर जारी किये जायेंगे। इनका मूल्यन पी डी एआइ/एफआइएम एम डी ए द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत की जानेवाली समान अवधि वाली केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइ टी एम दरों के ऊपर उचित रूप से किया जायेगा। यह मार्कअप श्रेणी-निर्धारक (रेटिंग) एजेन्सियों द्वारा डिबेंचरों/बांडों को दी गयी श्रेणी के अनुसार ग्रेड रूप में दिया जाता है, जो निम्नलिखित बातों के अधीन होता है:

क) अवधिपूर्णता पर प्रतिलाभ की दर समान अवधि वाले भारत सरकार के ऋण के लिए कूपन दर/अवधिपूर्णता की तुलना में प्रतिलाभ से कम नहीं होनी चाहिए।

ख) बिना श्रेणीबद्ध अधिमान शेयरों के लिए परिपक्वता पर प्रतिलाभ के लिए प्रयुक्त दर समान अवधि के श्रेणीबद्ध अधिमान शेयरों के लिए लागू दर से कम नहीं होनी चाहिए। बिना श्रेणीबद्ध डिबेंचरों/बांडों के लिए मार्कअप में बैंक द्वारा उठाया जानेवाला ऋण जोखिम उचित रूप से परिलक्षित होना चाहिए।

ग) परियोजना वित्तपोषण के भाग के रूप में अधिमान शेयरों में निवेश का मूल्यन उत्पादन प्रारंभ होने के दो वर्ष बाद अथवा अभिदान के 5 वर्ष बाद, जो भी पहले हो, की अवधि के अनुसार किया जाना चाहिए।

घ) जहां अधिमान शेयरों में निवेश पुनर्वास के एक भाग के रूप में है, वहां परिपक्वता की तुलना में प्रतिलाभ की दर समान परिपक्वता वाले भारत सरकार के ऋण के लिए कूपन दर/परिपक्वता पर प्रतिलाभ से 1.5 प्रतिशत अधिक से कम नहीं होनी चाहिए।

ङ) जहां अधिमान लाभांश बकाया हो वहां प्रोद्भूत लाभांश को हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए और परिपक्वता पर प्रतिलाभ के आधार पर निर्धारित मूल्य को कम से कम 15 प्रतिशत की दर पर बट्टा दिया जाना चाहिए यदि बकाया एक वर्ष के लिए हो और यदि बकाया एक वर्ष से अधिक समय से हो तो इससे अधिक बट्टा दिया जाना चाहिए। जहां लाभांश बकाया है, वहां अनर्जक शेयरों के संबंध में उपर्युक्त ढंग से निकाले गये मूल्यह्रास /प्रावधान की अपेक्षा को आय देनेवाले अन्य अधिमान शेयरों पर मूल्यवृद्धि में से समंजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति नहीं होगी।

च) अधिमान शेयर का मूल्यन उसके मोचन मूल्य से अधिक पर नहीं किया जाना चाहिए।

छ) जब किसी अधिमान शेयर का क्रय-विक्रय मूल्यन की तारीख से 15 दिन पहले की अवधि में शेयर बाज़ार में किया गया हो, तो उसका मूल्य उस मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए, जिस मूल्य पर उसका क्रय-विक्रय किया गया हो।

3.7.4 ईक्विटी शेयर

बैंक के निवेश संविभाग वाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यन बाज़ार दर पर अधिमानतः दैनिक आधार पर तथा कम-से-कम साप्ताहिक आधार पर किया जाना चाहिए। जिन इक्विटी शेयरों के लिए चालू दरें उपलब्ध नहीं हैं अथवा शेयर बाज़ारों में जिनकी दर नहीं दी जाती है उनका मूल्यन ब्रेक-अप मूल्य पर किया जाना चाहिए (पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि, यदि कोई हो, पर विचार किये बिना), जिसका निर्धारण कंपनी के अद्यतन तुलनपत्र से किया जाना चाहिए (यह तुलनपत्र मूल्यन की तारीख से एक वर्ष पहले से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)। यदि अद्यतन तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो शेयरों का मूल्यन एक रुपया प्रति कंपनी की दर पर किया जाना चाहिए।

3.7.5 म्युच्युअल फंड यूनिट

'कोट' किए गए म्युच्युअल फंड यूनिटों के निवेशों का मूल्यन शेयर बाज़ार की दरों के अनुसार किया जाना चाहिए। 'कोट' न किए गए म्युच्युअल फंड के यूनिटों में निवेश का मूल्यन प्रत्येक विशिष्ट योजना के संबंध में म्युच्युअल फंड द्वारा घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य पर किया जाना चाहिए। यदि निधियों के लिए रुद्धता अवधि हो तो उस मामले में पुनर्खरीद मूल्य/बाज़ार दर उपलब्ध न होने पर यूनिटों का मूल्यन निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाना चाहिए। यदि निवल आस्ति मूल्य उपलब्ध न हो तो इनका मूल्यन लागत पर तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि रुद्धता अवधि समाप्त न हो जाये। जहां पुनर्खरीद मूल्य उपलब्ध न हो वहां यूनिटों का मूल्यन संबंधित योजना के निवल आस्ति मूल्य पर किया जा सकता है।

3.7.6 वाणिज्यिक पत्र

वाणिज्यिक पत्र का मूल्यन उनकी रखाव लागत पर किया जाना चाहिए।

3.7.7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश उनकी रखाव लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर सतत आधार पर किया जाना है।

3.8 प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में निवेश

जब बैंक/वित्तीय संस्थाएं एससी/आरसी को उनके द्वारा बेची गयी वित्तीय आस्तियों के संबंध में एससी/आरसी द्वारा निर्गमित प्रतिभूति रसीदों/पास-थू प्रमाणपत्रों में निवेश करते हैं तो

उस बिक्री का बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की बहियों में निम्नलिखित में से निम्नतर पर मूल्यन किया जाएगा।

- प्रतिभूति रसीदों/पास-थू प्रमाणपत्रों के प्रतिदेय मूल्य, तथा
- वित्तीय आस्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी)

उपर्युक्त निवेश को बैंक/वित्तीय संस्थाओं की बहियों में उसकी बिक्री अथवा वसूली तक उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित मूल्य पर रखा जाए तथा ऐसी बिक्री अथवा वसूली पर, लाभ अथवा हानि पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाए:

(i) यदि एससी/आरसी को निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य में से धारित प्रावधानों को घटाने के बाद) से कम मूल्य पर बेचा जाता है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में नामे डाला जाए।

(ii) यदि एनबीवी से उच्चतर मूल्य पर बिक्री होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा लेकिन एससी/आरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण होने वाली कमी/ हानि को पूरा करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा एससी/आरसी से उन्हें बेची गयी वित्तीय आस्तियों की बिक्री प्रतिफल के रूप में प्राप्त सभी लिखतों तथा एससी/आरसी द्वारा निर्गमित अन्य लिखत जिनमें बैंक/वित्तीय संस्थाएं निवेश करते हैं, वे भी सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों के स्वरूप में होंगे। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर लिखतों में निवेशों को लागू होने वाले, मूल्यन, वर्गीकरण तथा अन्य मानदंड एससी/आरसी द्वारा निर्गमित डिबेंचर/बांड/प्रतिभूति रसीदों/पास-थू प्रमाणपत्रों में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के निवेश को भी लागू होंगे। तथापि, यदि एससी/आरसी द्वारा निर्गमित उपर्युक्त लिखतों में से कोई एक लिखत भी संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित है तो, बैंक/वित्तीय संस्था ऐसे निवेशों के मूल्यन के लिए एससी/आरसी से समय-समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) को ध्यान में होंगे।

3.9 जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) में बैंकों के निवेश का मूल्यांकन एवं वर्गीकरण

3.9.1 बैंक के संविभाग में जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के कोट किए गए इक्विटी शेयरों/ बांडों/ यूनिटों को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी में धारित किया जाना चाहिए तथा यथासंभव दैनिक आधार पर, बाजार दर पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, अन्यथा कम-से-कम साप्ताहिक आधार पर मौजूदा निदेशों के अनुसार अन्य इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन मानदंड के अनुरूप मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

3.9.2 23 अगस्त 2006 के बाद (अर्थात् जोखिम पूंजी निधियों में निवेश के मूल्यांकन और वर्गीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद) जोखिम पूंजी निधियों के गैर सूचीबद्ध शेयरों/बांडों/यूनिटों में बैंकों द्वारा किए गए निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए

अवधिपूर्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा तथा इस अवधि के दौरान लागत पर मूल्यांकन किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों के जारी होने से पहले किए गए निवेशों के लिए, विद्यमान मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण किया जाएगा।

3.9.3 इस प्रयोजन के लिए, तीन वर्ष की अवधि की गणना प्रतिबद्ध पूंजी की मांग करने पर उद्यम पूंजी निधि को बैंक द्वारा किये गये प्रत्येक संवितरण के लिए अलग से की जाएगी। तथापि, एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों का अंतरण करने हेतु वर्तमान मानदंडों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए ऊपर उल्लेख किये अनुसार जिन प्रतिभूतियों ने तीन वर्ष पूरे कर लिए हों उन सभी का अंतरण अगले लेखा वर्ष के प्रारंभ में एक ही लॉट में लागू किया जाएगा ताकि एचटीएम श्रेणी से निवेशों के वार्षिक अंतरण के साथ मेल हो सके।

3.9.4 तीन वर्षों के बाद, ऐसे यूनिटों/शेयरों/बांडों को एएफएस श्रेणी में अंतरित कर निम्नलिखित रूप में मूल्यांकित किया जाना चाहिए जिनकी दरें न बताई गई हों।

i) यूनिट :

यूनिटों के रूप में निवेश करने के मामले में, जोखिम पूंजी निधि द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित यूनिटों पर यदि कोई मूल्यहास हो तो, एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में निवेशों का अंतरण करते समय उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए तथा इसके बाद भी उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त वित्तीय विवरणों के आधार पर तिमाही या उससे कम अंतरालों पर किया जाना चाहिए। कम-से-कम वर्ष में एक बार, लेखा परीक्षा के परिणामों के आधार पर उक्त यूनिटों को मूल्यांकित किया जाना चाहिए। तथापि, यदि मूल्यांकन करने की तारीख को लेखा परीक्षित तुलन पत्र/वित्तीय विवरण, जिसमें एनएवी आंकड़े दर्शाए जाते हैं, लगातार 18 महीनों से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं हैं, तो निवेशों का मूल्यांकन प्रति जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) 1.00 रुपये की दर पर किया जाए।

ii) ईक्विटी:

शेयरों के रूप में किये गये निवेशों के मामले में, कंपनी (वीसीएफ) के अद्यतन तुलन पत्र (जो मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) से प्राप्त विश्लेषित मूल्य ('पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां' यदि कोई हों पर ध्यान दिये बिना), के आधार पर अपेक्षित बारंबारता (फ्रिक्वेन्सी) पर मूल्यांकन किया जा सकता है। यदि शेयरों पर कोई मूल्यहास है तो निवेशों को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में अंतरित करते समय तथा अनुवर्ती मूल्यांकन जो कि तिमाही अथवा उससे भी थोड़े-थोड़े अंतरालों पर करना चाहिए, के समय उसके लिए प्रावधान करना चाहिए। यदि उपलब्ध अद्यतन तुलन पत्र 18 महीनों से अधिक पुराना है तो शेयरों का प्रति कंपनी 1.00 रुपये की दर पर मूल्यांकन किया जाए।

iii) बांड

वीसीएफ के बांडों में निवेश, यदि कोई हो तो उनका मूल्यन बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा परिचालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाए।

3.9.5 बकाया राशियों के रूपांतरण से संबंधित मूल्यांकन मानदंड

(क) बकाया मूल धन और/अथवा ब्याज के रूपांतरण के ज़रिए प्राप्त ईक्विटी, डिबेंचर और अन्य वित्तीय लिखतों का एएफएस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाना चाहिए, तथा उसका मूल्यांकन बैंकों के निवेश संविभाग के मूल्यांकन संबंधी विद्यमान अनुदेशों के अनुरूप किया जाए, परंतु यदि (i) ईक्विटी कोट की गई है तो बाज़ार मूल्य पर उसका मूल्यांकन किया जाए, (ii) यदि ईक्विटी कोट नहीं की गई है तो मानक परिसंपत्तियों के संबंध में ब्रेकअप मूल्य पर मूल्यांकन हो तथा अवमानक /संदिग्ध आस्तियों के मामले में ईक्विटी का मूल्यांकन प्रारंभ में 1 रुपए पर और मानक श्रेणी में पुनःरखे जाने/उन्नयन किए जाने के बाद ब्रेकअप मूल्य पर मूल्यांकन किया जाए।

3.10 अनर्जक निवेश

3.10.1 तीन श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में शामिल प्रतिभूतियों के संबंध में जहां ब्याज/मूलधन बकाया है, बैंकों को प्रतिभूतियों पर आय का संगणन नहीं करना चाहिए और निवेश के मूल्य में मूल्यहास हेतु उचित प्रावधान भी करना चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे इन अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यहास की अपेक्षाओं का समंजन अन्य अर्जक प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि के साथ न करें।

3.10.2 एक अनर्जक निवेश (एनपीआइ) एक अनर्जक अग्रिम (एनपीए) के समान है, जहां:

(i) ब्याज/किस्त (अवधिपूर्णता आगम को मिलाकर) देय है और 90 दिन से अधिक अवधि तक उसकी अदायगी नहीं की गई है।

(ii) उपर्युक्त अपेक्षा आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे अधिमान शेयरों पर लागू होगी, जहां नियत लाभांश अदा नहीं किया गया है।

(iii) ईक्विटी शेयरों के मामले में 16 अक्टूबर 2000 के परिपत्र डीबीओडी. बीपी. बीसी. 32/ 21.04.048/2000-01 के संलग्नक के पैरा 28 में निहित अनुदेशों के अनुसार अद्यतन तुलनपत्र उपलब्ध न होने के कारण किसी भी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्यन 1 रुपया प्रति कंपनी करने की स्थिति में, उन ईक्विटी शेयरों की भी गणना अनर्जक निवेश के रूप में की जाएगी।

(iv) यदि जारीकर्ता द्वारा उपयोग की गयी कोई ऋण सुविधा बैंक की बहियों में अनर्जक आस्ति है तो उसे जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति जिसमें उसी जारीकर्ता द्वारा जारी अधिमान शेयरों का भी समावेश है, में किए निवेश को अनर्जक निवेश और उससे उल्टा माना जाएगा। तथापि, यदि केवल अधिमान शेयरों को

अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी अन्य अर्जक प्रतिभूतियों में किए निवेशको अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा तथा उस उधारकर्ता को मंजूर किसी अर्जक ऋण को अनर्जक परिसंपत्ति मानने की आवश्यकता नहीं है।

(v) डिबेंचरों/बांडों में निवेश, जो अग्रिम के स्वरूप के माने जाते हों, भी निवेशों के लिए लागू अनर्जक निवेश मानदंडों के अधीन होंगे।

(vi) यदि मूल धन और/या ब्याज का ईक्विटी, डिबेंचर, बांडों आदि में रूपांतरण किया जाता है तो ऐसे लिखतों को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में ऋण के रूप में शुरू से ही अनर्जक आस्ति माना जाए, यदि पुनर्चना पैकेज के कार्यान्वयन के बाद उस ऋण का वर्गीकरण अवमानक अथवा संदिग्ध हो, तथा संबंधित मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए।

3.10.3 राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत निवेश

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए यदि बैंक को देय ब्याज और/या मूलधन या अन्य कोई राशि 180 दिनों से अधिक अवधि तक अतिदेय है तो राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड लागू होंगे। 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष से जब बैंक को देय ब्याज/मूलधन की किस्त (अवधिपूर्णता आगम को मिलाकर) या अन्य कोई राशि 90 दिनों से अधिक अवधि तक अदा नहीं की गई हो तब राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश जिसमें 'डीम्ड अग्रिम' के स्वरूप की प्रतिभूतियां शामिल हैं, पर अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड लागू होंगे।

4. रिपो /रिवर्स रिपो लेनदेन के लिए एकसमान लेखा पद्धति

4.1 सरकारी प्रतिभूतियों तथा कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में बाजार रिपो लेनदेन पर लागू होने वाले लेखा दिशानिर्देश 01 अप्रैल 2010 से प्रभावी होंगे। तथापि, ये लेखा मानदंड भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत किए गए रिपो/रिवर्स रिपोर्ट लेनदेन पर लागू नहीं होंगे।

4.2 बाजार सहभागी निवेश की तीन श्रेणियों अर्थात् खरीद-बिक्री के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध तथा परिपक्वता तक धारित में से किसी एक से रिपो ले सकते हैं।

4.3 रिपो लेनदेन का आर्थिक अभिप्राय अर्थात् प्रतिभूतियों की बिक्री (खरीद) के द्वारा निधियों का उधार लेना (उधार देना) बहियों में सहमति के आधार पर निर्धारित शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ उन्हें संपार्थिक उधार देने तथा उधार लेने के रूप में लेखांकित किया जाए। तदनुसार, रिपो विक्रेता अर्थात् प्रथम चरण में निधियों के उधारकर्ता को रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निकाल देना चाहिए लेकिन उसे अपने निवेश खाते में दर्ज करना जारी रखे (कृपया अनुबंध में उदाहरण देखें) जिससे रिपो अवधि के दौरान प्रतिभूतियों

में उसका सतत आर्थिक ब्याज प्रदर्शित हो। दूसरी तरफ, रिपो क्रेता अर्थात् प्रथम चरण में निधियों का उधारदाता रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को अपने निवेश खाते में शामिल नहीं करेगा बल्कि उसे अलग से एक उप-शीर्ष (कृपया अनुबंध देखें) के अंतर्गत प्रदर्शित करना चाहिए। तथापि, प्रतिभूतियों को सामान्य आउट राइट बिक्री/खरीद लेनदेन के मामले की तरह रिपो विक्रेता से रिपो क्रेता को अंतरित किया जाएगा और प्रतिभूतियों के ऐसे अंतरण को रिपो/रिवर्स रिपो खातों तथा दो तरफा प्रविष्टियों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित किया जाए। रिपो विक्रेता के मामले में रिपो खाते में बेची गई प्रतिभूतियों (प्राप्त निधियों) के लिए प्रथम चरण में जमा किया जाता है जबकि दूसरे चरण में जब प्रतिभूतियों को पुनः खरीदा जाता है तो उसे प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। इसी प्रकार, रिपो क्रेता के मामले में खरीदी गई प्रतिभूतियों (उधार दी गई निधि) की राशि को रिवर्स रिपो खाते के नामे किया जाता है और जब प्रतिभूतियों को वापस खरीदा जाता है तो दूसरे चरण में उस राशि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है।

4.4 रिपो का पहला चरण प्रचलित बाजार दरों पर संविदाकृत किया जाए। लेनदेन का प्रत्यावर्तन (दूसरा चरण) इस प्रकार किया जाए कि प्रथम तथा द्वितीय चरणों के बीच प्रतिफल राशियों का अंतर रिपो ब्याज को दर्शाए।

4.5 रिपो/रिवर्स रिपो का हिसाब लगाते समय निम्नलिखित अन्य लेखा सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा:

(i) कूपन/बट्टा

रिपो/विक्रेता रिपो की अवधि के दौरान रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों पर कूपन/बट्टा उपचित करना जारी रखेगा। खरीददार बट्टा उपचित नहीं करेगा। यदि रिपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति के ब्याज के भुगतान की तारीख रिपो अवधि के दौरान आती है तो प्रतिभूति के खरीदार द्वारा प्राप्त कूपनों को प्राप्त करने की तारीख को विक्रेता को प्रदान किया जाए क्योंकि दूसरे चरण में विक्रेता द्वारा देय नकद प्रतिफल में कोई मध्यवर्ती नकदी प्रवाह शामिल नहीं है।

(ii) रिपो ब्याज आय /व्यय

रिपो /रिवर्स रिपो के दूसरे चरण का लेनदेन पूरा होने के बाद,

रिपो पहले चरण तथा दूसरे चरण के बीच प्रतिभूतियों की प्रतिफल राशि में अंतर को क्रेता/विक्रेता की बहियों में क्रमशः रिपो ब्याज आय /व्यय के रूप में गिना जाए; तथा

रिपो ब्याज आय /व्यय खाते में बकाया शेष को लाभ तथा हानि खाते में आय अथवा व्यय के रूप में अंतरित किया जाए। *तुलनपत्र की तारीख को बकाया* रिपो /रिवर्स रिपो लेनदेनों के संबंध में केवल *तुलनपत्र-तारीख तक* उपचित आय /व्यय को लाभ-हानि खाते में लिया जाए। बकाया लेनदेनों के संबंध में अनुवर्ती अवधि के लिए कोई भी रिपो आय/व्यय को अगली लेखा अवधि के लिए ध्यान में लिया जाए।

(iii) बाज़ार दर पर

रिपो विक्रेता प्रतिभूति के निवेश वर्गीकरण के अनुसार रिपो लेनदेन के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों का बाजार दर मूल्यन करना जारी रखेगा। उदाहरण के लिए, रिपो लेनदेन के अंतर्गत बैंकों द्वारा बेची गई प्रतिभूतियां **बिक्री के लिए उपलब्ध** श्रेणी से बाहर हो गयी हों।

4.6 लेखा पद्धति

जिन लेखा पद्धतियों का अनुपालन करना है उन्हें नीचे दिया गया है तथा **अनुबंध VIII-1 तथा VIII-2** में उदाहरण दिए गए हैं। बाजार के जो सहभागी अधिक कड़े लेखा सिद्धांतों का उपयोग कर रहे हैं, वे उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग जारी रखें। इसके साथ ही, रिपो लेनदेनों से उठने वाले विवादों को दूर करने के लिए सहभागी, फिमडा द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रलेखन के अनुसार द्विपक्षीय मास्टर रिपो समझौता करने पर विचार करें ।

4.7 खातों का वर्गीकरण

बैंकों को रिपो खाता में शेष को यथोचित रूप से अनुसूची 4 की मद 1(ii) अथवा (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत करना चाहिए। इसी प्रकार, रिवर्स रिपो खाता में शेष को यथोचित रूप से अनुसूची 7 की मद 1(ii) क अथवा (iii) ख के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। रिपो ब्याज व्यय खाते तथा रिवर्स रिपो ब्याज आय खाते में शेष को क्रमशः अनुसूची 15 (यथोचित रूप से मद II अथवा III के अंतर्गत) तथा अनुसूची 13 (यथोचित रूप से मद III अथवा IV के अंतर्गत) वर्गीकृत किया जाए। अन्य सहभागियों के लिए तुलनपत्र वर्गीकरण पर उनसे संबंधित रेगुलेटरों द्वारा जारी दिशानिर्देश लागू होंगे।

4.8 प्रकटीकरण

अनुबंध VII के अंतर्गत निर्धारित किए गए प्रकटीकरण बैंकों द्वारा 'लेखे पर टिप्पणियों' में किए जाने चाहिए ।

4.9 आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पर कार्रवाई करना

(i) सरकारी प्रतिभूति :

सरकारी प्रतिभूतियों में बाजार रिपो लेनदेन पर विनियामक कार्रवाई जैसे अब तक चल रही थी वैसे ही जारी रहेगी अर्थात् रिपो के अंतर्गत उधार ली गई निधियों को सीआरआर/एसएलआर की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा और रिवर्स रिपो के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूति एसएलआर में शामिल होने की पात्र बनी रहेगी ।

(ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां

कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेन के संबंध में, जैसा कि आईडीएमडी. डीओडी. 05/11.08.38/2009-10 दिनांक 8 जनवरी 2010 के माध्यम से पहले ही सूचित किया गया है कि-

क. रिपो के माध्यम से किसी बैंक द्वारा उधार ली गई राशि की गणना उसकी मांग और मीयादी देयताओं (डीटीएल) के एक हिस्से के रूप में की जाएगी और वह राशि सीआरआर/एसएलआर की पात्र होगी ।

ख. कार्पोरेट बांडों में रिपो के माध्यम से बैंक द्वारा लिए गए उधार की गणना रिजर्व अपेक्षा के लिए उसकी देयताओं के रूप में उस सीमा तक की जाए जिस सीमा तक वे बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं हैं और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत खंड (घ) के अनुसार उन्हें घटाया जाए । तथापि, इस प्रकार के उधार अंतर-बैंक देयताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं के अधीन होंगे ।

5. सामान्य

5.1 आय-निर्धारण

i) कंपनी निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों के संबंध में, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार ने ब्याज के भुगतान तथा मूलधन की वापसी की गारंटी दी है वहां बैंक आय को उपचय आधार पर दर्ज कर सकते हैं बशर्ते ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है और कुछ बकाया नहीं है ।

ii) बैंक उपचय आधार पर कॉर्पोरेट निकायों के शेयरों पर मिलने वाले लाभांश से प्राप्त आय दर्ज कर सकते हैं बशर्ते कॉर्पोरेट निकाय ने अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरों पर लाभांश की घोषणा की है तथा शेयरों के स्वामी का भुगतान प्राप्त करने पर अधिकार स्थापित है ।

iii) जहां इन लिखतों पर ब्याज दर पूर्व निर्धारित है तथा इस शर्त पर कि ब्याज की नियमित चुकौती की जा रही है और कुछ बकाया नहीं है ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों तथा कॉर्पोरेट निकायों के बांडों तथा डिबेंचरों से प्राप्त आय को बैंक उपचित आधार पर दर्ज कर सकते हैं।

iv) बैंकों को चाहिए कि वे म्युचुअल फंडों की इकाइयों से प्राप्त आय को नकद आधार पर दर्ज करें।

5.2 खंडित अवधि ब्याज

सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में बैंकों को विक्रेता को भुगतान किए गए खंडित अवधि ब्याज को लागत के एक हिस्से के रूप में पूंजीकरण नहीं करना चाहिए, किंतु उसे लाभ तथा हानि खाते के अंतर्गत व्यय की मद के रूप में समझा जाना चाहिए । यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त लेखा पद्धति कर से संबंधित प्रभावों को ध्यान

में नहीं लेती है तथा इसलिए बैंकों को आयकर प्राधिकरणों की अपेक्षाओं का उनके द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार अनुपालन करना चाहिए।

5.3 डिमेटिरियालाइज्ड धारिताएं

बैंकों को सूचित किया गया है कि भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा अनुसूचित किये गये अनुसार वे प्रतिभूतियों में किए जानेवाले लेनदेन का निपटान केवल डिपॉजिटरीज के माध्यम से करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि डिमैट फॉर्म में अनिवार्य खरीद-बिक्री की प्रक्रिया लागू कर दिये जाने के बाद वे सूचीबद्ध कंपनियों के ऐसे शेयर नहीं बेच सकेंगे जो फिजिकल फॉर्म में रखे गये थे। 30 जून 2002 तक क्रिप फार्म में रखे गये बकाया निवेशों को डिमेटिरियालाइज्ड फार्म में परिवर्तित करना होगा। ईक्विटी लिखतों के संबंध में बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे 31 दिसंबर 2004 तक अपनी सभी क्रिप फार्म में रखी गयी ईक्विटी धारिताओं को डिमेटिरियालाइज्ड फार्म में परिवर्तित कर लें।

अनुबंध 1-क

सरकारी प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेल

बैंक केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेल कर सकते हैं, बशर्ते शॉर्ट पोजिशन बिक्री के दिन सहित पाँच ट्रेडिंग दिवसों की अधिकतम अवधि के दौरान कवर किया जाता है। दूसरे शब्दों में आज (बिक्री का दिन, टी+0) किया गया शॉर्ट सेल 0टी+4 दिवस की समाप्ति से पहले कवर किया जाना चाहिए। इस प्रकार के शॉर्ट पोजिशन केवल उसी प्रतिभूति की समान राशि की सीधी खरीद द्वारा टी कवर किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनाये गये 'सिक्योरिटीज शॉर्ट सोल्ड (एसएसएस) खाते' में शॉर्ट पोजिशन प्रतिबिम्बित होगा। इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए शॉर्ट सेल और नोशनल शॉर्ट सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

'शॉर्ट सेल' उन प्रतिभूतियों की बिक्री है जो विक्रेता के पास नहीं है। बैंक 'नोशनल' शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं जिसमें वे ऐसी प्रतिभूति बेच सकते हैं जो 'व्यापार के लिए धारित' (एचएफटी) में नहीं है, भले ही वह (बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)/परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) बही में ही। इसके फलस्वरूप जो 'नोशनल' शॉर्ट पोजिशन होगा उस पर वही विनियामक अपेक्षाएं लागू होंगी जो शॉर्ट सेल पर लागू होती हैं। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन से शॉर्ट सेल में 'नोशनल' शॉर्ट सेल को भी शामिल किया गया है। बैंकों द्वारा किया

गया शॉर्ट सेल तथा कवर करने के लिए किया गया लेनदेन एएफएस/एचटीएम श्रेणियों में रखी गयी उसी प्रतिभूति की धारिता और मूल्यांकन को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करेगा।

शॉर्ट सेल सौदे बैंक द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन किये जा सकते हैं :

न्यूनतम अपेक्षाएं:

शॉर्ट सेल के संबंध में बैंक निम्नलिखित शर्तों का पालन करेंगे:

क) सौदे का बिक्री का चरण और 'कवर' का चरण केवल तयशुदा लेनदेन प्रणाली - ऑर्डर मैचिंग (एनडीएम -ओएम) प्लेटफॉर्म पर किया जाना चाहिए।

ख) सौदे का बिक्री के चरण और 'कवर' के चरण का हिसाब एचएफटी संवर्ग में होना चाहिए।

ग) किसी भी हालत में निपटान दिवस को प्रतिभागी को शॉर्ट बेची गयी प्रतिभूति की सुपर्दगी करने में चूक नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट बेची गयी प्रतिभूति की सुपर्दगी न कर पाने पर उसे 'एसजीएल बाउंसिंग' माना जाएगा तथा इसके लिए बैंक एसजीएल बाउंसिंग के लिए निर्धारित अनुशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे। साथ ही, आवश्यक समझे जाने पर अन्य विनियामक कार्रवाई भी की जा सकती है।

घ) किसी भी समय बैंक के पास एचएफटी संवर्ग में निम्नलिखित सीमाओं से अधिक किसी प्रतिभूति में शॉर्ट पोजिशन (अंकित शून्य) संचित नहीं होनी चाहिए।

i. अर्थसुलभ (लिक्विड) प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य प्रतिभूतियों के मामले में प्रत्येक प्रतिभूति के निर्गत कुल बकाया भंडार का 0.25 %।

ii. अर्थसुलभ प्रतिभूतियों के मामले में प्रत्येक प्रतिभूति के निर्गत कुल बकाया भंडार का 0.50%।

ङ) उपर्युक्त विवेकपूर्ण सीमा का तात्कालिक आधार पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक पूरी तरह जिम्मेवार होंगे। इसके लिए उन्हें समुचित प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (एनडीएस-ओएम) में जो नियंत्रण दिये गये हैं वे अतिरिक्त साधन के रूप में हैं तथा आंतरिक या विनियामक सीमाओं के उल्लंघन के लिए उन्हें जिम्मेवार नहीं ठहराया जाना चाहिए। भारत सरकार की प्रत्येक दिनांकित प्रतिभूति के बकाया भंडार के बारे में सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट (यूआरएल :- <http://rbi.org.in/scripts/NDSUserXs1.aspx>) पर उपलब्ध करायी जा रही है। सीमाओं के अनुपालन के लिए अर्थसुलभ प्रतिभूतियों की सूची नियत आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (किमडा) द्वारा समय-समय पर उपलब्ध करायी जाएगी।

च) जो बैंक शॉर्ट सेल सौदे करते हैं वे **दैनिक आधार पर** शॉर्ट पोजिशन सहित अपने संपूर्ण एचएफटी संविभाग का बाजार आधारित मूल्यांकन करेंगे तथा इसके परिणामस्वरूप बाजार आधारित लाभ/हानि का हिसाब एचएफटी संविभाग के बाजार आधारित मूल्यांकन संबंधी संबंधित दिशानिर्देश के अनुसार करेंगे।

छ) सीएसजीएल सुविधा के अंतर्गत गिफ्ट खाता धारकों (जीएएच) को शॉर्ट सेल करने की सुविधा नहीं है। सीएसजीएल खाता रखनेवालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि गिफ्ट खाता धारक शॉर्ट सेल नहीं करते हैं।

सुपुर्दगी दायित्व को पूरा करने के लिए (रिपो बाजार के माध्यम से) प्रतिभूति उधार लेना

चूँकि जिन प्रतिभूतियों की शॉर्ट बिक्री की जाती है उनकी **अनिवार्य रूप** से निपटान की तारीख को सुपुर्दगी करनी पड़ती है, अतः प्रतिभागियों को यह अनुमति दी जाती है कि वे रिपो बाजार से प्रतिभूति प्राप्त कर सुपुर्दगी दायित्व को पूरा करें। अतः, निपटान चक्रों के दौरान प्रतिभागियों को शॉर्ट पोजिशन रखने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे रिवर्स रिपो के अंतर्गत प्राप्त प्रतिभूतियों का उपयोग शॉर्ट सेल सौदे के दायित्व को पूरा करने में कर सकते हैं। यद्यपि, रिवर्स रिपो का रोल ओवर किया जा सकता है, इस बात पर जोर दिया जाता है कि एक के बाद एक आनेवाली रिवर्स रिपो संविदाओं की सुपुर्दगी बाध्यताओं को भी अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा संबंधित बैंकों के विरुद्ध ऊपर निर्दिष्ट विनियामक कार्रवाई की जा सकती है। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए कि रिवर्स रिपो के अंतर्गत प्राप्त प्रतिभूतियों के उपयोग की उपर्युक्त अनुमति केवल बाजार रिपो के अंतर्गत प्राप्त प्रतिभूतियों पर लागू होती है, **न कि** रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्राप्त प्रतिभूतियों पर।

नीति और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

इस परिपत्र के अनुसार वास्तविक रूप से लेनदेन करने के पहले बैंकों को शॉर्ट सेल के संबंध में लिखित नीति बनानी चाहिए जो उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। नीति में आंतरिक दिशानिर्देश होने चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शॉर्ट पोजिशन की जोखिम सीमा, सभी पात्र प्रतिभूतियों में कुल नोमिनल शॉर्ट सीमा (अंकित मूल्य के संदर्भ में), हानि रोको सीमा, विनियामक और आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, शॉर्ट सेल गतिविधि की सूचना बोर्ड और रिज़र्व बैंक को देना, उल्लंघन के मामले में प्रक्रिया, आदि शामिल होंगे। बैंक ऐसी प्रणाली स्थापित करेंगे ताकि यदि कोई उल्लंघन हो तो तुरंत, उसी ट्रेडिंग दिवस के भीतर पता चल जाए।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अलावा संगामी लेखा परीक्षकों को इन निदेशों तथा आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुपालन का विशेष रूप से सत्यापन करना चाहिए तथा यदि कोई उल्लंघन हो तो उसकी सूचना उचित रूप से कम अवधि के भीतर उपयुक्त आंतरिक प्राधिकारी को देनी चाहिए। अपनी मासिक सूचना प्रणाली के एक अंग के रूप में संगामी लेखा परीक्षक इस बात की जाँच कर सकते हैं कि क्या स्वतंत्र बैंक/मिड ऑफिस ने उल्लंघनों को ध्यान में लिया है तथा क्या उन्होंने अपेक्षित समय-सीमा के भीतर उपयुक्त आंतरिक प्राधिकारी को सूचित किया है। इस संबंध में विनियामक दिशानिर्देशों के उल्लंघन की सूचना अविलंब उस लोक ऋण

कार्यालय में, जहाँ एसजीएल खाता रखा जाता है तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को भेजी जानी चाहिए।

अनुबंध 1-ख

जारी होने पर (व्हेन इश्यूड) बाजार - दिशानिर्देश

परिभाषा

"व्हेन, एज़ और इफ इश्यूड" (सामान्यतः "व्हेन-इश्यूड" (डब्ल्यू आइ) के रूप में जाना जाता है) प्रतिभूति वह प्रतिभूति है जिसके निर्गमन का अधिकार दिया गया है परंतु अभी तक वास्तविक रूप में निर्गम नहीं किया गया। डब्ल्यू आइ ट्रेडिंग नये शेयर की घोषणा के समय और उसे वास्तविक रूप में जारी करने के समय के बीच में होती है। सभी "व्हेन इश्यूड" लेनदेन "इफ" आधार पर होते हैं जिसका निपटान यदि और जब वास्तविक प्रतिभूति जारी की जाये तब किया जाता है।

परिचालन की क्रियाविधि

व्हेन इश्यूड आधार पर किसी प्रतिभूति का लेनदेन निम्नलिखित पद्धति से किया जाएगा।

- क. डब्ल्यूआइ लेनदेन ऐसी प्रतिभूतियों के मामले में किया जा सकता है जिनका पुनर्निर्गम किया जा रहा हो तथा नयी प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए डब्ल्यू आइ लेनदेन चयनित आधार पर किया जाएगा ।
- ख. डब्ल्यूआइ लेनदेन की शुरुआत अधिसूचना की तारीख को की जाएगी और जारी करने की तारीख के तुरंत पहले कार्य दिवस पर इसे बंद किया जाएगा ।
- ग. सभी व्यापार की तारीखों के लिए सभी डब्ल्यूआइ लेनदेनों के निपटान हेतु जारी करने की तारीख को संविदाकृत किया जाएगा ।
- घ. जारी करने की तारीख को निपटान के समय डब्ल्यूआइ प्रतिभूति में व्यापार वर्तमान प्रतिभूति में लेनदेन के साथ समायोजित किये जा सकते हैं ।
- ङ 'डब्ल्यूआइ' लेनदेन तयशुदा लेनदेन प्रणाली आर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) पर ही शुरू किए जाएं ।
- च. डब्ल्यूआइ बाजार में केवल प्राथमिक व्यापारी खरीद से अधिक बिक्री कर सकते हैं । प्राथमिक व्यापारी से इतर संस्थाएं डब्ल्यूआइ प्रतिभूति की बिक्री केवल तभी कर सकते हैं जब उनके पास समकक्ष या उच्चतर राशि की पूर्वगामी खरीद की संविदा हो।
- छ. डब्ल्यूआइ बाजार में जोखिम की स्थिति निम्नलिखित सीमाओं के अधीन है :

श्रेणी	पुनर्निर्गमित प्रतिभूति	नयी निर्गमित प्रतिभूति
प्राथमिक व्यापारी से इतर	अधिक्रय, अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत से अनधिक	अधिक्रय, अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत से अनधिक
प्राथमिक व्यापारी	अधिक्रय अथवा खरीद से अधिक बिक्री, अधिसूचित राशि के 10 प्रतिशत से अनधिक	खरीद से अधिक बिक्री तथा अधिक्रय अधिसूचित राशि के क्रमशः 6 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से अनधिक

- ज. किसी भी कारणवश निलामी के रद्द होने की स्थिति में सभी डब्ल्यूआइ व्यापार को अनिवार्य बाध्यता के आधार पर प्रारंभ से अकृत और शून्य माना जाएगा ।

आंतरिक नियंत्रण

डब्ल्यूआइ बाजार में भाग लेने वाले एनडीएस-ओएम के सभी सदस्यों के लिए डब्ल्यू आइ पर लिखित नीति होना अनिवार्य है जो निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए । इस नीति में आंतरिक दिशानिर्देश निर्धारित किये जाने चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डब्ल्यूआइ स्थिति (प्रतिभूति में समग्र स्थिति को शामिल करते हुए डब्ल्यूआइ और वर्तमान प्रतिभूति) पर जोखिम सीमा, डब्ल्यूआइ और समग्र प्रतिभूति के लिए कुल नाम मात्र सीमा (अंकित मूल्य में) विनियामक तथा आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए

आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाएं, उच्च प्रबंधन के डब्ल्यूआइ के कार्यकलापों की सूचना, अतिक्रमण से निपटने की कार्य प्रणाली, आदि का समावेश किया जाना चाहिए। उल्लंघनों का निश्चित रूप से लेनदेन के दिन के भीतर ही तुरंत पता लगाने हेतु एक प्रणाली होनी चाहिए। समवर्ती लेखा परीक्षकों को इन अनुदेशों के अनुपालन का विशिष्ट रूप में सत्यापन करना चाहिए और उचित आंतरिक प्राधिकारी को पर्याप्त अल्पावधि के भीतर लेनदेन के दिन ही उल्लंघनों, यदि कोई हो, की सूचना देनी चाहिए। अपने मासिक रिपोर्टिंग के भाग के रूप में समवर्ती लेखा परीक्षक इस बात का सत्यापन करें कि क्या स्वतंत्र बैंक ऑफिस ने ऐसे सभी व्यपगमों की पहचान की है और अपेक्षित समय सीमा के भीतर उनकी सूचना दी है। इस संबंध में पाये गये किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभाग तथा लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ), मुंबई और आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को तुरंत दी जानी चाहिए।

अनुबंध - 1 ग

पैरा 1.1 (i) (बी)

**बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों के लेनदेन - प्राथमिक निर्गमों के लिए
नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों को बेचने की शर्तें**

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गयी अधिकृत आबंटन-सूचना के आधार पर आबंटिती बैंक द्वारा बिक्री की संविदा केवल एक बार की जा सकती है। 20 जुलाई 2005 के हमारे परिपत्र सं. आरबीआइ/2005-06/73 आईडीएमडी. पीडीआरएस.337/10.02.01/2005-06 तथा 29 मार्च 2004 के हमारे परिपत्र सं. आईडीएमडी. पीडीआरएस. 05/10.02.01/2003-04 में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं निबंधनों का अनुपालन किए जाने पर आबंटिती में से खरीदार को संबंधित प्रतिभूति की किसी प्राथमिक नीलामी में पुनः बिक्री की भी अनुमति है। प्रतिभूतियों की कोई भी बिक्री केवल T+0 अथवा T+1 निपटान आधार पर ही की जाए।

(ii) आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री की संविदा बैंकों द्वारा उन संस्थाओं के साथ की जा सकती है जिनके एसजीएल खाते भारतीय रिज़र्व बैंक में हैं तथा यह संविदा सीएसजीएल

खाताधारकों के साथ तथा उनके बीच की जा सकती है। उक्त संविदा भुगतान पर सुपुर्दगी (डीवीपी) प्रणाली के माध्यम से अगले कार्य दिवस पर सुपुर्दगी और निपटान के लिए होगी।

(iii) बेची गयी प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य आबंटन-सूचना में बताये गये अंकित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iv) बिक्री का सौदा दलाल / दलालों के बिना सीधे किया जाना चाहिए।

(v) इस तरह के बिक्री-सौदों का अलग रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, जिसमें आबंटन-सूचना की संख्या और तारीख, आबंटित प्रतिभूतियों के विवरण और अंकित मूल्य जैसे ब्यौरे, खरीद संबंधी बातें, बेची गयी प्रतिभूतियों की संख्या, सुपुर्दगी की तारीख और अंकित मूल्य, बिक्री संबंधी बातें, वास्तविक सुपुर्दगी की तारीख और ब्यौरे अर्थात् एसजीएल. फार्म सं. आदि दिए जाने चाहिए। यह रिकॉर्ड सत्यापन के लिए रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस तरह का रिकॉर्ड रखने में बैंक की कोई चूक हो तो उसकी रिपोर्ट तत्काल दी जानी चाहिए।

(vi) प्राथमिक निर्गमों के लिए नीलामी में आबंटित और अधिकृत आबंटन-सूचना पर आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के उसी दिन बिक्री-लेनदेनों की समवर्ती लेखा-परीक्षा की जायेगी और संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट बैंक के कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को हर महीने प्रस्तुत की जानी चाहिए। उसकी एक प्रति बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को भी भेजी जानी चाहिए।

(vii) भुगतान न होने / चेक नकारे जाने आदि के कारण बैंकों के एसजीएल. खाते में प्रतिभूतियां जमा न होने के कारण किसी संविदा की असफलता के लिए संबंधित बैंक पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

अनुबंध 1 - घ

सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन पर दिशानिर्देश

स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन

विद्यमान सरकारी प्रतिभूति के आवधिक कूपन भुगतान को व्यापार योग्य जीरो कूपन प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया स्ट्रिपिंग है जिनका सामान्यतया बाजार में बट्टे पर कारोबार होगा तथा उनका मोचन अंकित मूल्य पर किया जाएगा। इस प्रकार, पाँच वर्षीय प्रतिभूति से 10 कूपन प्रतिभूतियां (जो कूपन मानी जाएँगी) प्राप्त होंगी जो उनकी कूपन तारीखों को परिपक्व होंगी तथा एक मूल प्रतिभूति मूल राशि की होगी और यह पाँच वर्षीय प्रतिभूति की मोचन तारीख को परिपक्व होगी। पुनर्गठन स्ट्रिपिंग की विपरीत प्रक्रिया है जहाँ कूपन स्ट्रिप्स और मूल स्ट्रिप्स को एक मूल सरकारी प्रतिभूति में पुनर्गठित किया जाता है।

2. सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के खंड 11(2) के स्पष्टीकरण के अनुसार किसी सरकारी प्रतिभूति को विशिष्ट शर्तों के अधीन उसके धारक से प्राप्त आवेदन पर उसके ब्याज और मूलधन के

लिए अलग से स्ट्रिप अथवा पुनर्गठित किया जा सकता है। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग तथा/अथवा पुनर्गठन के लिए शर्तों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 16 अक्टूबर 2009 की अधिसूचना आंक्रप्रवि.1762/2009-10 द्वारा अधिसूचित किया गया है (अनुबंध I- घ-1)।

स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की प्रक्रिया

3. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) के अंतर्गत स्वचलित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की प्रक्रिया एक "स्ट्रेट थ्रू" प्रक्रिया होगी जिसमें हस्तचालित हस्तक्षेप नहीं होगा। स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए अनुरोध एनडीएस पर बाजार सहभागियों द्वारा सृजित और अनुमोदित किया जाएगा तथा उसके बाद उसे प्राधिकरण के लिए उनके पसंद के प्राथमिक व्यापारी को भेज दिया जाएगा। पीडी के प्राधिकरण के बाद ऐसे अनुरोध प्रणाली (पीडीओ-एनडीएस) पर प्राप्त करके उन परकारवाई की जाएगी और सृजित स्ट्रिप्स/पुनर्गठित प्रतिभूतियों के लिए अनुरोध करने वाले सहभागियों के खातों में आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियाँ की जाएंगी। सहभागियों द्वारा स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए किए गए अनुरोधों पर एनडीएस द्वारा प्रतिभूतियों की वैधता, उपलब्ध शेष राशि जैसी आवश्यक वैधता जाँच की जाएगी। तथापि, सहभागियों से अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए अनुरोध करते समय उनके खाते में पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध है।

4. सामान्यतया, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए आइएसआइएन प्रतिभूतियों की नीलामी के समय दी जाती है। तथापि, स्ट्रिप्स के मामले में, क्योंकि ये प्रतिभूतियाँ सहभागी के अनुरोध पर सृजित

की जाती हैं, आइएसआइएन तथा स्ट्रिप्स का नाम पहले से निर्धारित एलॉगर्थिम द्वारा सृजित किया जाता है (अनुबंध-1-घ-2 देखें)।

5. प्रत्येक स्ट्रिप्स (कूपन तथा मूल) का अंकित मूल्य 100 रुपये होगा।

पात्रता

6. सरकारी प्रतिभूतियों, जो स्ट्रिपिंग/ पुनर्गठन के पात्र हैं, के शेष धारित करने वाले व्यक्तियों सहित कोई भी संस्था, (समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित किए अनुसार), इन प्रतिभूतियों को स्ट्रिप्स/पुनर्गठित करा सकते हैं। तथापि, पात्र सरकारी प्रतिभूतियों/स्ट्रिप्स की अपनी शेष राशि की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के इच्छुक सहभागी (गैर-पीडी) किसी एक प्राथमिक व्यापारी का चयन करके स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए एनडीएस पर अपना अनुरोध सृजित कर सकते हैं। गैर-पीडी सदस्यों द्वारा स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए किए गए ऐसे अनुरोध पीडी द्वारा प्राधिकृत किए जाएंगे तथा उसके बाद एनडीएस को उचित कार्रवाई (स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन) के लिए भेजे जाएंगे। गिल्ट खाताधारकों द्वारा स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन का अनुरोध उनके अपने अभिरक्षकों के समक्ष रखा जाएगा जो अपने ग्राहकों की ओर से एनडीएस में अनुरोध करेंगे। चूंकि स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की अनुमति केवल इलैक्ट्रॉनिक रूप

में ही है, सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के इच्छुक सहभागियों का एसजीएल खाता भारतीय रिज़र्व बैंक के पास होना चाहिए अथवा उस अभिरक्षक के पास गिल्ट खाता होना चाहिए जिसका सीएसजीएल खाता भारतीय रिज़र्व बैंक के पास हो। प्राथमिक व्यापारी स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए सीधे एनडीएस में अनुरोध कर सकते हैं तथा उन्हें किसी अन्य पीडी के माध्यम से आने की आवश्यकता नहीं है।

7. आरंभ में सभी प्राथमिक व्यापारी स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन प्राधिकृत करने के पात्र होंगे। तथापि, रिज़र्व बैंक अपने विवेक के आधार पर किसी प्राथमिक व्यापारी को ऐसा अनुरोध प्राधिकृत करने के लिए इनकार कर सकता है। स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत करते समय बाजार भागीदारों को अपना पीडी चुनने की स्वतंत्रता होगी। स्ट्रिप्स में पीडी की भूमिका मार्केट मेकर की होगी और वह बाजार में दो तरफा बोली लगाएगा।

समय

8. स्ट्रिपिंग के लिए अनुरोध केवल 9.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न के बीच ही किया जा सकेगा। प्रणाली (पीडीओ-एनडीएस) द्वारा प्राप्त स्ट्रिपिंग के सभी अनुरोधों पर 2.00 बजे अपराह्न में कार्रवाई की जाएगी तथा स्ट्रिपिंग के कारण स्ट्रिप्स की देय राशि (कूपन तथा मूल राशि) सहभागियों के एसजीएल खाते में जमा करने के लिए प्रविष्टियाँ पारित की जाएंगी। 2.00 बजे अपराह्न तक प्राधिकृत न किए गए अनुरोध सिस्टम द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। किसी भी कारोबार/कार्य दिवस को स्ट्रिपिंग अनुरोध 2.00 बजे अपराह्न के बाद अनुमोदित/प्राधिकृत नहीं किए जाएंगे।

9. इसी प्रकार, पुनर्गठन के लिए अनुरोध 9.00 बजे पड़ार्वाह्न और 2.00 बजे अपराह्न के बीच प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तथापि पुनर्गठन के लिए अनुरोधों पर ऑनलाइन कार्रवाई की जाएगी अर्थात् पीडी द्वारा ऐसे अनुरोध प्राधिकृत किए जाने पर तथा पर्याप्त और आवश्यक शेष राशि उपलब्ध होने पर आवेदक सहभागी के खाते में आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियाँ तुरंत पारित की जाएंगी। तथापि ऊपर पैराग्राफ 8 में निर्दिष्ट किए अनुसार 2.00 बजे अपराह्न तक प्राधिकृत न किए गए पुनर्गठन के अनुरोध प्रणाली द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। किसी भी कारोबार/कार्य दिवस को 2.00 बजे अपराह्न के बाद पुनर्गठन का कोई भी अनुरोध अनुमोदित/प्राधिकृत नहीं किया जाएगा। चूंकि पुनर्गठन के अनुरोधों पर कार्रवाई ऑन लाइन होती है, ऐसे अनुरोध जब भी किसी पीडी के माध्यम से आए, पीडी द्वारा सिस्टम अधिसूचना (प्राधिकरण का अनुरोध) की प्राप्ति के 15 मिनट के भीतर प्राधिकृत कर दिए जाएंगे।

पात्र प्रतिभूतियाँ

10. भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए पात्र प्रतिभूतियों को अधिसूचित करता रहेगा। आरंभ करते हुए, भारत सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ, अस्थायी दर बांडों को छोड़कर, जिनकी कूपन तारीख 2 जनवरी और 2 जुलाई है, स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए पात्र होंगी। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा जारी बकाया प्रतिभूतियाँ, अस्थायी दर बांडों को छोड़कर, जिनकी कूपन

तारीखें/परिपक्वता अवधि 2 जनवरी और 2 जुलाई हैं, चाहे उनका परिपक्वता का वर्ष कोई भी हो, स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की पात्र होंगी।

स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए न्यूनतम राशि

11. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रु. (अंकित मूल्य) और उसके गुणजों में होनी चाहिए।

लेखांकन और मूल्यांकन

12. स्ट्रिप्स, जीरो कूपन प्रतिभूतियाँ होने के कारण, का कारोबार बट्टे पर किया जाता है तथा अंकित मूल्य पर उनका मोचन किया जाता है। इस प्रकार स्ट्रिप्स का मूल्यांकन और लेखांकन जीरो कूपन बांड के रूप में तथा बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर 1 जुलाई 2009 के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के मास्टर परिपत्र के पैरा 3.7.2 द्वारा निर्धारित किए अनुसार किया जाएगा।

13. स्ट्रिप्स के मूल्यांकन के लिए आरंभ में प्रयोग की जाने वाली छूट की दरें बाजार आधारित होनी चाहिए। तथापि, कारोबार की गई जीरो कूपन दरें उपलब्ध न होने पर उनके स्थान पर फिमडा द्वारा प्रकाशित जीरो कूपन आय का प्रयोग किया जाना चाहिए।

14. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के परिणामस्वरूप एसजीएल खातों में लेखांकन प्रविष्टियाँ अंकित मूल्य पर पारित की जाएंगी। अतः सहभागी द्वारा स्ट्रिपिंग के लिए अनुरोध करने पर इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत सरकारी प्रतिभूति का अंकित मूल्य उसके एसजीएल खाते में नामे डाला जाएगा तथा उसी समय कूपन स्ट्रिप्स (सकल कूपन राशि के बराबर) का कुल अंकित मूल्य तथा मूल स्ट्रिप्स (सरकारी प्रतिभूति के अंकित मूल्य के बराबर) का अंकित मूल्य जमा किया जाएगा। **अनुबंध 1-घ-3** में एक उद्धरण दिया गया है।

15.1. तथापि स्ट्रिपिंग के दिन स्ट्रिप्स की पहचान उनके छूट प्राप्त मूल्य पर तथा उसी समय इस सरकारी प्रतिभूति की पहचान रद्द की जानी चाहिए। पुनर्गठन के लिए लेखांकन प्रक्रिया स्ट्रिपिंग के बिलकुल विपरीत होनी चाहिए। स्ट्रिप्स के लेखांकन के लिए विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार है।

15.2. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन से अपने आप में कोई लाभ/हानि नहीं होनी चाहिए। जैसा कि स्ट्रिप्स का जेडसीवाइसी का उपयोग करते हुए वर्तमान बट्टे खाते डाला गया मूल्य (कूपन तथा मूलधन) प्रतिभूति के अंकित मूल्य/बाजार मूल्य के बराबर नहीं होगा, स्ट्रिप्स का मूल्य एक घटक का प्रयोग करते हुए सामान्य किया जाएगा जो उस प्रतिभूति के अंकित मूल्य अथवा बाजार मूल्य (जो भी कम हो) तथा उस प्रतिभूति से सृजित सभी स्ट्रिप्स के बाजार मूल्य के कुल जोड़ का अनुपात होगा (उद्धरण **अनुबंध 1-घ- 4** में दिया गया है)। इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्ट्रिप्स के बाजार मूल्य का जोड़ प्रतिभूति के अंकित मूल्य/बाजार मूल्य, जो भी कम हो, के बराबर होगा।

15.3. बैंक अपने निवेश संविभाग के एएफएस/एचएफटी के अंतर्गत धारित पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को स्ट्रिप कर सकता है। तथापि, यदि स्ट्रिप का सृजन एचटीएम श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों में से

किया जाना है तो प्रतिभूति का अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में किए जाने की आवश्यकता है। स्ट्रिपिंग के प्रयोजन हेतु एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों का अंतरण, बैंको द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड पर 1 जुलाई 2009 के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के मास्टर परिपत्र द्वारा संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

15.4. यदि स्ट्रिप्स का सृजन एचटीएम संविभाग में धारित प्रतिभूतियों से होगा तो प्रतिभूतियों का अंतरण एचटीएम श्रेणी से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में होगा (एचटीएम से अंतरण व्यवस्था के अनुसार अर्थात् दिनांक 1 जुलाई 2009 के उक्त मास्टर परिपत्र के अनुसार वर्ष के आरंभ में वर्ष में एक बार होगा) तथा अंतरित प्रतिभूति अंकित मूल्य/बाजार मूल्य की न्यूनतम राशि आगे ले जायी जाएगी। मूल्यहास होने पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसे पहले के समान अनदेखा कर दिया जाएगा। उसके बाद अंकित मूल्य/बाजार मूल्य में से न्यूनतर का उपयोग प्रत्येक स्ट्रिप के बाजार मूल्य को अंकित मूल्य/बाजार मूल्य तक सामान्य करने के लिए किया जाएगा। स्ट्रिपिंग के बाद विद्यमान प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य/बाजार मूल्य की पहचान समाप्त कर दी जाएगी तथा स्ट्रिप्स का सामान्य मूल्य कर दिया जाएगा जिसका कुल जोड़ अंकित मूल्य/बाजार मूल्य के बिल्कुल बराबर होगा (जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि स्ट्रिपिंग के कारण कोई लाभ या हानि नहीं हुई है)। एचटीएम से प्रतिभूति के अंतरण के कारण हुई मूल्यवृद्धि को अनदेखा कर दिया जाएगा। एएफएस/एचएफटी संविभाग से स्ट्रिप की गई प्रतिभूतियों के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

स्ट्रिप्स की एसएलआर स्थिति

16. स्ट्रिप्स की पहचान एसएलआर प्रयोजनों के लिए पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में की जाएगी तथा उनमें सरकारी प्रतिभूतियों की सभी विशेषताएँ होंगी। वे बाजार रिपो के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो के लिए, उचित काँट-छाँट सहित, पात्र प्रतिभूतियाँ होंगी।

स्ट्रिप्स में कारोबार

17. आरंभ में स्ट्रिप्स पर ओटीसी बाजार में ही कारोबार किया जा सकेगा। अतः स्ट्रिप्स में कारोबार ओटीसी बाजार में किया जाएगा तथा सीसीसआइएल के माध्यम से समाशोधन और समायोजन के लिए एनडीएस को रिपोर्ट किया जाएगा।

18. स्ट्रिप्स की मंदडिया बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

19. जिन स्ट्रिप्स/प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया गया है, सहभागी उन्हें पहले बेच नहीं सकते। तदनुसार, सहभागियों द्वारा स्ट्रिप्स/प्रतिभूतियों का बिक्री लेनदेन प्रतिभूतियों के स्ट्रिप्स/पुनर्गठन तथा सहभागियों के एसजीएल खाते में दर्शाए जाने के बाद ही होगी।

शुल्क और प्रभार

20. रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं करेगा। साथ ही, आरंभ में, प्राथमिक व्यापारी, जो पीडीओ-एनडीएस में स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए अनुरोध प्राधिकृत करने के लिए "प्राधिकृत संस्थाएँ" हैं, इस गतिविधि के लिए सहभागियों से कोई प्रभार नहीं लेंगे।

अनुबंध 1-घ-1

I. परिभाषा :

(क) स्ट्रिप्स (प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन का पृथक व्यापार) भिन्न, पृथक प्रतिभूतियां हैं जो सरकारी प्रतिभूति के नकदी प्रवाह से सृजित होती हैं तथा निम्नलिखित से बनती हैं :-

(i) कूपन स्ट्रिप्स, जहां स्ट्रिप का एकल नकदी प्रवाह मूल प्रतिभूति के कूपन प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है ।

(ii) मूल स्ट्रिप, जहां स्ट्रिप का एकल नकदी प्रवाह मूल प्रतिभूति के मूल नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है ।

स्पष्टीकरण : प्रतिभूति की स्ट्रिपिंग के परिणामस्वरूप बकाया कूपन भुगतान तथा एक मूल स्ट्रिप के मोचन भुगतान होंगे। तदनुसार प्रत्येक स्ट्रिप 'शून्य कूपन बांड' बन जाएगी क्योंकि परिपक्वता पर उसका केवल एक नकदी प्रवाह होगा । प्रत्येक स्ट्रिप एक भिन्न सरकारी प्रतिभूति होगी और उसकी एक भिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति

पहचान संख्या (आइएसआइएन) होगी।

- (ख) 'स्ट्रिपिंग' का अर्थ है, नियमित सरकारी प्रतिभूति से जुड़े नकदी प्रवाह को पृथक करने की प्रक्रिया अर्थात् प्रत्येक बकाया अर्ध वार्षिक कूपन भुगतान तथा अंतिम मूलधन के भुगतान को पृथक प्रतिभूतियों में परिवर्तित करना ।
- (ग) 'पुनर्गठन' का अर्थ है, स्ट्रिपिंग की विपरीत प्रक्रिया, जहां स्ट्रिप्स को फिर से मूल प्रतिभूति बनाने के लिए दुबारा इकट्ठा किया जाता है ।
- (घ) 'प्राधिकृत संस्था' का अर्थ वह प्राथमिक व्यापारी अथवा अन्य कोई संस्था है जिसकी पहचान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के धारक से प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए उनके धारकों से अनुरोध स्वीकार करके भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुतकर्ता के रूप में की गई है ।

II. स्ट्रिप्स के लिए शर्तें:

1. सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय में पीडीओ-एनडीएस (तयशुदा लेनदेन प्रणाली) में की जाएगी।
2. सभी दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां, अस्थायी दर बांड के अतिरिक्त, जिनकी कूपन भुगतान की तारीख 2 जनवरी तथा 2 जुलाई है, परिपक्वता का वर्ष चाहे कोई भी हो, स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की पात्र होंगी।
3. उसी परिपक्वता तारीख वाली सभी कूपन स्ट्रिप्स की आइएसआइएन वही होगी, चाहे निहित प्रतिभूति कोई भी हो, जिससे ब्याज का भुगतान अलग किया जा रहा है तथा उसी नकदी प्रवाह की कूपन स्ट्रिप्स प्रतिमोच्य (आपस में अदला-बदली होने वाली) होंगी। कूपन स्ट्रिप्स की आइएसआइएन मूल स्ट्रिप्स के आइएसआइएन से भिन्न होगी, चाहे उनकी परिपक्वता तारीख वही हो, तथा वे प्रतिमोच्य नहीं होंगी।
4. धारक के विकल्प पर स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन सरकारी प्रतिभूति जारी करने की तारीख से उसकी परिपक्वता तक कभी भी किया जा सकता है।

5. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन केवल उन पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अनुमत होगा जो लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के पास सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल)/ ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) खाते में रखी गई हो। प्रत्यक्ष प्रतिभूतियां स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की पात्र नहीं होंगी।
6. सरकारी प्रतिभूतियों के धारक स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए अपना अनुरोध केवल 'प्राधिकृत संस्थाओं' के समक्ष रखेंगे।
7. रिज़र्व बैंक स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं करेगा।
8. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए प्रस्तुत की जा सकने वाली प्रतिभूतियों की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपये अथवा उसके गुणजों में होनी चाहिए।
9. ये शर्तें अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी।

अनुबंध 1-घ-2

स्ट्रिप्स के लिए आइ एस आइ एन

संरचना:

आइ	एन			एम	एम	वाइ	वाइ			
देश कूट	जारीकर्ता प्रकार/ राज्य कूट			स्ट्रिप्स की परिपक्वता का महीना एवं वर्ष				प्रतिभूति प्रकार	परवर्ती स्ट्रिप्स/ श्रेणी क्रमांक	चेक सम डिजिट

मार्च 2011 में परिपक्व होने वाले एक सी जी मूल स्ट्रिप का उदाहरण:

आइ	एन	0	0	3	1	1	पी	0	1	
देश कूट	जारीकर्ता प्रकार/ राज्य कूट			स्ट्रिप्स की परिपक्वता का महीना एवं वर्ष				प्रतिभूति प्रकार	परवर्ती स्ट्रिप्स/ श्रेणी क्रमांक	चेक सम डिजिट

मार्च 2011 में परिपक्व होने वाले एक सी जी कूपन स्ट्रिप का उदाहरण:

आइ	एन	0	0	3	1	1	सी	0	1	
देश कूट	जारीकर्ता प्रकार/ राज्य कूट	स्ट्रिप्स की परिपक्वता का महीना एवं वर्ष					प्रतिभूति प्रकार	परवर्ती स्ट्रिप्स/ श्रेणी क्रमांक	चेक सम डिजिट	

कूपन स्ट्रिप्स का नामकरण

जीएसडीडीएमओएनवाइवाइवाइवाइसी; जहां जीएस = सरकारी प्रतिभूति, डीडीएमओएनवाइवाइवाइवाइ = स्ट्रिप्स की परिपक्वता की तारीख तथा सी = कूपन स्ट्रिप । (उदाहरण: 25 मार्च 2011 को परिपक्व होने वाले किसी कूपन स्ट्रिप को जीएस 25 एमएआर 2011सी के रूप में लिखा जाएगा।

मूल स्ट्रिप्स के नामकरण

x.xx% जीएसडीडीएमओएनवाइवाइवाइवाइपी; जहां x.xx = मूल प्रतिभूति का कूपन है जिससे प्रधान स्ट्रिप सृजित किया गया है, जीएस = सरकारी प्रतिभूति, डीडीएमओएनवाइवाइवाइवाइ = स्ट्रिप्स की परिपक्वता की तारीख तथा पी = मूल स्ट्रिप्स । (उदाहरण: 02 जुलाई 2019 को परिपक्व होनेवाले 7.99% 2019 से सृजित किसी मूल स्ट्रिप को 7.99%जीएस02जुलाई 2019पी के रूप में लिखा जाएगा।)

अनुबंध 1-घ-3

प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग - एक उदाहरण

स्ट्रिपिंग करने योग्य प्रतिभूतियां

प्रतिभूति	परिपक्वता की तारीख
9.39%2011	02 जुलाई 11
12.30%2016	02 जुलाई 16

निवेशक 'क'

16 अक्टूबर 2009 की स्थिति के अनुसार संविभाग (लोक ऋण कार्यालय की बहियों में)

प्रतिभूति	राशि करोड़ रुपयों में (अंकित मूल्य)
9.39%2011	100.00
12.30% 2016	250.00

निवेशक 'क' द्वारा 17 मार्च 2010 को 9.39%2011 के समतुल्य 5 करोड़ रुपये तथा 12.30%2016 के समतुल्य 10 करोड़ रुपये का स्ट्रिप किया गया

सृजित स्ट्रिप्स

9.39%2011

12.30%2016

	02 जुलाई 10	2,347,500
	02 जनवरी 11	2,347,500
	02 जुलाई 11	2,347,500
मूल स्ट्रिप (पीएस)	02 जुलाई 11	50,000,000

प्रत्येक कूपन स्ट्रिप = $(9.39\%/2) \times 5$
करोड़

	02 जुलाई 10	6,150,000
	02 जनवरी 11	6,150,000
	02 जुलाई 11	6,150,000
	02 जनवरी 12	6,150,000
	02 जुलाई 12	6,150,000
	02 जनवरी 13	6,150,000
	02 जुलाई 13	6,150,000
	02 जनवरी 14	6,150,000
	02 जुलाई 14	6,150,000
	02 जनवरी 15	6,150,000
	02 जुलाई 15	6,150,000
	02 जनवरी 16	6,150,000
	02 जुलाई 16	6,150,000
मूल स्ट्रिप (पीएस)	02 जुलाई 16	100,000,000

प्रत्येक कूपन स्ट्रिप = $(12.30\%/2) \times 10$ करोड़

स्ट्रिपिंग के बाद 17 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार संविभाग (लोक ऋण कार्यालय, मुंबई की बहियों में)

प्रतिभूति	राशि करोड़ रुपयों में (अंकित मूल्य)
9.39% 2011	950,000,000
12.30% 2016	2,400,000,000
सीएस 02 जुलाई 10	8,497,500
सीएस 02 जनवरी 11	8,497,500
सीएस 02 जुलाई 11	6,150,000
सीएस 02 जनवरी 12	6,150,000
सीएस 02 जुलाई 12	6,150,000
सीएस 02 जनवरी 13	6,150,000
सीएस 02 जुलाई 13	6,150,000
सीएस 02 जनवरी 14	6,150,000
सीएस 02 जुलाई 14	6,150,000
सीएस 02 जनवरी 15	6,150,000
सीएस 02 जुलाई 15	6,150,000
सीएस 02 जनवरी 16	6,150,000
सीएस 02 जुलाई 16	6,150,000
पीएस 02 जुलाई 11	50,000,000
पीएस 02 जुलाई 16	100,000,000

सीएस = कूपन स्ट्रिप्स; पीएस = मूल स्ट्रिप

अनुबंध 1-घ-4

लाभ रहित/हानि रहित स्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रिप्स
(स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के सामान्यीकरण की क्रियाविधि)

(केवल उदाहरण के लिए)

प्रतिभूति	12.30% 2016
परिपक्वता की तारीख	02 जुलाई 2016
कूपन	12.30%
स्ट्रिपिंग की तारीख	03 मार्च 2010

(1) 03 मार्च 2010 को 12.30% का बाजार मूल्य	129.96
(2) बही मूल्य	120.00
(3) स्ट्रिप्स के पी वी का कुल योग	127.87
(4) सामान्यीकरण गुणक $[(2) \div (3)]$	0.9385

	परिपक्वता की तारीख	परिपक्वता पर राशि	जेडसीवाइसी	स्ट्रिप्स का पीवी (बाजार मूल्य)	स्ट्रिप्स का सामान्यीकृत मूल्य
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	$[0.9385 \times (घ)]$
1	2 जुलाई 10	6.15	4.0683	6.0274	5.6564

2	2 जनवरी 11	6.15	4.6948	5.8711	5.5098
3	2 जुलाई 11	6.15	5.3212	5.6841	5.3343
4	2 जनवरी 12	6.15	5.6128	5.5055	5.1666
5	2 जुलाई 12	6.15	5.9044	5.3174	4.9901
6	2 जनवरी 13	6.15	6.1339	5.1305	4.8147
7	2 जुलाई 13	6.15	6.3633	4.9392	4.6352
8	2 जनवरी 14	6.15	6.4744	4.7663	4.4730
9	2 जुलाई 14	6.15	6.5855	4.5946	4.3118
10	2 जनवरी 15	6.15	6.7227	4.4187	4.1467
11	2 जुलाई 15	6.15	6.8599	4.2439	3.9827
12	2 जनवरी 16	6.15	6.9971	4.0707	3.8201
13	2 जुलाई 16	106.15	7.1343	67.3029	63.1606
कुल				127.87	120.00

टिप्पणी :

1. प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में धारित माना जाता है और इसलिए उसे स्ट्रिपिंग, बाजार की दर पर निर्धारित किए जाने से पहले एएफएस/एचएफटी में स्थानांतरित किया जाता है और बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य की निम्न सीमा का उपयोग सामान्यीकरण गुणक की गणना करने में किया जाएगा ।
2. यदि 12.30% 2016 का बाजार मूल्य उसके बही मूल्य से कम हो तो स्ट्रिप्स को सामान्यीकृत करने के लिए बही मूल्य के बजाय बाजार मूल्य का प्रयोग किया जाएगा अर्थात् सामान्यीकरण कारक **बाजार मूल्य ÷ स्ट्रिप्स के पीवी का कुल योग** होगा; जहां स्ट्रिप्स के पीवी की गणना जेडसीवाइसी का प्रयोग करके नकदी पर बट्टा लगाकर की जाती है ।
3. एएफएस/एचएफटी में प्रतिभूतियों को इसी सिद्धांत के प्रयोग से सामान्यीकृत किया जाएगा (अर्थात् बाजार मूल्य/बही मूल्य की निम्न सीमा)

अनुबंध 1-ड.

कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010

1. संक्षिप्त शीर्षक और निदेशों का प्रारंभ

इन निदेशों को कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010 कहा जाता है जो 01 मार्च 2010 से लागू हैं।

2. परिभाषाएं

क. 'कार्पोरेट ऋण प्रतिभूति' का तात्पर्य है अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां जिनसे ऋणग्रस्तता सृजित होती है अथवा अभिस्वीकृत होती है। इनमें किसी केंद्रीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत गठित किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय के डिबेंचर, बांड तथा ऐसी अन्य प्रतिभूतियां शामिल होती हैं जिनसे कंपनी अथवा निगमित निकाय की आस्तियों पर कोई प्रभार सृजित होता हो या न होता हो परंतु उसके अंतर्गत सरकार द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित ऐसे अन्य व्यक्ति, प्रतिभूति प्राप्तियां तथा प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत शामिल नहीं होते।

ख. 'प्रतिभूति प्राप्तियां' का तात्पर्य वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठित अधिनियम, 2002 (वर्ष 2002 का 54) की धारा 2 के खंड (जेडजी) के अंतर्गत यथानिर्धारित परिभाषा है।

ग. 'प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत' का तात्पर्य प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (वर्ष 1956 का 42) की धारा 2 के खंड (एच) के उप-खंड (आइई) के अंतर्गत उल्लिखित

प्रकृति की प्रतिभूति है।

3. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो के लिए पात्र प्रतिभूतियां

क. रेटिंग एजेंसियों द्वारा 'एए' की रेटिंग या उससे ऊपर की रेटिंग प्राप्त केवल वे सूचीबद्ध कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां पात्र होंगी जो रिपो विक्रेता के प्रतिभूति खाते में डिमैट के रूप में धारित हों बशर्ते वाणिज्यिक पत्रों (सीपी), जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) सहित एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता अवधि के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) जैसे लिखत रिपो करने के लिए पात्र प्रतिभूति नहीं होंगे ।

4. पात्र सहभागी

निम्नलिखित संस्थाएं कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेन करने की पात्र होंगी :

- क. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर कोई अनुसूचित वाणिज्य बैंक;
- ख. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई प्राथमिक व्यापारी;
- ग. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत यथापरिभाषित सरकारी कंपनियों से इतर कंपनियां);
- घ. एक्विजम बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा सिडबी जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं;
- ङ. अन्य विनियमित संस्थाएं बशर्ते उन्हें संबंधित विनियामक का अनुमोदन प्राप्त हो; उदाहरणार्थ
 - i. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा पंजीकृत कोई म्यूचुअल फंड;
 - ii. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पंजीकृत कोई आवास वित्त कंपनी; तथा
 - iii. बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकार द्वारा पंजीकृत कोई बीमा कंपनी
- च. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल)
- छ. रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमत अन्य कोई संस्था

5. अवधि

कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो की न्यूनतम अवधि एक दिन तथा अधिकतम अवधि एक वर्ष होगी।

6. व्यापार

सहभागी कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेन ओटीसी बाजार में करेंगे।

7. व्यापारों की सूचना देना

- क. सभी रिपो व्यापारों की सूचना व्यापार होने के 15 दिन के भीतर फिम्डा को दी जाए ।
- ख. समाशोधन तथा निपटान के लिए व्यापारों की सूचना बाजार के किसी समाशोधन गृह को भी दी जाए।

8. व्यापारों का निपटान

क. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में किए गए सभी रिपो व्यापारों को सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीकपी) प्रणाली के अंतर्गत टी + 1 अथवा टी + 2 आधार पर निपटाया जाए।

ख. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेन का निपटान उसी प्रकार किया जाए जैसे उनमें किए गए एकमुश्त ओटीसी व्यापारों का किया जाता है।

ग. रिपो व्यापारों के प्रत्यावर्तन की तारीख को समाशोधन गृह पक्षकारों की देयताओं की गणना करेंगे और सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीकपी) आधार पर निपटान करने में मदद करेंगे।

9. रिपोकृत प्रतिभूति की बिक्री पर प्रतिबंध

रिपो के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूति रिपो क्रेता (निधियों का उधारदाता) द्वारा रिपोर्ट की अवधि के दौरान नहीं बेची जाएगी।

10. उचित काट-छांट (हेयरकट)

क. प्रथम चरण के व्यापार की तारीख को प्रचलित कार्पोरेट ऋण प्रतिभूति के बाजार मूल्य पर 25% का हेयरकट (रिपो की अवधि के आधार पर सहभागियों द्वारा यथानिर्धारित उच्च प्रतिशतता) लागू होगा।

ख. उचित हेयरकट निर्धारित करने के लिए सहभागी निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संघ (फिम्डा) द्वारा प्रकाशित रेटिंग-हेयरकट गणना पद्धति देखें।

11. मूल्यन

कार्पोरेट ऋण प्रतिभूति के बाजार मूल्य की गणना करने के लिए कार्पोरेट बांडों में रिपो करने वाले सहभागी फिम्डा द्वारा प्रकाशित ऋण तालिकाएं देखें।

12. पूंजी पर्याप्तता

कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेन पर 01 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 21/21.06.001/2009-10 के पैरा 7.3.8 के अनुसार पूंजी प्रभार लगेगा।

13. प्रकटीकरण

रिपो अथवा रिवर्स रिपो लेनदेन के अंतर्गत उधार दी गई अथवा अर्जित कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों के ब्यौरे को तुलन पत्र 4 के 'लेखे पर टिप्पणी' के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा।

14. लेखा पद्धति

कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेन सरकारी प्रतिभूतियों में रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेन के लिए एक समान लेखा पद्धति पर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार लेखे में शामिल किया जाएगा।

15. सीआरआर/एसएलआर की गणना तथा उधार सीमा

क. किसी बैंक द्वारा रिपो के माध्यम से उधार ली गई राशि की गणना उसकी मांग एवं मीयादी देयताओं (डीटीएल) के एक हिस्से के रूप में की जाएगी और उस पर 18 सितंबर 2009 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. आरईटी. बीसी. 45/12.01.001/2009-10 के उपबंधों के अनुसार सीआरआर/एसएलआर लगाया जाएगा।

ख. किसी बैंक द्वारा कार्पोरेट बांडों में रिपो के माध्यम से लिए गए उधार की गणना आरक्षित निधि अपेक्षा के प्रयोजन से उसकी देयताओं के रूप में की जाएगी और जिस सीमा तक वे बैंकिंग प्रणाली के लिए देयताएं होंगी उस सीमा तक उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत व्याख्या के खंड (घ) के अनुसार समंजित किया जाए। तथापि, ऐसे उधार 06 मार्च 2007 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. 66/21.01.002/2006-07 के माध्यम से निर्धारित अंतर-बैंक देयताओं के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होंगे।

16. प्रलेखन

सहभागी फिन्डा द्वारा निर्धारित प्रलेखन के अनुसार द्विपक्षीय मास्टर रिपो समझौता करेंगे।

अनुबंध - II

पैरा 1.1.6 (i) (जी)

बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों के लेनदेन - प्रत्येक दलाल के लिए सकल संविदा सीमा

क्र. सं.	उठाए गए मुद्दे	उत्तर
1.	वर्ष कैलेंडर वर्ष होना चाहिए या वित्तीय वर्ष?	चूंकि बैंक मार्च के अंत में अपना खाता बंदी करते हैं, अतः वित्तीय वर्ष का अनुपालन करना अधिक सुविधाजनक होगा। फिर भी, बैंक कैलेंडर वर्ष या 12 महीने की किसी अन्य अवधि का अनुपालन कर सकते हैं, बशर्ते कि भविष्य में इसका अनुपालन लगातार किया जाये।
2.	क्या सीमा का अनुपालन पूर्ववर्ती वर्ष के कुल लेनदेन के संदर्भ में किया जाना चाहिए, क्योंकि चालू वर्ष के लेनदेन की जानकारी वर्ष के अंत में ही हो सकती है?	सीमा का अनुपालन समीक्षाधीन वर्ष के संदर्भ में किया जाना है। सीमा का परिचालन करते समय बैंक को चालू वर्ष के प्रत्याशित कारोबार को, जो पूर्ववर्ती वर्ष के कारोबार और चालू वर्ष में व्यवसाय के परिमाण में होने वाली वृद्धि या कमी के आधार पर हो सकती है, ध्यान में रखना चाहिए।
3.	क्या वर्ष में किये गये कुल लेनदेन ज्ञात करने के लिए प्रतिपक्षियों के साथ किये गये प्रत्यक्ष लेनदेन, जिनमें दलाल शामिल नहीं होते, को भी हिसाब में लेना	आवश्यक नहीं। फिर भी, यदि क्रेता या विक्रेता के रूप में दलालों के साथ कोई प्रत्यक्ष लेनदेन किया जाये तो किसी दलाल के माध्यम से किये जाने वाले लेनदेन की सीमा ज्ञात करने के लिए

	चाहिए?	उसे कुल लेनदेन में शामिल करना होगा।
4.	क्या कुल लेनदेन का परिमाण ज्ञात करने के लिए हाज़िर वायदा लेनदेन के मामले में सौदे के दोनों चरणों, अर्थात् क्रय और विक्रय, को शामिल किया जायेगा?	हाँ। चूंकि खज़ाना बिलों को छोड़कर सरकारी प्रतिभूतियों के हाज़िर वायदा लेनदेन पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है और 3 वर्षीय दिनांकित प्रतिभूतियां हाल ही में खज़ाना बिलों के परिवर्तन द्वारा जारी की गयी हैं, अतः यह केवल सैद्धांतिक है।
5.	क्या कुल लेनदेन के परिमाण में प्रत्यक्ष अभिदान/नीलामी द्वारा खरीदे गये केन्द्रीय ऋण/राज्य ऋण/खज़ाना बिलों आदि को शामिल किया जायेगा?	नहीं, क्योंकि इसमें बिचौलिये के रूप में दलाल शामिल नहीं हैं।
6.	यह संभव है कि कोई दलाल विशेष 5% निर्धारित सीमा पर पहुंच गया हो, फिर भी वह वर्ष की शेष अवधि में कोई प्रस्ताव लेकर आये और बैंक को अन्य दलालों, जिन्होंने अभी तक निर्धारित सीमा तक व्यवसाय नहीं किया हो, से प्राप्त प्रस्तावों की तुलना में लाभकारी प्रतीत हो, तो क्या बैंक उस पर विचार कर सकता है।	यदि प्राप्त प्रस्ताव अधिक लाभकारी हो तो उस दलाल के लिए सीमा बढ़ायी जा सकती है। उसके लिए कारण अभिलिखित किये जाएं और सक्षम प्राधिकारी/बोर्ड का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
7.	क्या ग्राहकों की ओर से किये गये लेनदेन भी वर्ष के कुल लेनदेन में शामिल किये जायेंगे।	हाँ, यदि वे दलालों के माध्यम से किये जायें।
8.	यदि 5 प्रतिशत की दलालवार सीमा बनाये रखने वाला कोई बैंक, जो दलालों के माध्यम से बहुत कम लेनदेन करता है और उसके परिणामस्वरूप उसके व्यवसाय का परिमाण बहुत कम होता है, विभिन्न दलालों के बीच छोटे मूल्यों में आदेशों का विभाजन करना चाहे, जिससे मूल्य विभेद भी उत्पन्न हो सकता है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है?	किसी आदेश को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी सौदे के कारण किसी विशेष दलाल का अंश 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो जाये तो हमारे परिपत्र में आवश्यक लचीलेपन का प्रावधान किया गया है कि उसके लिए बोर्ड का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।
9.	समुचित रूप से यह भविष्यवाणी करना संभव नहीं है कि वर्ष में दलालों के माध्यम से किये जानेवाले कारोबार की कुल मात्रा क्या होगी, जिसके	जिन परिस्थितियों में सीमा बढ़ायी गयी हो, उनका स्पष्टीकरण देकर बैंक बोर्ड से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।

	परिणामस्वरूप 5 प्रतिशत के मानदंड के अनुपालन में विचलन हो सकता है।	
10.	निजी क्षेत्र के कुछ छोटे बैंकों ने उल्लेख किया है कि जहां दलालों के माध्यम से लेनदेन किये जाते हैं, वहां कारोबार की मात्रा कम होने के कारण 5 प्रतिशत की सीमा का अनुपालन करने में कठिनाई होती है। इसलिए सुझाव दिया गया है कि जब किसी दलाल के माध्यम से किया गया कारोबार एक सीमा, अर्थात् 10 करोड़ रुपये से अधिक हो जाये तभी निर्धारित सीमा के अनुपालन की अपेक्षा की जानी चाहिए।	जैसा कि पहले ही देखा गया है कि 5 प्रतिशत की सीमा बढ़ायी जा सकती है, बशर्ते कि कार्योत्तर स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी को कारोबार की सूचना दी जाए। इसलिए हमारे अनुदेशों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

अनुबंध - III

पैरा 1.2 (ii)

बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों से संबंधित कार्यदल की सिफारिशें

निजी तौर के निर्गमों के संबंध में प्रकटीकरण से संबंधित

न्यूनतम अपेक्षाओं का प्रोफार्मा - प्रस्ताव का मॉडल दस्तावेज

सभी निर्गमकर्ताओं को एक प्रस्ताव दस्तावेज जारी करना चाहिए, जो निदेशक मंडल के संकल्प से प्राधिकृत हो और यह संकल्प निर्गम की तारीख से 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव दस्तावेज में निर्गम को प्राधिकृत करने के लिए निदेशक मंडल के संकल्प का तथा प्रस्ताव दस्तावेज के निर्गम के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के पदनामों का विशिष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। प्रस्ताव दस्तावेज मुद्रित या टाइप किया हुआ होना चाहिए और उस पर 'केवल निजी परिचालन के लिए' लिखा होना चाहिए। प्रस्ताव दस्तावेज पर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्ताव दस्तावेज में कम से कम निम्नलिखित जानकारी अवश्य होनी चाहिए।

II. सामान्य जानकारी

1. कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का नाम और पता
2. निदेशकों के पूरे नाम (आद्यक्षरों से बनने वाले पूर्ण नाम), पते और उन कंपनियों के नाम, जिनमें वे निदेशक के रूप में हैं।
3. निर्गम की सूचीबद्धता (यदि सूचीबद्ध हो तो शेयर बाजार का नाम)
4. निर्गम के खुलने की तारीख
निर्गम के बंद होने की तारीख

बंद होने की तारीख से पहले बंद होने की तारीख

5. लेखा-परीक्षकों और अग्रणी प्रबंधकों / व्यवस्था करने वालों के नाम और पते
6. न्यासी (ट्रस्टी) का नाम और पता - सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना है (डिबेंचरों के मामले में)
7. किसी साख श्रेणी-निर्धारक एजेंसी द्वारा साख श्रेणी-निर्धारण और /अथवा अद्यतन श्रेणी-निर्धारण के औचित्य की प्रति

II. निर्गम के ब्योरे

(क) उद्देश्य

(ख) नयी परियोजना के संबंध में परियोजना लागत और वित्त व्यवस्था के साधन (जिसमें प्रवर्तकों का अंशदान शामिल हो)

III. मॉडल प्रस्ताव (ऑफर) दस्तावेज़ में निम्नलिखित जानकारी भी होनी चाहिए :

- (1) आवेदन-धनराशि पर आबंटन की तारीख तक देय ब्याज की दर
- (2) जमानत, यदि वह जमानती निर्गम है तो निर्गम को जमानत प्राप्त होनी चाहिए, प्रस्ताव दस्तावेज़ में जमानत, जमानत का प्रकार, प्रभार का प्रकार, न्यासियों, निजी प्रभार-धारकों, यदि कोई हों, का वर्णन होना चाहिए तथा जमानत निर्मित करने की संभावित तारीख, न्यूनतम प्रतिभूति सुरक्षा, पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, का उल्लेख होना चाहिए ।
- (3) यदि जमानत के लिए गारंटी द्वारा संपार्श्विक जमानत है, तो गारंटी की प्रति या गारंटी की प्रधान शर्तें प्रस्ताव दस्तावेज़ में शामिल की जायें ।
- (4) आंतरिक लेखे, यदि कोई हों ।
- (5) पिछले लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखे का सारांश, लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रतिबंध, यदि कोई हों, सहित ।
- (6) पिछले दो प्रकाशित तुलन-पत्र संलग्न किये जायें ।
- (7) कर छूट, पूंजी पर्याप्तता आदि से संबंधित कोई शर्तें हों तो उन्हें दस्तावेज़ में पूरी तरह लाया जाये ।
- (8) बड़े स्तर पर विस्तार करने वाली या नयी परियोजनाएं हाथ में लेने वाली कंपनियों के मामले में निम्नलिखित ब्योरे (अनुरोध किये जाने पर परियोजना मूल्यांकन की प्रति उपलब्ध करायी जाये):

(क) परियोजना की लागत, निधियों के स्रोतों और उपयोग सहित

(ख) अनुमानित नकदी प्रवाह सहित प्रारंभ होने की तारीख

(ग) वित्तीय समापन की तारीख (अन्य संस्थाओं द्वारा किये गये वायदों के ब्योरे)

(घ) परियोजना की रूपरेखा (टेक्नोलोजी, बाज़ार आदि)

(ङ) जोखिम वाले तत्व

(9) यदि लिखत 5 वर्ष या अधिक की अवधि का है, तो अनुमानित नकदी प्रवाह

IV. बैंक निजी तौर पर किये गये निर्गमों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर जोर देने के लिए सहमत हो सकते हैं:

कंपनियों के सभी निर्गमकर्ताओं को खास कर निजी क्षेत्र की कंपनियों के निर्गमकर्ताओं को सभी जमानती ऋण निर्गमों के मामले में, न्यास विलेख और प्रभार दस्तावेज़ निष्पादित होने तक, एक अभिदान करार निष्पादित करने का इच्छुक होना चाहिए। बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधानों सहित एक मानकीकृत अभिदान करार का प्रयोग करना चाहिए।

(क) आबंटन के 30 दिन के भीतर आबंटन पत्र बनाया जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम में निर्धारित सीमा के अंतर्गत न्यास विलेख और प्रभार दस्तावेज़ निष्पादन पूरा किया जाना चाहिए तथा डिबेंचर प्रमाणपत्र प्रेषित किये जाने चाहिए, परन्तु यह कार्य हर हालत में अभिदान करार की तारीख से 6 महीने में होना चाहिए।

(ख) उपर्युक्त का अनुपालन करने में विलंब के मामले में कंपनी बैंक विकल्प के अनुसार सहमत ब्याज दर से अभिदान की राशि की चुकौती करेगी, या जब तक उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं होतीं तब तक कूपन दर से 2 प्रतिशत अधिक का दंडात्मक ब्याज अदा करेगी।

(ग) जमानत निर्मित किये जाने तक, 6 महीने की अवधि (या बढ़ायी गयी अवधि) के दौरान कंपनी के प्रधान निदेशकों को उनके ऋण निर्गम में अभिदान करने के कारण बैंक को होने वाली किसी हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होना चाहिए। (यह शर्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू नहीं होगी)।

(घ) यह कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वह निर्धारित अवधि में जमानत निर्मित करने के लिए पूर्व ऋणभार-धारकों की सहमति प्राप्त कर ले। अलग-अलग बैंकों को उपर्युक्त तरीके से प्रस्ताव की शर्तों, जैसे न्यासी की नियुक्ति, जमानत निर्मित करने आदि के अनुपालन के लिए अभिदान करार निष्पादित करने या उपयुक्त पत्र के लिए जोर देना चाहिए।

(ङ) साख श्रेणी: दल यह सिफारिश करता है कि सार्वजनिक प्रस्तावों में सभी ऋण लिखतों की साख श्रेणी निर्धारण के संबंध में 'सेबी' के वर्तमान विनियमों को निजी निर्गमों के लिए भी लागू किया जाये। यह शर्त उन अधिमान शेरों पर भी लागू होगी जो 18 महीने के बाद प्रतिदेय हैं।

(च) सूचीबद्धता: इस समय, निजी तौर के निर्गमों में बैंकों द्वारा अपेक्षित सूचीबद्धता के संबंध में काफी लचीलापन है। तथापि, दल यह सिफारिश करता है कि कंपनियों को सूचीबद्ध किये जाने पर बल दिया जाना चाहिए (बैंकों की निवेश नीति में इस नियम का कोई अपवाद हो तो वह बताया जाना चाहिए) इससे यथासमय गौण बाज़ार विकसित करने में सहायता मिलेगी। सूचीबद्धता का लाभ यह होगा कि सूचीबद्ध कंपनियों को आवधिक रूप से स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना प्रकट करनी होगी, जिससे निवेशक सूचना के रूप में गौण बाज़ार विकसित करने में सहायता मिलेगी। वास्तव में, 'सेबी' ने सभी स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लेखा-परीक्षित न किये गये वित्तीय परिणाम तिमाही आधार पर प्रकाशित किये जाने चाहिए और उनके द्वारा ऐसी सभी घटनाओं की तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना दी जानी चाहिए जिनका असर कंपनी के कार्यनिष्पादन / कार्यकलापों पर पड़ता हो तथा जो सूचना भावों को प्रभावित करने की दृष्टि से संवेदनशील हो।

(छ) जमानत / दस्तावेज़ ढ यह सुनिश्चित करने के लिए कि दस्तावेज़ समय पर पूरे किये जाएं तथा जमानत निर्मित की जाये, दल ने जो सिफारिशें की हैं वे प्रस्ताव के मॉडल प्रस्ताव में दी गयी हैं। यह नोट किया जाये कि न्यास विलेख और प्रभार दस्तावेज़ों के निष्पादन में विलंब के मामले में कंपनी शर्तें पूरी न होने तक बैंक के विकल्प पर सहमत ब्याज दर से अभिदान की चुकौती करेगी या कूपन दर से 2 प्रतिशत अधिक का दंडात्मक ब्याज अदा करेगी। इसके अलावा, कंपनी के प्रधान निदेशकों को जमानत निर्मित होने तक 6 महीने की अवधि (या बढ़ायी गयी अवधि) के दौरान ऋण निर्गम में अभिदान के कारण बैंक को होनेवाली हानि के लिए बैंक को प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत होना होगा।

.....

**बैंकों द्वारा गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग में निवेशों पर दिशानिर्देश -
परिभाषाएं**

1. सुस्पष्टता तथा दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में कोई भिन्नता न होना सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिशा-निर्देशों की कुछ शर्तों को नीचे परिभाषित किया गया है।
2. किसी प्रतिभूति को 'रेटेड' तब समझा जाएगा जब भारत में सेबी के साथ रजिस्टर्ड बाहरी रेटिंग एजेंसी द्वारा विस्तृत रेटिंग प्रक्रिया की गयी है तथा इसके पास चालू अथवा वैध रेटिंग है। रेटिंग को चालू अथवा वैध तब समझा जाएगा जब
 - (i) जिस क्रेडिट रेटिंग पत्र पर निर्भर किया गया है वह निर्गम खोलने की तारीख को एक महीने से अधिक पुराना नहीं होगा।
 - (ii) निर्गम खोलने की तारीख को रेटिंग एजेंसी का रेटिंग तर्काधार एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा, तथा
 - (iii) रेटिंग पत्र तथा रेटिंग तर्काधार प्रस्ताव दस्तावेज का एक हिस्सा है।
 - (iv) अनुषंगी बाजार अर्जन के मामले में निर्गम की क्रेडिट रेटिंग प्रचलित होनी चाहिए तथा संबंधित रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित किये जानेवाले मासिक बुलेटिन से उसकी पुष्टि होनी चाहिए ।

जिन प्रतिभूतियों के लिए बाहरी रेटाग एजेंसी से चालू अथवा वैध रेटिंग प्राप्त नहीं है उन्हें अनरेटेड प्रतिभूतियां समझा जाएगा।

3. भारत में कार्यरत प्रत्येक बाहरी रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान किये गये निवेश ग्रेड रेटिंग का आइबीए/एफआइएमएमडीए द्वारा निर्धारण किया जाएगा। इनकी आइबीए/एफआइएमएमडीए द्वारा वर्ष में कम-से-कम एक बार समीक्षा भी की जाएगी।

4. 'सूचीबद्ध प्रतिभूति' वह प्रतिभूति है जिसे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। यदि ऐसा नहीं है तो वह "असूचीबद्ध" प्रतिभूति है। बाजार (बाजारों) में सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के मामले में बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों (प्राथमिक एवं अनुषंगी बाजार दोनों) में निवेश को निवेश के समय सूचीबद्ध प्रतिभूति में निवेश के रूप में माना जाए।

.....

अनुबंध V

पैरा 1.2.20

**बैंकों द्वारा गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग के प्रबंधन पर
विवेकपूर्ण मानदंड - प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएं**

31 मार्च 2004 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष से बैंकों को अपने गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग के संबंध में तुलन-पत्र की 'लेखों पर टिप्पणियों' में निम्नलिखित प्रकटीकरण करने चाहिए।

(i) **गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना**

(राशि करोड़ रुपयों में)						
क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी प्लेसमेंट की सीमा	निवेश ग्रेड से निम्न स्तर की प्रतिभूतियां	अनरेटेड प्रतिभूति की सीमा	असूचीबद्ध प्रतिभूति की सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1.	सरकारी क्षेत्र के बैंक					
2.	वित्तीय संस्था					
3.	बैंक					
4.	निजी कंपनियां					
5.	सहयोगी/संयुक्त उद्यम					

6.	अन्य					
7.	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल*					

टिप्पणी: 1. * स्तंभ-3 के अंतर्गत कुल योग का मिलान, तुलन पत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत शामिल निवेशों के योग के साथ होना चाहिए ढ

- (क) शेयर
- (ख) डिबेंचर तथा बांड
- (ग) सहायक/संयुक्त कंपनियां
- (घ) अन्य

2. उक्त स्तंभ 4,5,6 और 7 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियाँ, हो सकता है कि परस्पर अनन्य न हों।

(ii) सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर अनर्जक निवेश

विवरण	राशि (करोड़ रुपए)
प्रारंभिक शेष	
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	
उक्त अवधि में कटौती	
अंतिम शेष	
रखे गए कुल प्रावधान	

.....

अनुबंध VI
पैरा 1.3.1

विवरणी / विवरण सं. 9

31 मार्चकी स्थिति के अनुसार निवेश खाते के समाधान की स्थिति दर्शाने वाला विवरण
बैंक / संस्था का नाम :

(अंकित मूल्य करोड़ रुपये में)

प्रतिभूतियों के ब्यौरे	सामान्य बही खाता शेष	एसजीएल शेष		धारित बैंक रसीदें	धारित एसजीएल फार्म	वास्तव में धारित स्क्रिप	बकाया सुपुर्दगी
1	2	3	4	5	6	7	8
		लोक ऋण का. की बहियों के अनुसार	बैंक / संस्था की बहियों के अनुसार				
I. केंद्र सरकार							
II. राज्य सरकार							
III अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां							
IV. सरकारी क्षेत्र के बांड							
V. भा.यूनिट ट्रस्ट के यूनिट (1964)							

VI. अन्य (शेयर और डिबेंचर आदि)							
कुल							

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर,
नाम और पदनाम सहित

टिप्पणी : इसी प्रकार के विवरण संविभाग प्रबंधन योजना के ग्राहकों के खातों और अन्य ग्राहकों के खातों (दलालों सहित) के संबंध में प्रस्तुत कि ये जाएं। संविभाग प्रबंधन योजना / अन्य ग्राहकों के खातों के मामले में प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य और बही मूल्य, जो बैंक के संबंधित रजिस्ट्रों में हो, स्तंभ 2 में दर्शाया जाएं ।

समाधान विवरण के संकलन के लिए सामान्य अनुदेश

क) स्तंभ - 2 (सामान्य बही खाता शेष)

फार्मेट में प्रतिभूतियों के संपूर्ण ब्यौरे देना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक श्रेणी में केवल अंकित मूल्य की कुल राशि का उल्लेख किया जाये । प्रतिभूतियों का तदनु रूप बही मूल्य प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य की राशि के अंतर्गत कोष्ठक में दिया जाए ।

ख) स्तंभ - 3 और 4 (एसजीएल शेष)

सामान्य रूप से मद 3 और 4 में उल्लिखित शेष परस्पर मिलने चाहिए । किसी लेनदेन के लोक ऋण कार्यालय अथवा बैंक की बहियों में रिकॉर्ड न होने के किसी कारण से यदि कोई अंतर हो तो वह प्रत्येक लेनदेन के पूरे ब्यौरे देते हुए स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

ग) स्तंभ - 5 (धारित बैंक रसीदें)

यदि कोई बैंक खरीद के लिए किसी बैंक रसीद को जारी होने की तारीख से 30 दिन से अधिक रखे तो इस तरह की बैंक रसीदों के ब्यौरे अलग विवरण में दिए जाएं ।

घ) स्तंभ - 6 (धारित एसजीएल फार्म)

खरीद के लिए प्राप्त ऐसे एसजीएल फार्मों की राशि यहां दी जानी चाहिए जो लोक ऋण कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

ड) स्तंभ - 7

बांडों, आबंटन पत्रों, अभिदान रसीदों और जारीकर्ता की खाता बहियों में प्रविष्टि के प्रमाणपत्रों (सरकारी प्रतिभूतियों से इतर के लिए), आदि के रूप में धारित सभी क्रिपों, बेची गयी किंतु भौतिक रूप में सुपुर्द न की गई प्रतिभूतियों सहित, की कुल राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

च) स्तंभ - 8 (बकाया सुपुर्दगियां)

यह बैंक द्वारा जारी की गयी उन बैंक रसीदों से संबंधित है, जहां भौतिक क्रिप सुपुर्द नहीं की गयी है किंतु सामान्य बही खाते में राशि घटा दी गयी है। यदि कोई बैंक रसीदें 30 दिन से अधिक तक बकाया रहे तो उन बैंक रसीदों के ब्यौरे अलग सूची में दिये जायें, जिसमें क्रिप की सुपुर्दगी न करने के कारण बताये जायें।

छ) सामान्य

स्तंभ 2 में प्रत्येक मद के सामने बतायी गयी प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य लेखा स्तंभ सं. 4 से 7 तक किसी के भी अंतर्गत बताया जाना चाहिए। इसी प्रकार बकाया सुपुर्दगियों (जारी की गयी बैंक रसीदों) की राशि, जो स्तंभ 8 में बतायी गयी है, स्तंभ सं. 4 से 7 तक में किसी के भी अंतर्गत बतायी जानी चाहिए। इस तरह स्तंभ सं. 2 और 8 का जोड़ स्तंभ सं. 4 से 7 तक के जोड़ से मेल खायेगा।

अनुबंध - VII

पैरा 4.8

प्रकटन

बैंकों द्वारा निम्नलिखित प्रकटन तुलन-पत्र की 'लेखा टिप्पणियों' में किया जाए:

(राशि करोड़ रुपयों में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	मार्च 31 की स्थिति
'रिपो' के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियां				
'रिवर्स रिपो' के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां				

रिपो /रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए लेखा पद्धति हेतु संस्तुत लेखा पद्धति

(0) निम्नलिखित खाते रखे जाएं अर्थात: i) रिपो खाता, ii) रिवर्स रिपो खाता, iii) रिवर्स रिपो ब्याज समायोजन खाता, iv) रिपो ब्याज व्यय खाता, v) रिवर्स रिपो प्राप्य ब्याज खाता तथा vi) रिपो ब्याज देय खाता।

(00) उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित 'कांट्रो' खाते भी रखे जा सकते हैं जैसे (i) रिपो खाता के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां, (ii) रिवर्स रिपो खाता के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां, (iii) रिपो खाते के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियां तथा (iv) रिवर्स रिपो खाता के अंतर्गत जमा योग्य प्रतिभूतियां।

रिपो

(000) रिपो लेनदेन के पहले चरण में प्रतिभूतियों के बाजार संबंधित मूल्यों पर बेचा जाए तथा दूसरे चरण में व्युत्पन्न मूल्य पर पुनः खरीदा जाए। बिक्री तथा पुनः खरीद को रिपो खाते में दर्शाया जाए। तथापि, दूसरे चरण में प्रतिफल राशि में रिपो ब्याज शामिल होगा।

(00) यद्यपि प्रतिभूतियों को विक्रेता के निवेश खाते से अलग नहीं किया गया है और उन्हें रिपो क्रेता के निवेश खाते में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए आवश्यक कांट्रा प्रविष्टियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूतियों का अंतरण दर्शाया जाएगा।

रिवर्स रिपो

(0) रिवर्स रिपो लेनदेन में पहले चरण में प्रतिभूतियों को प्रचलित बाजार मूल्य पर खरीदा जाए तथा दूसरे चरण में उसी मूल्य पर बेचा जाए। तथापि, दूसरे चरण में प्रतिफल राशि में रिपो ब्याज शामिल किया जाएगा। खरीद तथा बिक्री को रिवर्स रिपो खाते में हिसाब में लिया जाए।

(00) रिवर्स रिपो लेनदेनों के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियां यदि अनुमोदित प्रतिभूतियों हों तो रिवर्स रिपो खाते में शेष, तुलनपत्र प्रयोजनों से निवेश खाते का हिस्सा होंगे लेकिन उन्हें

सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजनों से ध्यान में लिए जा सकता हैं।

रिपो/रिवर्स रिपो से संबंधित अन्य पहलू

- (vii) यदि रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूति के ब्याज के भुगतान की तारीख रिपो अवधि में आती है तो प्रतिभूति के क्रेता द्वारा प्राप्त कूपनों को प्राप्ति की तारीख को विक्रेता को दिया जाए क्योंकि दूसरे चरण में विक्रेता द्वारा देय नकद प्रतिफल में कोई मध्यवर्ती नकद प्रवाह शामिल नहीं हैं।
- (viii) लेखा अवधि के अंत में बकाया रिपो लेनदेनों के संबंध में ब्याज के उपचय को दर्शाने के लिए क्रेता/विक्रेता की बहियों में क्रमशः रिपो ब्याज आय/व्यय को दर्शाने के लिए लाभ तथा हानि खाते में उचित प्रविष्टियां पारित की जाएं तथा उसी प्राप्य आय/देय व्यय के रूप में नामे/जमा किया जाए।
- (ix) रिपो अवधि के दौरान भी रिपो विक्रेता जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार कूपन/बट्टा उपचित करता रहेगा जबकि रिपो क्रेता उसे उपचित नहीं करेगा।
- (x) निदर्शी उदाहरण **अनुबंध - VIII.2** में दिए गए हैं।

इस तरह से पारित प्रविष्टियां को अगली लेखा अवधि के पहले कार्य दिन को रिवर्स किया जाना चाहिए।

अनुबंध - VIII.2

रिपो तथा रिवर्स रिपो लेनदेन की समान लेखा प्रणाली के लिए निदर्शी उदाहरण

यद्यपि इस परिपत्र में "रिपो" शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया गया है जिसके भीतर रिपो तथा रिवर्स रिपो दोनों (जो केवल रिपो लेनदेन को दर्शाता है) को समाहित किया गया है। इस अनुबंध में रिपो तथा रिवर्स रिपो लेनदेन को स्पष्ट करने के लिए उनकी लेखापद्धति के संबंध में अलग-अलग दिशानिर्देश दिए गए हैं।

क. दिनांकित प्रतिभूति के संबंध में रिपो /रिवर्स रिपो

1. कूपन धारित प्रतिभूति में रिपो के संबंध में ब्योरा:

रिपो के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिभूति	6.35% 2020	
कूपन अदायगी की तारीख	02 जनवरी तथा 02 जुलाई	
प्रतिभूति का बाजार मूल्य	₹. 90.9100	(1)
रिपो की तारीख	28 मार्च 2010	
रिपो ब्याज दर	5.00%	
रिपो की अवधि	5 दिन	
रिपो के प्रत्यावर्तन की तारीख	2 अप्रैल 2010	
पहले चरण के लिए खंडित अवधि का ब्याज*	$6.35\% \times 86 / 360 \times 100 = 1.5169$	(2)
पहले चरण के लिए नकदी प्रतिफल	$(1) + (2) = 92.4269$	(3)
रिपो ब्याज **	$92.4269 \times 5/365 \times 5.00\% = 0.0633$	(4)
दूसरे चरण के लिए नकदी प्रतिफल	$(3)+(4) = 92.4269 + 0.0633 = 92.4902$	

* 30 /360 दिवस गणना पद्धति का प्रयोग करते हुए

** वास्तविक / 365 दिवस गणना पद्धति का प्रयोग करते हुए

2. रिपो विक्रेता के लिए लेखा पद्धति (निधियों का उधारकर्ता)

पहला चरण

	नामे	जमा
नकदी	92.4269	
रिपो खाता		92.4269
रिपो खाता के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियां (कांट्रा द्वारा)	92.4269	
रिपो खाता के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (कांट्रा द्वारा)		92.4269

दूसरा चरण

	नामे	जमा
रिपो खाता	92.4269	
रिपो ब्याज व्यय खाता	0.0633	
नकदी खाता		92.4902
रिपो खाता के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (कांट्रा द्वारा)	92.4269	
रिपो खाता के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियां (कांट्रा द्वारा)		92.4269

3. रिपो क्रेता के लिए लेखा पद्धति (निधियों का उधारदाता)

प्रथम चरण

	नामे	जमा
रिवर्स रिपो खाता	92.4269	
नकदी खाता		92.4269
रिपो खाता के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (कांट्रा द्वारा)	92.4269	
रिपो खाता के अंतर्गत सुपुर्द की गई प्रतिभूतियां (कांट्रा द्वारा)		92.4269

दूसरा चरण

	नामे	जमा
नकदी खाता	92.4902	
रिवर्स रिपो खाता		92.4269
रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता		0.0633
रिपो खाता के अंतर्गत सुपुर्द की गई प्रतिभूतियां (कांट्रा द्वारा)	92.4269	
रिपो खाता के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (कांट्रा द्वारा)		92.4269

4. समायोजन लेखों के लिए लेजर प्रविष्टियां

रिपो खाता के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियां

नामे		जमा	
रिपो खाता के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को (रिपो प्रथम चरण)	92.4269	रिपो खाता के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों के द्वारा (रिपो दूसरा चरण)	92.4269

रिपो खाता के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां

नामे		जमा	
रिपो खाता के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियों को (रिपो दूसरा चरण)	92.4269	रिपो खाता के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियों द्वारा (रिपो प्रथम चरण)	92.4269

रिपो खाता के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां

नामे		जमा	
रिवर्स रिपो खाता के अंतर्गत जमा करने योग्य प्रतिभूतियों को (रिवर्स रिपो प्रथम चरण)	92.4269	रिवर्स रिपो खाता के अंतर्गत जमा करने योग्य प्रतिभूतियों के द्वारा (रिवर्स रिपो दूसरा चरण)	92.4269

रिपो खाता के अंतर्गत जमा करने योग्य प्रतिभूतियां

नामे		जमा	
रिवर्स रिपो खाता के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को (रिवर्स रिपो दूसरा चरण)	92.4269	रिवर्स रिपो खाता के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों के द्वारा (रिवर्स रिपो प्रथम चरण)	92.4269

5. यदि तुलन पत्र की तारीख रिपो की अवधि के दौरान पड़ती हो तो सहभागी उपचित ब्याज दर्ज करने तथा दूसरे दिन उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए ट्रांजिट खातों अर्थात् देय रिपो ब्याज खाता तथा प्राप्य रिपो ब्याज खाता का पारयोग कर सकते हैं। प्राप्य तथा देय रिपो ब्याज का शेष तुलन पत्र में उपयुक्त प्रविष्टियां पारित करके लाभ तथा हानि खाते में लिया जाएगा :

लेनदेन चरण	पहला चरण	तुलन पत्र तारीख	दूसरा चरण
तारीख	28 मार्च 10	31 मार्च 10	02 अप्रैल 10

क) 31 मार्च 2010 को रिपो विक्रेता (निधियों का उधारकर्ता) की बही में प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिपो ब्याज व्यय खाता (लाभ और हानि लेखे में अंतरित किए जाने वाले खाता शेष)	0.0506 (4 दिनों का रिपो ब्याज)	
देय रिपो ब्याज खाता		0.0506

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
------------	------	-----

लाभ हानि लेखा	0.0506	
रिपो ब्याज व्यय खाता		0.0506

ख) 01 अप्रैल 2010 को रिपो विक्रेता (निधियों का उधारकर्ता) की बहियों में प्रविष्टियों का प्रत्यावर्तन

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
देय रिपोर्ट ब्याज खाता	0.0506	
रिपो ब्याज व्यय		0.0506

ग) 31 मार्च 2010 को रिपो क्रेता (निधियों का उधारदाता) की बहियों में प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
प्राप्य रिवर्स रिपो ब्याज खाता	0.0506	
रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता (लाभ और हानि लेखे में अंतरित किए जाने वाले खाता शेष)		0.0506 (4 दिनों का रिपो ब्याज)

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता	0.0506	
लाभ हानि लेखे		0.0506

घ) 01 अप्रैल 2010 को रिपो क्रेता (निधियों का उधारदाता) की बहियों में प्रविष्टियों का प्रत्यावर्तन

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता	0.0506	
प्राप्य रिवर्स रिपो ब्याज खाता		0.0506

ख. खजाना बिल का रिपो /रिवर्स रिपो

1. खजाना बिल के रिपो का ब्योरा

रिपो के तहत प्रस्तुत प्रतिभूति	07 मई 2010 को अवधिपूर्ण होने वाले भारत सरकार के 91 दिवसीय खजाना बिल	
रिपो के तहत प्रस्तुत प्रतिभूति का मूल्य	99.0496 रुपये	(1)
रिपो की तारीख	28 मार्च 2010	
रिपो ब्याज दर	5%	

रिपो की अवधि	5 दिन	
पहले चरण के लिए कुल नकदी प्रतिफल	99.0496	(2)
रिपो ब्याज*	$99.0496 \times 5\% \times 5 / 365 = 0.0678$	(3)
दूसरे चरण के लिए नकदी प्रतिफल	$(2)+(3) = 99.0496 + 0.0678 = 99.1174$	

* वास्तविक / 365 दिवस गणना पद्धति का प्रयोग करते हुए

2. रिपो विक्रेता (निधियों का उधारकर्ता) के लिए लेखा पद्धति

पहला चरण

	नामे	जमा
नकदी	99.0496	
रिपो खाता		99.0496
रिपो खाता के अंतर्गत प्राप्त प्रतिभूतियां (कांट्रा द्वारा)	99.0496	
रिपो खाता के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (कांट्रा द्वारा)		99.0496

दूसरा चरण

	नामे	जमा
रिपो खाता	99.0496	
रिपो ब्याज व्यय खाता	0.0678	
नकदी खाता		99.1174
रिपो खाता के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (कांट्रा द्वारा)	99.0496	
रिपो खाता के अंतर्गत प्राप्त प्रतिभूतियां (कांट्रा द्वारा)		99.0496

3. रिपो क्रेता के लिए लेखा पद्धति (निधियों का उधारदाता)

प्रथम चरण

	नामे	जमा
रिवर्स रिपो खाता	99.0496	
नकदी खाता		99.0496
रिपो खाता के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (कांट्रा द्वारा)	99.0496	
रिपो खाता के अंतर्गत जमा की गई प्रतिभूतियां (कांट्रा द्वारा)		99.0496

दूसरा चरण

	नामे	जमा
नकदी खाता	99.1174	
रिवर्स रिपो खाता		99.0496
रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता		0.0678
रिपो खाता के अंतर्गत जमा की गई प्रतिभूतियां (कांट्रा द्वारा)	99.0496	

रिपो खाता के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (कांटा द्वारा)		99.0496
---	--	---------

4.समायोजन लेखों के लिए लेजर प्रविष्टियां

रिपो खाता के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियां

नामे		जमा	
रिपो खाता के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को (रिपो प्रथम चरण)	99.0496	रिपो खाता के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों के द्वारा (रिपो दूसरा चरण)	99.0496

रिपो खाता के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां

नामे		जमा	
रिपो खाता के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियों को (रिपो दूसरा चरण)	99.0496	रिपो खाता के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियों द्वारा (रिपो प्रथम चरण)	99.0496

रिपो खाता के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां

नामे		जमा	
रिवर्स रिपो खाता के अंतर्गत जमा करने योग्य प्रतिभूतियों को (रिवर्स रिपो प्रथम चरण)	99.0496	रिवर्स रिपो खाता के अंतर्गत जमा करने योग्य प्रतिभूतियों के द्वारा (रिवर्स रिपो दूसरा चरण)	99.0496

रिपो खाता के अंतर्गत जमा करने योग्य प्रतिभूतियां

नामे		जमा	
रिवर्स रिपो खाता के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को (रिवर्स रिपो दूसरा चरण)	99.0496	रिवर्स रिपो खाता के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों के द्वारा (रिवर्स रिपो प्रथम चरण)	99.0496

5. यदि तुलन पत्र की तारीख रिपो की अवधि के दौरान पड़ती हो तो सहभागी उपचित ब्याज दर्ज करने तथा दूसरे दिन उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए ट्रांजिट खातों अर्थात् देय रिपो ब्याज खाता तथा प्राप्य रिपो ब्याज खाता का प्रयोग कर सकते हैं । प्राप्य तथा देय रिपो ब्याज का शेष तुलन पत्र में उपयुक्त प्रविष्टियां पारित करके लाभ तथा हानि खाते में लिया जाएगा :

लेनदेन चरण	पहला चरण	तुलन पत्र तारीख	दूसरा चरण
------------	----------	-----------------	-----------

तारीख	28 मार्च 10	31 मार्च 10	02 अप्रैल 10
-------	-------------	-------------	--------------

क) 31 मार्च 2010 को रिपो विक्रेता (निधियों का उधारकर्ता) की बही में प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिपो ब्याज व्यय खाता (लाभ और हानि लेखे में अंतरित किए जाने वाले खाता शेष)	0.0543 (4 दिनों का रिपो ब्याज)	
देय रिपो ब्याज खाता		0.0543

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
लाभ हानि लेखा	0.0543	
रिपो ब्याज व्यय खाता		0.0543

ख) 01 अप्रैल 2010 को रिपो विक्रेता (निधियों का उधारकर्ता) की बहियों में प्रविष्टियों का प्रत्यावर्तन

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
देय रिपोर्ट ब्याज खाता	0.0543	
रिपो ब्याज व्यय		0.0543

ग) 31 मार्च 2010 को रिपो क्रेता (निधियों का उधारदाता) की बहियों में प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
प्राप्य रिवर्स रिपो ब्याज खाता	0.0543	
रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता (लाभ और हानि लेखे में अंतरित किए जाने वाले खाता शेष)		0.0543 (4 दिनों का रिपो ब्याज)

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता	0.0543	
लाभ हानि लेखे		0.0543

घ) 01 अप्रैल 2010 को रिपो क्रेता (निधियों का उधारदाता) की बहियों में प्रविष्टियों का प्रत्यावर्तन

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता	0.0543	
प्राप्य रिवर्स रिपो ब्याज खाता		0.0543

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	परिपत्र की संगत पैरा सं.	विषय	मास्टर परिपत्र की पैरा सं.
1.	बैपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 69/ सी.469-90/91	18 जनवरी 1991	1, 2, 4	ग्राहकों की ओर से संविभाग प्रबंधन	1.3.3
2.	अ. शा. बैपविवि. सं.एफएससी.46/सी. 469-91/92	26 जुलाई 1991	4 (i), (ii), (iii), (iv), (v), (iv)	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों का लेन-देन	1.2 (i)
3.	बैपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 143ए/ 24.48. 001/ 91-92	20 जून 1992	3 (I), 3 (I)-(ii) - (iii)-(iv) - (v)- (xi)- (xii)-(xvi)- (xvii), 3(II), 3 (III), 3(V)- (i) - (ii)- (iii), (3) एवं (4)	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों का लेन-देन	1.2 (ii), (iii) और (iv) 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7
4.	बैपविवि. सं. एफएससी. बीसी.11/ 24.01.009/92-93	30 जुलाई 1992	3, 4, 5, 6	ग्राहकों की ओर से संविभाग प्रबंधन	1.3.3
5.	बैपविवि. सं. एफएमसी. बीसी.17/ 24.48.001/ 92-93	19 अगस्त 1992	2	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों का लेन-देन	1.3.2
6.	बैपविवि. सं. एफएमसी. बीसी. 62/ 27.02.001/ 92-93	31 दिसंबर 1992	1	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों का लेन-देन	1.2.6
7.	बैपविवि. सं. एफएमसी. 1095/ 27. 01.002/93	15 अप्रैल 1993	1 एवं	बैंकों का निवेश संविभाग-	1.3.1 एवं

			संलग्न प्रपत्र	धारित शेयरों आदि का समाधान	अनुबंध - VI
8.	बैपविवि. सं. एफएमसी. बीसी. 141/ 27.02.006/93-94	19 जुलाई 1993	अनुबंध	बैंकों का निवेश संविभाग-प्रतिभूतियों का लेन-देन - अलग-अलग दलालों के लिए समग्र संविदा सीमा-स्पष्टीकरण	अनुबंध - II
9.	बैपविवि. सं. एफएमसी. बीसी. 1/ 27.02.001/93-94	10 जनवरी 1994	1	बैंकों का निवेश संविभाग-प्रतिभूतियों का लेनदेन-सहायक सामान्य बही खाता अंतरण फार्म का अनादरित होना - लगाये जाने वाले अर्थदंड	1.2.2
10.	बैपविवि. सं. एफएमसी. 73/ 27. 7.001/94-95	7 जून 1994	1, 2	संविभाग प्रबंधन योजना के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करना	1.3.3
11.	बैपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 130/24.76.002/ 94-95	15 नवंबर 1994	1	बैंकों का निवेश संविभाग-प्रतिभूतियों का लेनदेन - बैंक रसीदें (बी आर)	1.2.3
12.	बैपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 129/ 24.76.002/ 94-95	16 नवंबर 1994	2 एवं 3	बैंकों का निवेश संविभाग-प्रतिभूतियों का लेनदेन - दलालों की भूमिका	1.2.6
13.	बैपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 142/24.76.002/ 94-95	9 दिसंबर 1994	1 एवं 2	बैंकों का निवेश संविभाग-प्रतिभूतियों का लेनदेन - दलालों की भूमिका	1.2.6
14.	बैपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 70/ 24.76.002/ 95-96	8 जून 1996	2	सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री	1.2.4
15.	बैपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 71/24.76.001/ 96	11 जून 1996	1	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों का लेनदेन	1.2.2
16.	बैपविवि. सं. बीसी. 153/24.76.002/96	29 नवंबर 1996	1	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों का लेनदेन	1.2.6
17.	बैपविवि. बीपी. बीसी. 9/ 21.04.048/98	29 जनवरी 1997	3	विवेक सम्मत मानदंड - पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण	5.1(iii) एवं (iv)
18.	बैपविवि. बीपी. बीसी. 32/ 21.04.048/97	12 अप्रैल 1997	1 एवं 2	विवेक सम्मत मानदंड - पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण	5.1 (i) एवं (ii)

19.	बैंपविवि. सं.एफएससी. बीसी.129/ 24.76.002/97	22 अक्टूबर 1997	1	सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री	1.2.4
20.	बैंपविवि. सं. बीसी. 112/ 24.76.002/97	14 अक्टूबर 1997	1	बैंकों का निवेश संविभाग- प्रतिभूतियों का लेनदेन - दलालों की भूमिका	1.2.6
21.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 75/ 21.04.048/98	4 अगस्त 1998	सभी	सरकारी और अन्य अनुमेादित प्रतिभूतियों का अधिग्रहण - खण्डित अवधि का ब्याज - लेखांकन प्रक्रिया	5.2
22.	डीबीएस. सीओ. एफएमसी. बीसी.1/ 22.53.014/98-99	7 जुलाई 1999	1	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों का लेनदेन	1.3.1 (i)
23.	डीबीएस. सीओ. एफएमसी. बीसी. 18/ 22.53.014/ 99-2000	28 अक्टूबर 1999	2, 3, 4 एवं 5	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों का लेनदेन	1.2.2
24.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 26/ 24.76.002/ 2000	6 अक्टूबर 2000	2	प्राथमिक निर्गमों की नीलामियों में आबंटित की गयी सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री	1.2. (i) (ख)
25.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 32/ 21.04.048/ 2000- 01	16 अक्टूबर 2000	सभी	निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यन के संबंध में दिशा- निर्देश	2, एवं 3
26.	बैंपविवि. एफएससी. बीसी. सं. 39/ 24.76.002/2000	25 अक्टूबर 2000	1	बैंकों का निवेश संविभाग- प्रतिभूतियों का लेनदेन - दलालों की भूमिका	1.2.6
27.	डीआइआर. बीसी. 107/ 13.03.00/ 2000-01	19 अप्रैल 2001	6	वर्ष 2001-2002 की मौद्रिक एवं ऋण नीति -ब्याज दर नीति	5.3
28.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 119/ 21.04.137/ 2000-2001	11मई 2001	अनुबंध - 5 एवं 12	बैंकों द्वारा ईक्विटी का वित्तपोषण और शेयरों में निवेश- संशोधित दिशा-निर्देश	1.2, 1.2.5, 1.3, 1.3.1
29.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 127/ 21.04.048 2000-01	7 जून 2001	सभी	बैंकों के एस एल आर से इतर निवेश	1.2 .8 अनुबंध - III
30.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 61/21.04.048/2001- 02	25 जनवरी 2002	सभी	बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश के लिए दिशानिर्देश	1.2.8 (iv)

				और बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुनर्गठित खातों के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश	
31.	बैंपविवि. एफएससी. बीसी. सं. 113/ 24.76.002/ 2001-02	7 जून 2002	सभी	बैंकों के निवेश संविभाग - सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन	1.3.4
32.	डीबीएस.सीओ. एफएमसी.बीसी.7/22.5 3.014/2002-03	7 नवंबर 2002	पैरा 2	बैंकों द्वारा निवेश संविभाग का परिचालन - बैंकों द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षा - रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण	1.2.7 (ग)
33.	बैंपविवि. एफएससी. बीसी. सं. 90/ 24.76.002/2002-03	31 मार्च 2003	सभी	हाज़िर वायदा संविदाएं	1.2.1(i), (ii) एवं (iii)
34.	आइडीएमसी. 3810/11.08. 10/2002-03	24 मार्च 2003	सभी	विपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों की एकसमान लेखा पद्धति के लिए दिशानिर्देश	4, अनुबंध VII एवं अनुबंध VIII
35.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 44/21.04.141/ 2003-04	12 नवंबर 2003	सभी	एसएलआर से इतर प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	1.2.8 अनुबंध IV, V
36.	बैंपविवि. बीपी. बीसी.53/21.04.141/20 03-04	10 दिसंबर 2003	सभी	एसएलआर से इतर प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	1.2.8
37.	बैंपविवि. एफएससी.बीसी. 59/24.76.002/ 2003-04	26 दिसंबर 2003	सभी	प्राथमिक निर्गमों के लिए नीलामी में आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की उसी दिन बिक्री	अनुबंध I (ग)
38.	आइडीएमडी. पीडीआरएस. 05/ 10.02.01/2003-04	29 मार्च 2004	3,4,6 ,एवं 7	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन	1.2 (i)(ए)
39.	आइडीएमडी. पीडीआरएस.4777/ 10.02. 01/2004-05	11 मई 2005	3	प्राथमिक निर्गमों में आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री	1.2 (i)(बी)
40.	आइडीएमडी. पीडीआरएस.4779/ 10.02. 01/2004-05	11 मई 2005	2,3,4,5	हाज़िर वायदा संविदाएं	1.2.1.(बी) 1.2.1.(सी)
41.	आइडीएमडी.	11 मई	3	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन	1.2.(1)

	पीडीआरएस. 4783/10.02. 01/2004-05	2005		- टी + 1 निपटान	(सी)
42.	बैंपविवि. एफएससी. बीसी. सं. 28/ 24.76. 002/ 2004-05	12 अगस्त 2004	2	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन	1,2 (i)(ए)
43.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 29/21.04.141/2004- 05	13 अगस्त 2004	संलग्नक का 2 (बी)	विवेकपूर्ण मानदंड - राज्य सरकार के गारंटीकृत निवेश	3.5.2
44.	बैंपविवि. डीआइआर. बीसी.32/13.07.05/200 4-05	17 अगस्त 2004	2	ईक्विटी में बैंकों के निवेश का डिमेटेरियलाइजेशन	5.3
45.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 37/21.04.141/2004- 05	2 सितंबर 2004	1(i) एवं (ii)	बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड	2.1(ii) एवं (iii)
46.	बैंपविवि. एफएसडी. बीसी. सं. 31/ 24.76.002/ 2005-06	1 सितंबर 2005	2, 3	एनडीएस - ओएम - प्रतिपक्ष की पुष्टि	1.2.5 (i) (सी)
47.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 38/21.04.141/ 2005-06	10 अक्टूबर 2005	सभी	पूंजी पर्याप्तता - निवेश उतार- चढ़ाव आरक्षित निधि	3.4
48.	आइडीएमडी. सं. 03/11.01.01 (बी)/2005-06	28 फरवरी 2006	2,3,4,5	सरकारी प्रतिभूतियों में अनुषंगी बाजार लेनदेन - आंतर दिवसीय मंदडिया बिक्री	1.2(i) (ए)
49.	आइडीएमडी. सं. 3426/ 11.01.01 (डी)/2005- 06	3 मई 2006	सभी	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में 'व्हेन इश्यूड' लेनदेन	1.2(i) (ए)
50.	बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 27/ 21.01.002/ 2006-07	23 अगस्त 2006	2,4	विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - वी सी एफ में बैंक निवेश	3.9
51.	आइडीएमडी. सं. 2130/ 11.01.01 (डी)/2006-07	16 नवंबर 2006	सभी	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में 'व्हेन इश्यूड' लेनदेन	1.2(i) (ए)
52.	बैंपविवि. सं. एफएसडी. बीसी. 46/ 24.01.028/ 2006-07	12 दिसंबर 2006	16 बी (ii)	संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय विनियमन तथा बैंकों से उनका संबंध	1.3.3 (i)
53.	आइडीएमडी. सं. . . . / 11.01.01(बी)/	31 जनवरी 2007	सभी	सरकारी प्रतिभूतियों में अनुषंगी बाजार लेनदेन - शॉर्ट	1.2(i) (ए)

	2006-07			सेलिंग	
54.	मेलबॉक्स स्पर्डीकरण	11 जुलाई 2007	सभी	अवधिपूर्णता तक धारित प्रतिभूतियाँ	3.1 (i)
55.	बैंपवि.सं. बीपी.बीसी. 56/21.04.141/2007-08	6 दिसंबर 2007	सभी	श्रेणीनिर्धारण न की गई सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में निवेश पर सीमा - बुनियादी सुविधा बांड	1.2.7
56.	बैंपवि.सं. बीपी.बीसी. 86 / 21.04.141/ 2007-08	22 मई 2008	सभी	प्रतिभूतियों का मूल्यांकन	3.7.1
57.	मेलबॉक्स स्पर्डीकरण	10 अक्टूबर 2008	सभी	एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण	2.3 (iv)
58.	मेलबॉक्स स्पर्डीकरण	6 फरवरी 2009	सभी	सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियां	1.2.12
59.	मेलबॉक्स स्पर्डीकरण	5 फरवरी 2009	सभी	गैर-सूचीबद्ध सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियाँ	1.2.13
60.	मेलबॉक्स स्पर्डीकरण	16 मार्च 2009	सभी	प्रतिभूतियों का वर्गीकरण	3.2
61.	मेलबॉक्स स्पर्डीकरण	11 फरवरी 2009	सभी	बैंकों का निवेश संविभाग	अनुबंध 1(सी)(i)
62.	आरबीआइ/2009- 10/102 आइडीएमडी.डीओडी. सं. 334/11.08.36/ 2009-10	20 जुलाई 2009	सभी	सरकारी प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा संविदा	1.2.2
63.	मेलबॉक्स स्पर्डीकरण	3 सितंबर 2009	सभी	ओटीसी बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन में व्यापार की छूट	1.1.5 (ग)
64.	आरबीआइ/2009- 10/184 आइडीएमडी.सं. 1764/11.08.38/ 2009-10	16 अक्टूबर 2009	सभी	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में ओटीसी व्यापार	1.2.2.1
65.	मेलबॉक्स स्पर्डीकरण	6 नवंबर	सभी	आरक्षित निधि तथा आय कर	2.1 (vi)

		2009		अधिनियम 1961 के अंतर्गत सृजित विशेष पूंजी आरक्षित निधि खाते से संबंधित स्पष्टीकरण	
66.	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	23 दिसंबर 2009	सभी	राष्ट्रीय आवास बैंक की ग्रामीण आवास विकास निधि (आरएचडीएफ) में निवेश संबंधी कार्रवाई	2.1 (iv) (ग)
67.	आरबीआइ/2009-10/284 आइडीएमडी.डीओडी. सं. 05/11.08.38/2009-10	8 जनवरी 2010	सभी	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो	1.2.22
68.	आइडीएमडी/4135/11.08.043/2009-10	23 मार्च 2010	सभी	सरकारी प्रतिभूतियों में रिपो-रिवर्स रिपो लेनदेन के लिए एक समान लेखा पद्धति	मास्टर परिपत्र का पैरा 4
69.	आरबीआइ/2009-10/360 आइडीएमडी.डीओडी. सं. 07/11.01.09/2009-10	25 मार्च 2010	सभी	स्ट्रिपिंग/सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्गठन से संबंधित दिशानिर्देश	1.1.1
70.	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	30 मार्च 2010	सभी	अग्रिम के प्रकार के डिबेंचरों में निवेश संबंधी स्पष्टीकरण	2.1 (ii) (ग) और 3.7.1
71.	आरबीआइ/2009-10/403 आइडीएमडी.डीओडी. सं. 08/11.08.38/2009-10	16 अप्रैल 2010	सभी	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा संविदा	1.2.22 और अनुबंध 1-ड.
72.	बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 98/ 21.04.141 /2009-10	23 अप्रैल 2010	सभी	गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश	1.2.10
73.	बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 97/ 21.04.141 /2009-10	23 अप्रैल 2010	सभी	इन्फ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों से संबद्ध कंपनियों द्वारा जारी बांडों में बैंकों द्वारा किये गये निवेशों	2.1

				का वर्गीकरण	
--	--	--	--	-------------	--